VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

मई - 2017

VISIONIAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान......7

1.1. लोकपाल और कानून 7

1.2. राष्ट्रीय विकास एजेंडा 8

1.3. इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (ICMIS)......9

1.4. ICT विजन डॉक्यूमेंट 2025......9

1.5. म्युनिसिपल बांड......9

1.6. पशु व्यापार पर प्रतिबंध 11

1.7. इंटरनेशनल कम्पैरिज़न प्रोग्राम......13

1.8. निवारक निरोध......13

1.9. अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग ट्रायल......14

1.10. अनुच्छेद-142 और न्यायिक संयम की आवश्यकता......14

1.11. न्यायिक आचरण......15

2. अंतर्राष्ट्रीय/ भारत और विश्व......17

2.1. भारत-पाकिस्तान......17

2.2. भारत-श्रीलंका......19

2.3. भारत- फिलिस्तीन......19

2.4. भारत तथा यूरोपीय संघ......20

2.4.1. भारत तथा स्पेन......20

2.4.2. भारत और नीदरलैंड्स......20

2.4.3. भारत और जर्मनी......21

2.5. भारत-अफ्रीका......22

2.5.1. अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की दूसरी वार्षिक बैठक......22

2.5.2. एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर......23

2.6. साउथ एशिया सेटेलाइट 24

2.7. UN-हेबिटेट......24

2.8. वन बेल्ट वन रोड (OBOR) समिट......25

2.9. ग्लोबल प्लेटफार्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन......26

2.10 आर्कटिक परिषद......27

2.11. भारत एवं प्रशांत महासागरीय द्वीपसमूह के मध्य संधारणीय विकास पर सम्मेलन 27

VISION IAS

2.12. हाल में हुए सैन्य अभ्यास 28

3. अर्थव्यवस्था....29

3.1. सम्पदा योजना 29

3.2. राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन नीति 2017 30

3.3. GM सरसों का वाणिज्यीकरण 32

3.4. कैनोला गांव 33

3.5. कॉयर उद्योग 34

3.6. पूसा कृषि ऐप....36

3.7. ई-कृषि संवाद....36

3.8. मसाला बांड 37

3.9. WPI एवं IIP के आधार वर्ष में परिवर्तन 37

3.10. स्वैच्छिक बेरोजगारी....38

3.11. शारदा प्रसाद समिति....38

3.12. प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केन्द्रों की स्थापना....40

3.13. स्वदेशी नाभिकीय उर्जा 41

3.14. फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम 43

3.15. थिंक 20 टास्क फोर्स 43

3.16 भारत में स्वर्ण विनिमय....44

3.17. भारतीय निर्देशक द्रव्य 45

3.18. सार्वजनिक खरीद आदेश 2017....45

3.19 शक्ति नीति....47

3.20 कोल फायर्स (कोयला खदानों में आग) 48

3.21 सेवा ऐप 48

3.22 घरेलू स्तर पर विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पाद नीति....49

3.23 राज्यों का राजकोषीय समेकन....50

3.24. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक....51

3.25. शाखा प्राधिकरण नीति....52

3.26. पी-नोट्स मानदंड....53

3.27. शहरी किराया आवास नीति का मसौदा....54

3.28. जनऔषधि परियोजना....55

3.29. ढोला सदिया पुल 56

4. सुरक्षा 57

4.1. इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड 57

4.2. नक्सल हिंसा हेतु 'समाधान' सिद्धांत 58

4.3. ब्रह्मोस का अंडमान द्वीपों से परीक्षण किया गया 59

4.4. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल 59

4.5. वानाक्राई रैनसमवेयर 60

4.6. NTRO को इंटेलिजेंस एक्ट के अंतर्गत लाया गया 61

4.7. साइकिल पेट्रोलिंग 62

5. पर्यावरण 63

5.1. शहरी बाढ़ 63

5.2. दक्षिण भारत में सूखा 64

5.3. बॉन क्लाइमेट मीट 64

5.4. सस्टेनेबल टूरिज्म 65

5.5. मोरा चक्रवात 66

5.6. चितले समिति 66

5.7. मंडल बांध 67

5.8. पंपा नदी का संरक्षण 68

5.9. बस्टर्ड प्रजनन केंद्र 68

5.10. भारतीय जंगली कुत्ते (ढोल) 69

5.11.ब्लैक नेक्ड क्रेन 69

5.12. इंडियन स्टार टॉरटोइज 70

5.13. अमूर फाल्कन 70

5.14. केंदू की पत्तियां 71

5.15. प्रिमरोज विलो (लुडविगिया पेरूविया) 72

5.16. कोबरा लिली 72

5.17. दहनशील बर्फ 72

5.18. प्लास्टिक का अपघटन 73

5.19. ई - अपशिष्ट 74

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी 77

VISION IAS

6.1. कुपोषण से निपटने हेतु फोर्टीफाइड खाद्य पदार्थ 77
6.2. चावल की नई सूखा प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक किस्म 77
6.3. तरंग संचार पोर्टल....................78
6.4. कैंसर के इलाज हेतु नया मॉलिक्यूल - डिसऐरिब....................78
6.5. ड्रग रेजिस्टेंस को रिवर्स करना संभव 78
6.6. टीबी उपचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज 79
6.7. कुष्टरोग हेतु स्वदेशी वैक्सीन: माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानी 79
6.8. डीप ओशन मिशन....................79
6.9. तीसरी गुरुत्वीय तरंग की खोज....................80
6.10. नासा के न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम को 12 मिशन प्रस्ताव प्राप्त हुए....................80
6.11. XFEL (विश्व का सबसे बड़ा एक्स-रे लेजर) ने प्रथम एक्स-रे लेजर लाइट उत्पन्न की 81
6.12. ऊर्जा के उभरते स्रोत 81
6.13. विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च (VAJRA) 82
6.14. टेक्टोनिक प्लेट की अतिरिक्त परत की खोज 82
6.15. विश्व का सबसे पतला होलोग्राम 82

7. सामाजिक....................84

7.1 मिशन इंद्रधनुष....................84
7.2. eVIN प्रोजेक्ट....................84
7.3. श्रम मंत्रालय: सामाजिक सुरक्षा योजना 85
7.4. थैलेसीमिया पर राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता....................86
7.5 "मातृत्व लाभ कार्यक्रम" का अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन....................86
7.6 जननांग विकृत करना....................86
7.7. स्वच्छ सर्वेक्षण 2017: इंदौर सर्वाधिक स्वच्छ शहर....................87
7.8 ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज स्टडी 87
7.9. उत्कृष्टता के संस्थान 88

8. संस्कृति 90

8.1. बसव जयंती....................90
8.2. संत त्यागराज....................90
8.3. राजा राम मोहन राय....................90
8.4. ठकुरानी जात्रा महोत्सव 91

8.5. बंगनापल्ली आम 91

8.6. यक्षगान नृत्य शैली 91

9. नीतिशास्त्र 93

9.1. विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 93

9.2. गैम्बलिंग को वैधता प्रदान करना 95

10. विविध 96

10.1. इंडियन एक्सक्लूशन रिपोर्ट (IXR) 2016 96

10.2.पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 96

10.3. CAPF के लिए शिकायत निवारण ऐप 96

10.4. भारतीय रेलवे द्वारा EOTT की शुरुआत 97

10.5. इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, 2014 97

10.6. सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर 97

10.7. इंटरनेशनल सोलर अलायन्स फ्रेमवर्क 97

10.8. ए पी जे अब्दुल कलाम के नाम पर बैक्टीरिया का नामकरण 98

10.9. बधिरों व नेत्रहीनो के लिए नई तकनीक 98

10.10. मांकडिया जनजाति 98

Register @ www.visionias.in/opentest
Besides appearing for All India Open Tests you can also attempt previous year's UPSC Civil Services Prelims papers on VisionIAS Open Test Platform

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1. लोकपाल और कानून

(Lokpal and The Law)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मौजूदा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 अपने वर्तमान स्वरूप में व्यवहार्य (workable) है।

स्पष्टीकरण की आवश्यकता क्यों थी?

- सरकार ने तर्क दिया कि विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति में, चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए लोकपाल अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया है।
- इस सन्दर्भ में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम में चयन समिति में रिक्त पद विद्यमान होने के बावजूद इस समिति द्वारा नियुक्तियां किये जाने का प्रावधान किया गया है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं

- **केन्द्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त का गठन-** सभी राज्य इस अधिनियम को लागू किये जाने की तारीख से 365 दिनों की अवधि के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे।
- **संरचना-** लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से 50 प्रतिशत सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे तथा 50 प्रतिशत सदस्यों की नियुक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से की जाएगी।
- **चयन समिति -** लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन, एक चयन समिति के माध्यम से होगा। इस समिति के सदस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या इनके द्वारा नामांकित सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश तथा चयन समिति के इन चार सदस्यों की सिफारिश के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित प्रख्यात न्यायविद होंगे।
- **लोकपाल का क्षेत्राधिकार-** प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखा गया है। FCRA के प्रावधानों के तहत किसी विदेशी स्रोत से 10 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक दान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएं लोकपाल के क्षेत्राधिकार के तहत होंगी।
- **CBI के संबंध में शक्ति-** लोकपाल को इसके द्वारा CBI या अन्य किसी जांच एजेंसी को सौंपे गए मामलों का अधीक्षण करने तथा निर्देश देने का अधिकार प्राप्त होगा। लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों की जांच से संबंधित CBI अधिकारियों का स्थानांतरण लोकपाल की स्वीकृति के पश्चात् किया जा सकेगा।
- **संपत्ति जब्त करना-** इस अधिनियम में भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान शामिल हैं, भले ही अभियोजन प्रक्रिया लंबित हो। इस अधिनियम में प्रारंभिक पूछताछ, जांच और सुनवाई के लिए स्पष्ट समय सीमा का निर्धारण किया गया है।

लोकपाल से संबद्ध मुद्दे:

- राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण **लोकपाल की नियुक्ति में देरी।**
- **संशोधनों के माध्यम से प्रावधानों को कमजोर करना-** 2016 में पारित किये गए विधेयक द्वारा सरकारी कर्मचारियों, उनके जीवनसाथी तथा आश्रित बच्चों की संपत्तियों की सार्वजनिक घोषणा की कानूनी अनिवार्यता वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
- **भ्रष्टाचार निरोधक कानून (PCA) के साथ असंगतता -** जाँच के संबंध में लोकपाल को प्राप्त पूर्व स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति भ्रष्टाचार निरोधक कानून में किये गए संशोधनों के कारण निष्प्रभावी हो गई है। दृष्टव्य है कि इन संशोधनों द्वारा सरकार से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता वाले प्रावधान को मजबूत किया गया है।
- **शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरूद्ध-** लोकपाल, एक प्रशासनिक समिति (कार्यपालिका का एक अंग) होगी। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका संबंधी कृत्यों को सम्पादित करना होगा।
- **राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता-** लोकायुक्त की प्रकृति एवं उसके स्वरुप का निर्धारण पूरी तरह से राज्यों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है। इससे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरणस्वरुप: लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में सत्ता का दुरुपयोग, जैसे उत्तर प्रदेश में एक बार विस्तारित अवधि के समाप्त होने के बाद भी लोकायुक्त पद पर बने रहे।
- **लोकपाल का क्षेत्राधिकार-** न्यायपालिका को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

VISION IAS

आगे की राह:

हालांकि संसद द्वारा लोकपाल विधेयक पारित कर दिया गया है किन्तु इसे प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जैसे कि:

- पारित अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन।
- सिटिज़न चार्टर, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, न्यायिक जवाबदेहिता जैसे विधेयकों को पारित करना जो भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों से निपटने में सहायक सिद्ध होंगे।
- सख्त दिशानिर्देशों और मानदंडों को स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि लोकपाल दिन-प्रतिदिन की प्रशासनिक अक्षमताओं तथा भ्रष्टाचार से संबंधित असंख्य शिकायतों के बोझ तले न दब जाए।

1.2. राष्ट्रीय विकास एजेंडा

(National Development Agenda)

सुर्खियों में क्यों?

- नीति आयोग द्वारा त्रिवर्षीय कार्यवाही एजेंडा का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यह समग्र राष्ट्रीय विकास एजेंडे का एक भाग है।

पृष्ठभूमि

- 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं की प्रासंगिकता समाप्त हो गई।
- इसके पश्चात् प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नीति आयोग को पंद्रह वर्षीय विजन, सात वर्षीय रणनीति और तीन वर्षीय कार्यवाही एजेंडा को सम्मिलित करने वाले राष्ट्रीय विकास एजेंडा को तैयार करने का निर्देश दिया गया।

प्रावधान

- नीति आयोग ने अपने त्रिवर्षीय कार्यवाही एजेंडे के प्रारूप में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का चयन किया है। ये हैं:

rce: NITI Aayog)

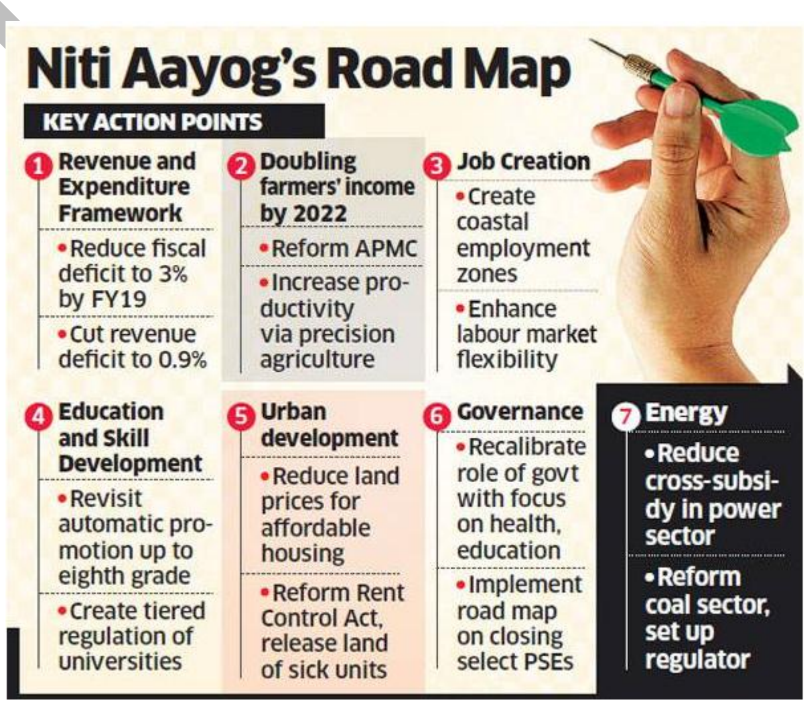

- ✓ **त्रिवर्षीय राजस्व और व्यय प्रारूप;**
- ✓ **ऊर्जा;**
- ✓ **शासन, कराधान और विनियमन;**
- ✓ **2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना;**
- ✓ **उद्योग और सेवाओं में रोजगार सृजन;**
- ✓ **शहरी विकास;**
- ✓ पूर्वोत्तर, मरुस्थली क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, सूखाग्रस्त क्षेत्रों और हिमालयी क्षेत्रों के लिए विशेष **क्षेत्रीय रणनीतियां**।
- ✓ **परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी** – इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (IIFCL) की भूमिका में परिवर्तन, कम लागत वाले डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को प्रस्तुत करने तथा नेशनल इन्वेस्टमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) की स्थापना के माध्यम से PPP को बढ़ावा देना।
- ✓ **विज्ञान और प्रौद्योगिकी**- योजनाओं के राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करना, नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन की स्थापना करना आदि।

महत्व

- एक अपेक्षाकृत अधिक खुली और उदार अर्थव्यवस्था के साथ हमें वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुसार प्लानिंग एजेंडा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अतः दीर्घकाल एवं लघुकाल के लिए व्यापक योजना निर्माण एक स्वागत योग्य कदम है।
- यह एजेंडा एक समावेशी और संधारणीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु बहु-क्षेत्रीय (multisectoral) दृष्टिकोण का निर्माण करेगा।

1.3. इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (ICMIS)

(Integrated Case Management Information System:ICMIS)

सुर्खियों में क्यों ?

- मामलों की डिजिटल फाइलिंग के लिए सर्वोच्च न्यायालय के **'इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम' (ICMIS)** का अनावरण किया गया।

ICMIS के कार्य:

- इस सिस्टम के माध्यम से केस की ई-फाइलिंग का विकल्प, केस लिस्टिंग की तिथि, केस की स्थिति, सूचना/सम्मन की ऑनलाइन सुविधा, कार्यालय रिपोर्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय के पंजीकरण कार्यालय में दाखिल मामलों (cases) के सम्बन्ध में समग्र रूप से हुई प्रगति की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त होगी।
- यह न्यायालय से संबंधित शुल्कों और प्रक्रिया शुल्क के भुगतान के लिए एक ऑनलाइन गेटवे तथा एक *ऑनलाइन कोर्ट फी कैलकुलेटर* के रूप में कार्य करेगा।

ICMIS के लाभ:

- अधिवक्ताओं और पंजीकरण कार्यालय दोनों के लिए फाइलिंग प्रोसेस को सुव्यवस्थित करेगा।
- यह पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा, केस से जुड़ीं जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करेगा और कम समय में याचिका दाखिल करने में मदद करेगा। इन सभी लाभों के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया तीव्र हो सकेगी।

1.4. ICT विजन डॉक्यूमेंट 2025

(ICT vision document 2025)

चुनाव आयोग ने ICT विज़न डॉक्यूमेंट 2025 प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत चुनावी परिवेश में नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा पहले से मौजूद प्रौद्योगिकियों को समेकित करने की रणनीति की व्याख्या की गई है। ICT 2025 के चार प्रमुख घटक हैं:

- ✓ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन
- ✓ GIS, एनालिटीक्स एंड इंटीग्रेटेड कांटेक्ट सेंटर
- ✓ डेटा सेंटर, IT सिक्यूरिटी, डिजास्टर रिकवरी सहित IT इंफ्रास्ट्रक्चर
- ✓ ज्ञान प्रबंधन, क्षमता निर्माण और सोशल मीडिया का उपयोग।

1.5. म्युनिसिपल बांड

(Municipal Bonds)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, 14 राज्यों के 94 शहरों को म्युनिसिपल बांड जारी करने के लिए उनकी तैयारी के आधार पर क्रिसिल (CRISIL) जैसी एजेंसियों ने क्रेडिट रेटिंग प्रदान की।
- इस एजेंसियों द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT मिशन के अंतर्गत आने वाले शहरों का मूल्यांकन किया गया।
- इनमें से 55 शहरों को "इन्वेस्टमेंट ग्रेड" रेटिंग प्राप्त हुई जबकि 39 शहरों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड (BBB-) से नीचे की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई हैं।

DETAILS OF CITIES AND TOWNS AND RESPECTIVE CREDIT RATINGS:

Credit ratings	Cities/Towns
AA+	New Delhi Municipal Council (NDMC), Navi Mumbai and Pune
AA	Ahmedabad, Visakhapatnam and Greater Hyderabad Municipal Corporation
AA-	Surat, Nashik, Thane and Pimpri-Chindwad
A+	Indore, Kishanganj(Rajasthan), Kolkata, Vadodara(Gujarat) and Warangal(Telangana)
A	Jhunjhunu (Rajasthan)
A-	Alwar, Bhiwadi, Beawar, Jaipur(Raj), Bhopal,Jabalpur(MP), Mira Bhayandar(Maha) and New Town Rajarhat(W.Bengal)
BBB+	Ajmer , Kota and Udaipur(Rajasthan), Ludhiana(Punjab) and Jamnagar(Guj)
BBB	Kakinada, Anantapur, Kurnool and Tirupati (Andhra Pradesh), Davanagere and Hubbali-Dharwar(Karnataka), Kochi and Trivendrum (Kerala), Panaji (Goa), Kolhapur and Nagpur(Maharashtra), Jodhpur, Nagaur and Tonk(Rajasthan)
BBB-	Amaravati (Maharashtra), Belgavi (Karnataka), Bharuch and Bhavnagar (Gujarat), Bharatpur, Bhilwara, Bikaner and Hanumangarh(Rajasthan), Chittor and Cuddapah (Andhra Pradesh), Cuttack (Odisha), Ranchi (Jharkhand).
BB+	Proddatur, Nandyal and Nellore (Andhra Pradesh), Kollam and Kozhikode (Kerala), Kalol, Nadiad and Navsarai (Gujarat), Nanded and Solapur (Maharashtra), Gangapur City, Dhaulpur, Pali and Sawai Madhopur (Rajasthan)
BB	Adoni and Tadipatri (Andhra Pradesh), Dwaraka (Gujarat), Aizawal (Mizoram), Thrisur (Kerala), Berhampur, Rourkela and Sambhalpur (Odisha), Bundi, Churu, Chittorgarh, Hindaun, Jodhpur and Sujangarh (Rajasthan)
BB-	Adityapur, Chas, Deogarh and Giridh (Jharkhand), Mori (Gujarat), Baran and Jhalawar (Raj)
B+	Baripada and Puri (Odisha) and Hazaribagh (Jharkhand)
B	Bhadrak (Odisha)

Source: Ministry of Urban Development

VISION IAS

आवश्यकता

- भारतीय शहरों का राजस्व, **सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम** है। इसी का परिणाम है कि भारतीय शहर वित्तीय रूप से पर्याप्त स्वायत्त नहीं हो सके हैं।

पृष्ठभूमि

- **इशर जज अहलूवालिया** (2011) की अध्यक्षता वाली **शहरी अवसंरचना संबंधी समिति** ने अनुमान लगाया कि भारतीय शहरों को अगले दो दशक अर्थात 2031 तक स्थिर कीमतों पर लगभग 40 ट्रिलियन रूपए निवेश करने की आवश्यकता होगी।
- **सेबी द्वारा 2016 में म्युनिसिपल बांड संबंधी विनियम जारी किए गए।**

✓ यदि म्युनिसिपल बांड कुछ निश्चित नियमों के अनुरूप हों तथा उनकी ब्याज दरें बाजार आधारित हों तो भारत में म्युनिसिपल बांड को कर-मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

✓ नगर निगमों को **इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग** बनाए रखने की आवश्यकता है तथा उन्हें **परियोजना लागत का कम से कम 20 प्रतिशत योगदान** करना होगा।

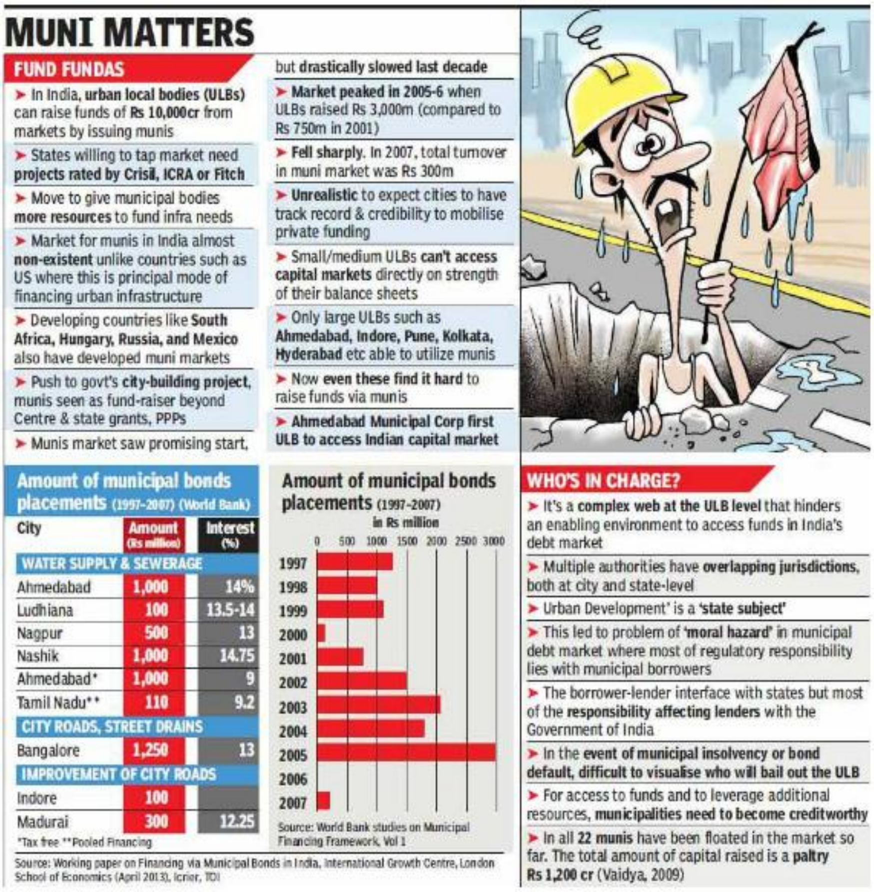

MUNI MATTERS

FUND FUNDAS

- In India, **urban local bodies (ULBs)** can raise funds of **Rs 10,000cr** from markets by issuing munis
- States willing to tap market need **projects rated by Crisil, ICRA or Fitch**
- Move to give municipal bodies **more resources** to fund infra needs
- Market for munis in India almost **non-existent** unlike countries such as US where this is principal mode of financing urban infrastructure
- Developing countries like **South Africa, Hungary, Russia, and Mexico** also have developed muni markets
- Push to govt's **city-building project**, munis seen as fund-raiser beyond Centre & state grants, PPPs
- Munis market saw promising start, but **drastically slowed last decade**
- **Market peaked in 2005-6** when ULBs raised Rs 3,000m (compared to Rs 750m in 2001)
- **Fell sharply.** In 2007, total turnover in muni market was Rs 300m
- **Unrealistic** to expect cities to have track record & credibility to mobilise private funding
- Small/medium ULBs **can't access capital markets** directly on strength of their balance sheets
- Only large ULBs such as **Ahmedabad, Indore, Pune, Kolkata, Hyderabad** etc able to utilize munis
- Now **even these find it hard** to raise funds via munis
- **Ahmedabad Municipal Corp first ULB to access Indian capital market**

Amount of municipal bonds placements (1997-2007) (World Bank)

City	Amount (Rs million)	Interest (%)
WATER SUPPLY & SEWERAGE		
Ahmedabad	1,000	14%
Ludhiana	100	13.5-14
Nagpur	500	13
Nashik	1,000	14.75
Ahmedabad*	1,000	9
Tamil Nadu**	110	9.2
CITY ROADS, STREET DRAINS		
Bangalore	1,250	13
IMPROVEMENT OF CITY ROADS		
Indore	100	
Madurai	300	12.25

*Tax free **Pooled Financing

Amount of municipal bonds placements (1997-2007)

Source: World Bank studies on Municipal Financing Framework, Vol 1

WHO'S IN CHARGE?

- It's a **complex web at the ULB level** that hinders an enabling environment to access funds in India's debt market
- Multiple authorities have **overlapping jurisdictions**, both at city and state-level
- Urban Development' is a **'state subject'**
- This led to problem of **'moral hazard'** in municipal debt market where most of regulatory responsibility lies with municipal borrowers
- The borrower-lender interface with states but most of the **responsibility affecting lenders** with the Government of India
- In the **event of municipal insolvency or bond default, difficult to visualise who will bail out the ULB**
- For access to funds and to leverage additional resources, **municipalities need to become creditworthy**
- In all **22 munis** have been floated in the market so far. The total amount of capital raised is a **paltry Rs 1,200 cr** (Vaidya, 2009)

Source: Working paper on Financing via Municipal Bonds in India, International Growth Centre, London School of Economics (April 2013), Icrier, TOI

✓ नगर निगम **पिछले एक वर्ष में प्राप्त किसी भी ऋण के संबंध में डिफाल्टर** की स्थिति में नहीं होनी चाहिए।

✓ नगर निगमों को ऋण के मूलधन की वापसी सुनिश्चित करने हेतु ऋण को **पूर्ण परिसंपत्ति कवर (फुल एसेट कवर)** प्रदान करना होगा। इन बांड्स को जिस परियोजना के लिए जारी किया गया है, उस परियोजना के माध्यम से प्राप्त धन को **एक अलग एस्क्रौ अकाउंट** में रखना होगा। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा इस अकाउंट की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

- 2017 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित त्रिवर्षीय कार्यवाही एजेंडा में म्युनिसिपल बांड मार्किट के उपयोग करने की बात भी की गई है।

महत्व

- शहरी स्थानीय निकायों की परियोजनाओं की निम्न व्यवहारिकता एवं लंबी परिपक्वता अवधि होती हैं एवं साथ ही लागत वसूल कर पाने की संभावना निम्न से लेकर मध्यम होती हैं। कम लागत पर उधार प्राप्ति इन शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक लाभपूर्ण स्थिति होगी। जिस नगर निगम की रेटिंग अधिक होगी, उसके लिए ब्याज और उधार की लागत उतनी ही कम होगी।
- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए म्युनिसिपल बांड आवश्यक हैं।

चुनौतियां

- बॉन्ड निवेशक शहरों में पैसा तब तक निवेश नहीं करेंगे, जब तक कि वे नगर निगमो की राजकोषीय क्षमता के सम्बन्ध में आश्वस्त न हो जाए।
- अब तक **अधिकांश म्युनिसिपल बांड निजी तौर पर जारी किये गए हैं और ये व्यापार योग्य** नहीं हैं। इससे म्युनिसिपल बांड्स में निवेश बाधित हुआ है। वास्तव में ये बांड्स **राज्य द्वारा गारंटी** प्राप्त होने चाहिए।
- यह **असमानताओं का एक स्रोत** भी हो सकता है क्योंकि बेहतर रेटिंग प्राप्त नगर निगम, निवेश का अधिकांश हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। पहले से ही अवसंरचनात्मक विकास में पिछड़े शहर निवेश के सन्दर्भ में क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट का शिकार बन सकते हैं।

आगे की राह

- **सर्वश्रेष्ठ परम्पराएं**

✓ डेवलपमेंट बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका, म्युनिसिपल बांड इशु को सहायता करने हेतु अपने बैलेंस शीट का उपयोग करता है।

✓ डेनमार्क में शहरों के समूह (pool of the cities) में से किसी एक शहर के डिफॉल्ट होने की स्थिति में बांड धारकों के हितों की रक्षा के लिए एक एजेंसी मौजूद है।

- ✓ जापान में जापान फाइनेंस कार्पोरेशन फॉर म्युनिसिपल फाइनेंस इस कार्य हेतु सॉवरेन गारंटी प्रदान करता है। भारत को ऐसी ही सर्वोत्तम परम्पराओं को अपनाना चाहिए।
- म्युनिसिपल बांड को शहर के वित्तपोषण हेतु केवल एक अवयव के रूप में देखा जाना चाहिए। शहरों को राजस्व के लिए और अधिक स्रोतों के खोज करने की जरुरत है। इस दिशा में नए GST तंत्र के माध्यम से एकत्रित फंड एक नवीन स्रोत सिद्ध हो सकता है। इन सभी प्रयासों के लिए शहरी प्रशासन को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।

1.6. पशु व्यापार पर प्रतिबंध

(Restrictions on Trade in Cattle)

केंद्र सरकार द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पशु व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए 'पशु क्रूरता निरोधक (पशुधन बाजार नियमन) नियम, 2017' को अधिसूचित किया गया है।

इस निर्णय के पक्ष में मुख्य तर्क

- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960
- पशु बाज़ारों में पशुओं की दशा में सुधार करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश।
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसके तहत सरकार को नेपाल में आयोजित होने वाले गढ़ीमाई मेले में पशुओं की होने वाली तस्करी को रोकने संबंधी दिशानिर्देशों को तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

नए नियम में महत्वपूर्ण प्रावधान

- देश भर में **वध के प्रयोजन से मवेशियों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध**। अब पशुओं को केवल 'कृषि उद्देश्यों' के लिए ही खरीदा जा सकता है।
- **'मवेशी' शब्द को स्पष्ट करना-** अधिसूचना में 'मवेशी' शब्द के अंतर्गत सांड, बैल, गाय, भैंस,स्टीर्स (steer), हेइफ़र्स (heifers) और बछड़ों के साथ ही ऊंट को भी सम्मिलित किया गया है।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

- यह पशुओं को अनावश्यक पीड़ा पहुँचाने से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है।
- यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।
- इस अधिनियम के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है।
- यह पशु बाजारों, डॉग ब्रीडर्स, एक्वेरियम और पालतू मछलियों की दुकान के मालिकों को नियंत्रित करता है।
- इस अधिनियम के तहत जानवरों से की जाने वाली निर्दयता को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें शामिल हैं:
- ✓ पशुओं की पिटाई इत्यादि के माध्यम से उन्हें दर्द पहुँचाना
- ✓ उन्हें स्वेच्छा से तथा अनुचित रूप से दवाएँ देना
- ✓ पशुओं को अनुपयुक्त तरीके से पिंज़रे में रखने, ले जाने तथा हस्तांतरित करने के ज़रिए उन्हें दर्द और कष्ट पहुँचाना
- ✓ किसी भी जानवर का अंग-भंग करना इत्यादि।

- **बहुत सारी कागजी कार्रवाई को लागू करना** - विक्रेता और खरीददार, दोनों के लिए।
- **पशु बाज़ार का विनियमन** - बाज़ारों को संचालित करने के लिए जिला पशु बाजार निगरानी समिति (डिस्ट्रिक्ट एनिमल मार्केट मॉनीटरिंग कमेटी: DAMMC) की मंज़ूरी को आवश्यक बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य प्रावधानों में, कम उम्र के तथा अस्वस्थ पशुओं की बिक्री पर प्रतिबंध, पशु चिकित्सा निरीक्षक द्वारा प्रमाणन और इन बाजारों में बीमार पशुओं के लिए अलग से सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है।
- **मवेशियों के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आवागमन का विनियमन-** अब किसी राज्य की सीमा से 25 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 कि.मी. के भीतर किसी भी पशु बाज़ार का आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्य से बाहर पशुओं को ले जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी की विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी।
- **क्रूर व्यवहारों पर रोक लगाना-** जैसेकि- पशुवध, सींग की रंगाई करना और भैंसों के कानों को काटना। इसके अलावा DAMMC द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पशुओं को तकलीफदेह परिस्थितियों में अथवा उसके आकार के लिए अनुपयुक्त पिंजरे में न रखे।

इन नियमों का प्रभाव

यद्यपि पशुओं के परिवहन और इलाज़ के दौरान होने वाली क्रूरता को प्रतिबंधित करना स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये नए नियम पशु व्यापार से जुड़े विभिन्न हितधारकों को प्रभावित कर सकते हैं।

VISION IAS

- **पशु मालिक/किसान** - किसी किसान की आय का लगभग 30% पशुधन से प्राप्त होता है, लेकिन अब उसे बूढ़े पशुओं का बोझ उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, अब तक ये पशु किसानों के लिए प्राकृतिक बीमा के रूप में भी कार्य करते थे। उदाहरण के लिए, "प्राकृतिक कारणों" से मरने वाले पशु के शव को भी बाजार में बेचा जा सकता था। परन्तु इन नियमों के अनुसार अब शव को जला दिया जाएगा और इनका उपयोग बेचने या चमड़ा निकालने के लिए नहीं किया जा सकेगा।
- **बूचड़ खाने**- इन नियमों के कारण अब बूचड़खानों के लिए नियमित रूप से मांस की आपूर्ति सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा।
- **चमड़ा और मांस उद्योग** - ये उद्योग बंद होने के कगार पर पहुँच जायेंगे क्योंकि बूचड़खानों में प्रयोग की जाने वाली 90% भैंसों को पशु बाजारों से खरीदा और बेचा जाता है, जिस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब उनकी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाएगी। इससे बेरोज़गारी भी बढ़ सकती है।
- **उपभोक्ता**- यह गरीबों को सस्ते पौष्टिक भोजन के स्रोत से दूर कर देगा।
- **निर्यात**- भारत को लगभग 30,000 करोड़ रुपये की निर्यात-हानि हो सकती है।
- **पर्यावरण**- भारत में लगभग 80 मिलियन पशु अनुत्पादक हैं। सरकारी और निजी गौशालाओं द्वारा केवल 5-10% पशुओं की देखभाल की जाती है। इस प्रकार, बाकी पशु पर्यावरण और स्वच्छता संबंधी चिंताओं का कारण बन सकते हैं क्योंकि उनके मालिक इन पशुओं की देखभाल नहीं कर सकते।

नियमों से संबंधित अन्य मुद्दे

- **अपने मूल अधिनियम के विरुद्ध** - मूल अधिनियम भोजन के लिए मवेशियों के वध को क्रूरता के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। इस प्रकार नए नियमों को अवैध माना जा सकता है क्योंकि इनमें वध या बलि के लिए बाज़ारों से पशुओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जिसकी मूल अधिनियम में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके साथ ही न्यायालय ने विशेष रूप से यह भी स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा-28 में यह आदेश दिया गया है कि किसी भी समुदाय में धर्म के अंतर्गत आवश्यक पशु बलि को अपराध नहीं माना जायेगा।
- **संघवाद के विरुद्ध** - इन नियमों के लिए 1960 के कानून को लागू करना राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। ऐतिहासिक रूप से विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न पशु वध कानूनों को पारित किया गया है। दृष्टव्य है कि 'कृषि' और 'पशुधन का संरक्षण' राज्यों की विशेष विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं।
- **मौलिक अधिकारों के विरुद्ध** - भोजन के लिए पशुओं का वध एवं ऐसे पशुओं के मांस से बने व्यंजन आदि कुछ समुदायों की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। अतः इन पर लगाया गया प्रतिबन्ध अनुच्छेद-29 के विरुद्ध है जिस पर संविधान में कोई निर्बंधन नहीं लगाया गया है। यह नागरिकों के भोजन, गोपनीयता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।
- व्यापार पर प्रतिबंध की तर्कसंगतता को अनुच्छेद-19(1)(g) के तहत कोई भी वृत्ति, उपजीविका ,व्यापार या कारोबार करने के मौलिक अधिकार की कसौटी पर परीक्षण करने की आवश्यकता है।
- **कोई तर्कसंगत आधार नहीं** - कुछ पशुओं के लिए ही कानून बनाना अनुपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि अन्य पशुओं को भी व्यापार तथा वध किए जाने पर समान पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है।

संवैधानिक स्थिति

इस विवाद का इतिहास भारतीय गणराज्य की स्थापना के साथ ही प्रारम्भ हुआ था, जहाँ गो-हत्या का विषय बहस के सबसे भयावह और विवादास्पद विषयों में से एक था। गो-हत्या पर प्रतिबन्ध को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाने की मांग किये जाने पर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी इस पर अपनी सहमति व्यक्त की थी।

इसे अनुच्छेद-48 के अंतर्गत एक नीति-निदेशक तत्त्व के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य "आधुनिक और वैज्ञानिक आधारों पर कृषि और पशुपालन प्रणालियों को संगठित करने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से गायों एवं बछड़ों के तथा अन्य दुधारू एवं वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार करने और उनके वध को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाएगा।

यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए पूर्ण प्रतिबंध के प्रयासों पर विभिन्न विरोधाभासी निर्णय (देखें बॉक्स) दिए हैं।

VISION IAS

- 1958 के एम एच कुरैशी बनाम बिहार राज्य- वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूध, ब्रीडिंग या भारवाही जानवरों के रूप में कार्य करने में सक्षम ना रहने के बाद मादा भैंसों, बैलों या साँड़ों (मवेशी या भैंसे) को मारने पर पूरी तरह से प्रतिबंध को सामान्य जनता के हित में युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता।
- 1996 में हसमतुल्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैल और साँड़ों की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध कसाइयों के मौलिक अधिकारों पर एक अनुचित प्रतिबंध लगाएगा। हालांकि गायों, गाय के बछड़ों और भैंसों के कटड़े के वध पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया।
- 2005 में गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कस्साब जमात- के मामले में न्यायालय ने कहा कि कई वर्षों से दुधारू या भारवाही मवेशियों की प्रजाति को "गायों या बछड़ों" की परिभाषा के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार कोर्ट ने एम एच कुरैशी मामले में दिए गए अपने निर्णय को आंशिक रूप से खारिज कर दिया।

1.7. इंटरनेशनल कम्पैरिज़न प्रोग्राम

(International Comparison Program)

- भारत वर्ष 2017 के संदर्भ में इंटरनेशनल कम्पैरिज़न प्रोग्राम (ICP) के मौजूदा चरण में भाग ले रहा है।
- ICP एक वैश्विक सांख्यिकीय पहल है, जो विश्व बैंक की अगुआई में **संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग** के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।
- यह क्रय शक्ति समता (PPP) के संदर्भ में विभिन्न देशों के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और इसके घटकों की तुलना करने में सहायता करता है।
- इसकी तुलना PPP के आधार पर की जा रही है क्योंकि इसका उद्देश्य सभी देशों की GDP को तुलनीय बनाना है। इसके साथ ही भविष्य में इसका उपयोग निम्नलिखित की तुलना करने के लिए किया जाएगा:

✓ अर्थव्यवस्था का आकार
✓ लोगों का आर्थिक कल्याण
✓ उत्पादकता
✓ निवेश क्षमता
✓ गरीबी की व्यापकता इत्यादि।

- देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कीमत संबंधी आँकड़ों का संग्रहण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (**MOSPI**) द्वारा किया जाएगा।

1.8. निवारक निरोध

(Preventive Detention)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति को, राज्य द्वारा **'गुंडा'** करार देकर तथा सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं को 'अप्रभावी' और 'ज़्यादा समय' लेने वाली बताकर निवारक निरोध के तहत हिरासत में नहीं लिया जा सकता। ऐसा करना **गैर कानूनी** होगा।
- तेलंगाना में गरीब किसानों को नकली बीज बेचने के आरोप में अधिकारियों द्वारा एक बीज निर्माता को निवारक निरोध के तहत (Telangana Prevention of Dangerous Activities of Bootleggers, Dacoits, Drug Offenders, Goondas, Immoral Traffic Offenders and Land Grabbers Act, 1986 के अंतर्गत) गिरफ्तार कर लिया गया था।

इस निर्णय के पक्ष में तर्क

- **नागरिकों की स्वतंत्रता-** निवारक निरोध, संविधान के अनुच्छेद 14,19, 21, 22 के तहत नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।
- **कार्यपालिका द्वारा विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग** - इस शक्ति की प्रकृति वैधानिक है। अतः जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया है, केवल उसी उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात यह कानून की सीमा के दायरे में होना चाहिए।

निवारक निरोध के बारे में

निवारक निरोधक को सभी मौलिक अधिकारों में सबसे विवादास्पद माना जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर संभावित अपराध करने से रोकने के लिए उपयुक्त ट्रायल के बिना गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध के चार प्रमुख आधार हैं:

VISION IAS

- राज्य की सुरक्षा
- विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा
- सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखना
- आवश्यक सेवाएं तथा रक्षा एवं आपूर्ति का रख रखाव

निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार बंदी को अनुच्छेद-19 या अनुच्छेद-21 के तहत उपलब्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत निर्मित कानून के तहत हिरासत में लिया गया है तो व्यक्ति को अनुच्छेद-22(3) के तहत गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध अनुच्छेद 22 (1) और 22(2) के अधीन संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।

1.9. अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग ट्रायल

(Separate Trial For Distinct Offences)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया कि करोड़ों रूपए के चारा घोटाले जैसे सभी मामलों पर अलग-अलग ट्रायल किया जाना चाहिए। न्यायालय के अनुसार "संयुक्त ट्रायल एक अपवाद है तथा मानक व्यवस्था के अनुसार अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग ट्रायल होना चाहिए।"

समस्या की पृष्ठभूमि

- चारा घोटाले में 1990 से 1997 के बीच विभिन्न जिलों में पशुपालन विभाग द्वारा 1,000 करोड़ रुपये की राशि की अवैध निकासी की गई।
- अलग-अलग समय में विभिन्न राजकोषों से निकासी की गयी रकम के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न मामलों को दायर किया गया था।

अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जायेगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तर्क

- यद्यपि "यह एक ही षड्यंत्र था" परन्तु इसके दौरान "अलग-अलग समय में अलग-अलग अपराधी शामिल रहे",अर्थात विभिन्न वित्तीय वर्षों में विभिन्न कोषों से धन की निकासी की गयी।
- संविधान में एक ही अपराध के लिए दो बार सजा देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन इस तरह के अपराध के लिए दोषी करार दिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि समान तरीकों (modus oparandi) से अंजाम दिए गए किसी अन्य मामले में ट्रायल नहीं किया जाएगा।
- एक ही षड्यंत्र के अलग-अलग अपराधों के लिए एक ही ट्रायल अपराधियों को बच निकलने में सहायता करेगा और ऐसे ही अन्य अपराध करने के लिए प्रेरित करेगा।

अन्य संबंधित मुद्दे

- झारखंड उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में दूसरे आरोपी के संबंध में "विरोधाभासी" निर्णय दिया था। इस प्रकार, निर्णय प्रक्रिया में असंगति न्यायिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास और विश्वसनीयता को प्रभावित करेगी।
- आरोप मुक्त किये जाने के निर्णय के विरुद्ध अपील दर्ज़ करने में CBI के द्वारा की गयी देरी ने इस एजेंसी की प्रतिष्ठा को भी चोट पहुँचाई है।

1.10. अनुच्छेद-142 और न्यायिक संयम की आवश्यकता

(Article 142 And The Need For Judicial Restraint)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राजमार्गों पर शराब प्रतिबंधित करने एवं बाबरी मस्जिद गिराने से संबंधित दो मामलों पर संयुक्त ट्रायल का आदेश देने जैसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद-142 के लगातार उपयोग की आलोचना की जा रही है।

अनुच्छेद 142 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में **पूर्ण न्याय** करने के लिए आवश्यक हो।

चिंता का कारण

- **असीमित शक्ति** - अनुच्छेद-142 असीमित शक्ति का स्रोत नहीं है और इसका उपयोग संयम के साथ करना चाहिए। इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए कि यह **न्यायिक अतिसक्रियता** प्रतीत ना हो।
- **नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करता है** - ये दोनों निर्णय एक मामले में अभियुक्त के

- **असंवैधानिक** - यह **'शक्ति के पृथक्करण'** के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो कि संविधान के बुनियादी ढाँचे का हिस्सा है।
- चूंकि सुप्रीम कोर्ट के 31 न्यायाधीश, निर्णय करने के लिए दो या तीन न्यायाधीशों को मिलाकर बनने वाली बेंच के रूप में तेरह डिवीजनों में बैठते हैं और प्रत्येक बेंच एक-दूसरे से स्वतंत्र होती है। अतः **विवेकाधिकारों के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है।**

आगे की राह

हालांकि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-142 का प्रयोग उचित रूप से किया है, जैसे- यूनियन कार्बाइड केस, ताजमहल की सफाई, जेलों से विचाराधीन (अंडरट्रायल) कैदियों की रिहाई इत्यादि। फिर भी अनुच्छेद-142 के प्रयोग के दौरान समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को सम्पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए कुछ नियमों के अनुसरण पर विचार किया जाना चाहिए:

- अनुच्छेद 142 से संबंधित मामलों को कम से कम पाँच न्यायाधीशों से मिलकर बनने वाली संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए ताकि अनुच्छेद-142 से संबंधित अनिश्चितताओं को कम किया जा सके।
- जिन मामलों में अदालत के द्वारा अनुच्छेद-142 का प्रयोग किया जाता है उनके संबंध में सरकार को इसके लाभकारी एवं नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक **श्वेतपत्र** लाना चाहिए। निर्णय की तिथि से छह महीने के बाद या इससे संबंधित तारीख से इस प्रक्रिया को आरम्भ किया जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट को अपने बार-बार दोहराए गए उस सिद्धांत का पालन करना चाहिए जिसके अनुसार अन्य कोई वैधानिक उपाय उपलब्ध होने पर संविधान के अनुच्छेद-142 का प्रयोग अनुचित है।

1.11. न्यायिक आचरण

(Judicial Conduct)

मुद्दा:

- पहली बार, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना के आरोप में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश (न्यायमूर्ति कर्णन) को छः माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा जारी किए गए उन पत्रों का *स्वतः* संज्ञान लिया जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
- इससे पहले न्यायमूर्ति कर्णन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और छः अन्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत पांच साल के कारावास की सजा सुना दी थी।

उत्पन्न चिंताएँ

- **महाभियोग के अतिरिक्त** उच्चस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए **किसी भी मशीनरी का अभाव** है।
- **महाभियोग के संबंध में समस्याएं** - यह राजनीतिक जटिलताओं से युक्त एक लम्बी और कठिन प्रक्रिया है।
- **केवल अनौपचारिक उपायों की उपलब्धता**- कार्यभार में परिवर्तन, सभी न्यायिक कार्यों से मुक्त करना या किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण करने जैसे अनौपचारिक उपाय उपलब्ध हैं, लेकिन ये उपाय न्यायमूर्ति कर्णन के मामले जैसी स्थिति में विश्वसनीय निवारण उपलब्ध नहीं करा पाते।
- **न्यायपालिका की बदनामी** - न्यायिक आचरण के मानकों की उपेक्षा तथा सर्वोच्च न्यायालय को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने से न्यायपालिका की छवि और इस पर पर लोगों का विश्वास नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।
- **लोकतंत्र और विधि के शासन का उपहास**- न्यायमूर्ति कर्णन के अनुशासनहीन व्यवहार के बावजूद उनका इतने लंबे समय तक न्यायाधीश के रूप में अपने पद पर बने रहना लोकतंत्र और विधि के शासन के उपहास के रूप में देखा जा सकता है।
- **न्यायालयों की निष्पक्षता** - न्यायमूर्ति कर्णन को अवमानना की कार्यवाही के दौरान अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।
- **न्यायपालिका द्वारा स्वयं का निष्कासन**- अदालत की अवमानना के मामले में सम्भव है कि न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति कर्णन को न्यायाधीश के पद से हटा दे। यह एक प्रकार से न्यायिक रूप से आदेशित 'महाभियोग' हो जायेगा।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति कर्णन के किसी भी वक्तव्य को प्रकाशित करने से मीडिया को रोकना, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से अनुचित है। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा करने से बचना चाहिए था भले ही यह कार्यवाही को मज़बूत बनाने के लिए किया गया हो।

आगे की राह:

- **अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु न्यायपालिका से पृथक एक प्राधिकरण** - यह एक समाधान है जिस पर चर्चा की जा रही है। हालांकि, इसमें कई दोष हैं, यथा:-

✓ न्यायिक स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे।

✓ प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध कोई भी निर्णय लेने में न्यायाधीशों को डर लग सकता है, जैसाकि आपातकाल के दौरान देखा गया था।

✓ संविधान पूर्ण न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जिसमें संसद या कार्यपालिका द्वारा न्यायिक आचरण या निर्णयों में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

कुछ कदम जो उठाये जा सकते हैं:-

- **नियुक्ति-** कॉलेजियम को पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उच्चतर न्यायालयों में केवल उच्च योग्यता तथा निष्कलंक सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीश ही नियुक्त हो सकें। इस हेतु न्यायाधीशों के चयन में **अधिक पारदर्शिता** की आवश्यकता है।
- **वृहत्तर आंतरिक विनियमन-** न्यायमूर्ति कर्णन के मामले में ऐसे कई मौके आये थे जब न्यायाधीश ने अनुपयुक्त व्यवहार किया था। इस तरह के अनुपयुक्त व्यवहार के पहले ही मौके पर त्वरित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इसके लिए संसद द्वारा एक **नेशनल जुडीशिअल ओवरसाइट कमेटी** का गठन किया जाना चाहिए, जो शिकायतों के परीक्षण और जाँच के लिए आवश्यकता अनुरूप स्वयं अपनी प्रक्रियाओं को विकसित करे। साथ ही साथ इस समिति के सृजन के कारण न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

2. अंतर्राष्ट्रीय/ भारत और विश्व

(INTERNATIONAL/ INDIA AND WORLD)

2.1. भारत-पाकिस्तान

(India-Pakistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice: ICJ) ने अंतिम निर्णय देने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य न्यायालय द्वारा जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गयी थी।

- न्यायालय ने कहा कि विएना कन्वेंशन के अनुसार भारत को कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान करने का मौका दिया जाना चाहिए था।
- पाकिस्तान को अब इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए उठाये गए कदमों के बारे में न्यायालय को सूचित करना चाहिए।
- ICJ के न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया है कि ये अनंतिम उपाय उस देश पर बाध्यकारी हैं तथा साथ ही उस पर अंतरराष्ट्रीय विधिक बाध्यता आरोपित करते हैं, जिसे संबोधित करते हुए ये सुनाये गए हैं।

कुलभूषण जाधव केस की पृष्ठभूमि

कुलभूषण जाधव को 3 मार्च, 2016 को पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर बलूचिस्तान के चमन इलाके में गिरफ्तार किया गया था।

- भारत ने जाधव के भारत सरकार से किसी भी प्रकार के संपर्क की बात को नकार दिया है। सरकार ने कहा कि वह नौसेना से "समयपूर्व सेवानिवृत्ति" के बाद ईरान के बंदरगाह शहर चाबहार में एक व्यवसाय चला रहा था।
- भारत का मानना है कि कुलभूषण जाधव को ईरान से अपहृत कर लिया गया था तथा उसके बाद पाकिस्तान में उसकी उपस्थिति की विश्वसनीय व्याख्या नहीं की गयी है।
- कुलभूषण जाधव को साढ़े तीन महीने की सुनवाई के उपरांत एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा जासूसी के आरोप में दोषी सिद्ध कर 10 अप्रैल 2017 को मौत की सजा सुनाई गई थी।

भारत द्वारा मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाना

- जाधव को राजनयिक पहुंच देने से इनकार करने और राजनयिक संबंधों पर विएना कन्वेंशन का उल्लंघन करने के कारण भारत ने 8 मई 2017 को पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
- भारत ने पाकिस्तान पर विएना कन्वेंशन का उल्लंघन करने और "पर्याप्त सबूतों (shred of evidence)" के बिना जाधव को दोषी ठहराए जाने को लेकर "दोषपूर्ण सुनवाई" (farcical trial) करने का आरोप लगाया।

ICJ में भारत के तर्क:

15 मई, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव मामले में भारत द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं:

- कुलभूषण जाधव को उचित कानूनी सहायता पाने तथा राजनयिक पहुंच का अधिकार प्रदान नहीं किया गया।
- जब तक ICJ में इस अपील पर सुनवाई जारी है तब तक जाधव को दिए गए मृत्युदंड का निष्पादन नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, यह विएना कन्वेंशन का उल्लंघन होगा।
- जाधव का ईरान से अपहरण कर लिया गया था जहां वह भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यापारिक गतिविधियों में शामिल था।

ICJ में पाकिस्तान के तर्क

ICJ द्वारा आहूत 15 मई की सुनवाई में, पाकिस्तान ने भारत के अनुरोध के साथ निम्नांकित तीन समस्याओं को रेखांकित करते हुए इस अपील को ख़ारिज करने की मांग की।

- इस मामले में कोई "तात्कालिकता" (urgency) नहीं है, क्योंकि जाधव की फांसी की तिथि अभी तक तय नहीं की गयी है;
- भारत द्वारा मांगी जाने वाली अंतिम राहत, अर्थात जाधव की दोषसिद्धि का "व्युत्क्रमण (**reversal)**" अनुपलब्ध है; तथा
- यह मामला न्यायालय (ICJ) के क्षेत्राधिकार से परे है।
- इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान ने तर्क दिया कि विएना कन्वेंशन के प्रावधान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किसी 'जासूस' पर लागू नहीं होते।

VISION IAS

विश्लेषण

भारत द्वारा ICJ में अपील का तात्कालिक उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। इसके तहत पाकिस्तान को वे सभी कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया है जिससे इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक कुलभूषण जाधव की सजा स्थगित रहे।

- यह क्षेत्राधिकार, तात्कालिकता और पाकिस्तान द्वारा विएना कन्वेंशन का उल्लंघन करने के मुख्य आरोपों के मुद्दों पर भारत के लिए एक पूर्ण जीत है। हालांकि, यह एक प्रारंभिक निर्णय है और सभी मुद्दे अंतिम चरण के निर्णय तक खुले हैं।
- एक तात्कालिक परिणाम के रूप में, पाकिस्तान अब जाधव को राजनयिक पहुंच देने के दायित्व के अधीन है।
- भारत को इस फैसले से नैतिक और कूटनीतिक लाभ उठाते हुए सिविलियन कोर्ट के समक्ष जाधव की बेगुनाही साबित करने और स्वतंत्र होने में जाधव की मदद करनी होगी।

विशेषता	**अंतरराष्ट्रीय न्यायालय International Court of Justice (ICJ)**	**अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय International Criminal Court (ICC)**
स्थापना	1946	2002
संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्बन्ध	संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक न्यायालय, जिसे सामान्यतः "विश्व न्यायालय" कहा जाता है।	स्वतंत्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मामलों के रेफरल प्राप्त कर सकता हैं। संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई या रेफरल के बिना अभियोजन शुरू कर सकता हैं।
अवस्थिति	पीस पैलेस, हेग, नीदरलैंड्स	हेग, नीदरलैंड्स
क्षेत्राधिकार	संयुक्त राष्ट्र के सदस्य-राज्य (अर्थात् राष्ट्रीय सरकार)	व्यक्तिगत
मुकदमों के प्रकार	(1) पक्षों के बीच विवाद (2) सलाहकारी राय	व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा
विषय वस्तु	संप्रभुता, सीमा विवाद, समुद्री विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, मानवाधिकार, संधि के उल्लंघन, संधि व्याख्या तथा अनेक अन्य मामले।	नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता के अपराध
प्राधिकृत करने वाली विधिक प्रक्रिया	अनुच्छेद 93 के तहत, जो राज्य UN चार्टर का समर्थन करते हैं ICJ संविधि के भागीदार बन जाते हैं। गैर-संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य भी ICJ संविधि का समर्थन करके ICJ में भागीदार बन सकते हैं। प्रत्येक राज्य को सुनिश्चित समझौते, घोषणा या संधि उपबंध के अनुसार किसी भी विवादास्पद मामले को सहमति प्रदान करनी होगी।	रोम संविधि (भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है)
अपीलें	कोई नहीं। विवादास्पद मामले में ICJ निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी है। यदि कोई देश निर्णय का पालन करने में विफल रहता है, तो यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाया जा सकता है, जिसमें प्रवर्तन की समीक्षा करने, सिफारिश करने और निर्णय करने का अधिकार है।	अपील चैंबर। रोम संविधि का अनुच्छेद 80, निर्दोष सिद्ध कर दिए गए किसी अभियुक्त के निरोध की अनुमति प्रदान करता है जिसकी अपील लंबित हो।

VISION IAS

2.2. भारत-श्रीलंका

(India-Sri Lanka)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में होने वाले UN वेसाक डे (UN Vesak day) समारोह में भाग लेने के लिए श्रीलंका का दौरा किया।

इस यात्रा की मुख्य विशेषताएं

- प्रधानमंत्री ने कहा कि वेसाक डे की थीम **"सोशल जस्टिस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड पीस"** बुद्ध की शिक्षाओं से गहराई से सम्बद्ध हैं।
- प्रधानमंत्री ने भारत की सहायता से बने डिकोया हॉस्पिटल का उद्घाटन किया।
- उन्होंने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों की भावना का स्वागत करते हुए आतंरिक क्षेत्रों में 10,000 अतिरिक्त घरों के निर्माण तथा इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस का विस्तार करने की घोषणा की।

वेसाक क्या है?

वेसाक (सिंहली), वेसाखा (पाली), वैसाखा (संस्कृत) श्रीलंका के पारंपरिक चंद्र कैलेंडर (लूनर कैलेंडर) में दूसरे महीने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले नाम है। यह ग्रेगोरीयन कैलेंडर (सोलर कैलेंडर) के मई महीने के अनुरूप है।

- वेसाक महीने में पूर्णिमा के दिन राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, वे बुद्ध हुए और फिर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।
- वेसाक बौद्ध इतिहास के तीन महत्वपूर्ण स्थानों से सम्बद्ध है; ये स्थान हैं- राजकुमार सिद्धार्थ का जन्मस्थान नेपाल में लुम्बिनी; भारत के बिहार में स्थित बोधगया (बुद्ध गया), जहाँ बुद्ध ने एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और भारत के ही उत्तर प्रदेश में कुशीनगर (कुसीनारा) है, जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।

यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल डे ऑफ़ वेसाक

इंटरनेशनल डे ऑफ़ वेसाक, UN द्वारा वर्ष 1999 में घोषित किया गया एक राष्ट्रीय अवकाश है। इस हेतु प्रस्ताव श्रीलंका द्वारा पेश किया गया था। वर्ष 2017 में, यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल डे ऑफ़ वेसाक का आयोजन श्रीलंका ने किया। इसका विषय (थीम) **"बुद्धिस्ट टीचिंग्स फॉर सोशल जस्टिस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड पीस" (Buddhist Teachings for Social Justice and Sustainable World Peace)** था।

2.3. भारत- फिलिस्तीन

(India-Palestine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हाल ही में भारत का दौरा किया।

इस यात्रा की मुख्य विशेषताएं

- भारत और फिलिस्तीन ने **पांच समझौता ज्ञापनों** (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति अब्बास की यात्रा के दौरान किये गए MoUs की सूची में शामिल हैं:

✓ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट पर वीजा इग्ज़ेम्शन (Visa Exemption) पर MoU

✓ युवा मामलों और खेल में सहयोग पर MoU

✓ कृषि सहयोग पर MoU

✓ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर MoU

✓ सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर MoU

- **फिलिस्तीन के लिए "राजनीतिक समर्थन":**

✓ भारत ने फिलिस्तीन के मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।

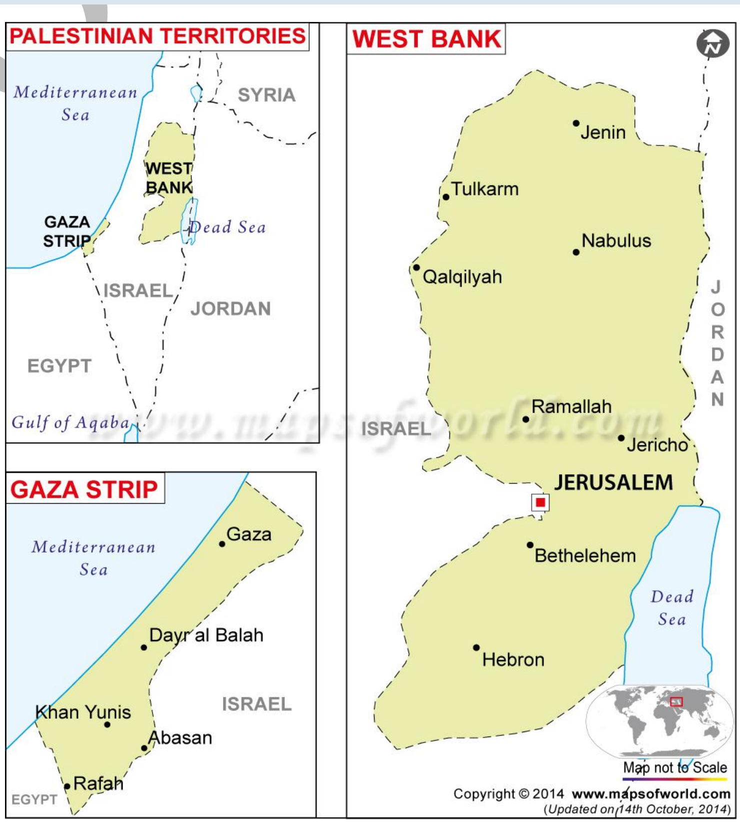

VISION IAS

- ✓ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक सार्वभौम, स्वतंत्र, एकीकृत और सक्षम फिलिस्तीन की उम्मीद करता है, जो इज़राइल के साथ शांतिपूर्वक रहे।
- **फिलिस्तीन और इज़राइल के मध्य शांति वार्ता**
- ✓ भारत आशा करता है कि फिलिस्तीनी और इजरायली पक्षों के बीच व्यापक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने हेतु वार्ता को शीघ्र ही पुनःआरम्भ किया जाएगा।
- **फिलिस्तीन में क्षमता निर्माण**
- ✓ भारत फिलिस्तीन को सामग्री और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है तथा रामल्लाह में 12 लाख डॉलर की लागत के एक टेक्नो पार्क का निर्माण कर रहा है।
- दोनों देशों ने दोनों पक्षों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि करने पर जोर दिया है। भारत ने अगले महीने आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने हेतु फिलिस्तीन को आमंत्रित किया है।
- फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के सभी रूपों और इसकी सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों की निंदा की। साथ ही इस संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान किया।

पृष्ठभूमि

भारत और फिलिस्तीन के मध्य ऐतिहासिक रूप से करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।

- 1947 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ मतदान किया था।
- 1974 में फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में फिलीस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) को स्वीकारने वाला भारत पहला गैर-अरब राज्य था। भारत 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले प्रारंभिक देशों में से एक था।
- 1996 में, भारत ने गाज़ा में फिलिस्तीन अथॉरिटी के लिए अपना प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया, जिसे बाद में 2003 में रामल्लाह में स्थानांतरित कर दिया गया।

2.4. भारत तथा यूरोपीय संघ

(India and EU)

2.4.1. भारत तथा स्पेन

(India and Spain)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पेन की यात्रा की। यह लगभग तीस वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्पेन यात्रा थी।

भारत–स्पेन सम्बन्ध:

- स्पेन, यूरोपीय संघ में भारत का सातवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। 2016 में भारत एवं स्पेन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार करीब 5.27 अरब डॉलर का रहा।
- स्पेन भारत में निवेश करने वाला 12वाँ सबसे बड़ा निवेशक है।

समझौता ज्ञापनों की सूची:

- सजायाफ़्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण के लिए समझौता
- भारत के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तथा स्पेन के राष्ट्रीय प्रत्यारोपण संगठन के बीच अंग प्रत्यारोपण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- साइबर सुरक्षा में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- अक्षय ऊर्जा में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- सिविल एविएशन में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता
- विदेश सेवा संस्थान और स्पेन के राजनयिक अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन

2.4.2. भारत और नीदरलैंड्स

(India and Netherlands)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में डच सहयोग से नई दिल्ली के बारापुल्ला ड्रेन की सफाई का कार्य प्रारंभ करने हेतु आधारशिला रखी गई।

परियोजना के बारे में

- लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम फॉर हेल्दी री यूज (**LOTUS HR**) परियोजना, भारत-नीदरलैंड की एक संयुक्त परियोजना है। इसका वित्त-पोषण भारत सरकार और नीदरलैंड सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

VISION IAS

- इस परियोजना में भारत और नीदरलैंड दोनों देशों के शिक्षा और उद्योग जगत के प्रमुख हितधारक शामिल हैं।
- रोगाणुओं को समाप्त करने और परंपरागत एवं नवीन रूपों वाले प्रदूषकों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2.4.3. भारत और जर्मनी

(India and Germany)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की आधिकारिक यात्रा की। द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु भारतीय प्रधानमंत्री और सुश्री एंजेला मर्केल द्वारा अंतर-सरकारी परामर्श (IGC) के चौथे दौर की वार्ता संपन्न की गयी।

हस्ताक्षर किए गए समझौतों में 9 जॉइंट इंटेंट ऑफ़ डिक्लेरेशन (JDI) की घोषण और तीन समझौता ज्ञापन (MOU) शामिल हैं:

9 जॉइंट इंटेंट ऑफ़ डिक्लेरेशन (JDI)

- डिजिटलीकरण, सशक्तिकरण और आर्थिक प्रभाव के क्षेत्र में
- इंडो-जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी की स्थापना के लिए
- साइबर नीति पर सहयोग के लिए
- भारत से कॉर्पोरेट और जूनियर एग्जीक्यूटिव को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में सहयोग जारी रखने के लिए
- वित्त मंत्रालय और BMZ (आर्थिक सहयोग एवं विकास के लिए संघीय मंत्रालय) के बीच भारत-जर्मन विकास सहयोग पर
- मशीन टूल्स के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास में सहयोग करने पर
- विदेश मंत्रालय और जर्मन विदेश कार्यालय के बीच विदेश सेवा संस्थानों के बीच सहयोग के संबंध में
- रेल सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर
- सतत शहरी विकास के लिए सहयोग पर

तीन समझौता ज्ञापन (MOU)

- भारतीय कौशल विकास अधिकारी और क्लस्टर प्रबंधकों के प्रशिक्षण के सहयोग से संबंधित समझौता।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर समझौता
- AYUSH और BMG (स्वास्थ्य से संबंधित संघीय मंत्रालय) के बीच वैकल्पिक चिकित्सा में सहयोग।

पृष्ठभूमि

- **NSG सदस्यता:** जर्मनी ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है।

UNSC सुधार:

- दोनों नेताओं ने G-4 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में "टेक्स्ट-बेस्ड" सुधारों पर चल रही अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) पर अन्य सुधार समर्थक देशों और समूहों के प्रभावशाली प्रयासों की सराहना की है।
- दोनों देशों ने परिष्कृत और विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की उम्मीदवारी को पूर्ण समर्थन देने की बात दोहराई।

रणनीतिक सहयोग:

- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए मौजूदा और उभरती हुई चुनौतियों का समाधान करने हेतु भारत और जर्मनी ने G-20, संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय और अन्य सहयोगियों के साथ आपसी समन्वय बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

आतंकवाद

- भारत और जर्मनी ने किसी भी देश द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहित किये जाने, सहायता और वित्त उपलब्ध कराए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने का संकल्प भी व्यक्त किया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन को जल्द से जल्द अपनाने का आवाहन किया है।

भारत के लिए जर्मनी का महत्व

3.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ जर्मनी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा यूरोपीय संघ के बजट में लगभग 20% का योगदान करता है।

VISION IAS

व्यापक-आधारित व्यापार और निवेश समझौता (BTIA) में गतिरोध

BTIA वार्ताएं दोनों पक्षों के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण लंबित हैं। क्योंकि दोनों देश व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात के लिए अधिक से अधिक बाज़ार पहुँच की मांग कर रहे हैं।

यूरोपीय संघ की मुख्य मांगें

- ऑटोमोबाइल, शराब और स्प्रिट सहित कई क्षेत्रों में टैरिफ को कम करने या हटाने पर यूरोपीय संघ ज़्यादा ज़ोर दे रहा है
- यूरोपीय संघ के 10 फीसदी के मुकाबले भारत में कार आयात शुल्क 60 और 120 फीसदी के बीच है।
- यूरोपीय संघ यह चाहता है कि भारत कड़े IP संरक्षण मानकों को अपनाए, भले ही यह WTO के निर्दिष्ट मानकों से परे ही क्यों न हो।
- **भारत के BIT मॉडल की समस्या:** भारत का नया द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) मॉडल एक और बड़ा विवादास्पद मुद्दा है, विशेष रूप से विदेशी निवेश के संदर्भ में। वोडाफोन और केयर्न जैसी प्रमुख यूरोपीय कंपनियां भारत द्वारा पूर्वव्यापी कर (retrospective taxes) लगाने कारण मुश्किलों का सामना कर रही हैं। इनके अनुभवों को देखते हुए यूरोपीय संघ भारत में अपने निवेश के संरक्षण को लेकर भी गंभीर रूप से चिंतित है।

भारत की मुख्य मांगें

- भारत की मुख्य मांग डाटा सुरक्षा दर्जा प्रदान किए जाने (यह यूरोपीय संघ की कंपनियों के साथ अधिक व्यापार करने हेतु भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अति महत्वपूर्ण है), कुशल पेशेवरों की आसान अस्थायी आवाजाही और कॉर्पोरेट जगत की निर्बाध आपसी आवाजाही को संभव बनाने की है।
- यूरोपीय संघ को अपनी गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करना चाहिए, जो बेहतर सुरक्षा या गुणवत्ता की बजाय मुख्य रूप से स्थानीय कंपनियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं।
- भारत ने यूरोपीय संघ में कृषि बाज़ार पहुँच की मांग, सैनिटरी एवं फाइटोसैनेटरी (पौधों और जानवरों से संबंधित मानदंड) प्रावधानों तथा व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाओं को नियमबद्ध करने की मांग की है।

- जर्मनी, यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है तथा साथ ही भारत- यूरोपीय संघ के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौते पर होने वाली चर्चा में महत्वपूर्ण मध्यस्त भी है।
- वर्तमान में जर्मनी भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले अग्रणी देशों में से एक है। भारत में लगभग 1,800 जर्मन कंपनियाँ व्यवसाय कर रही हैं।
- भारत और जर्मनी वर्ष 2000 से ही रणनीतिक साझेदार रहे हैं।
- जर्मनी और भारत ,अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र **(IOR)** में कनेक्टिविटी और विकास से संबंधित संयुक्त परियोजनाओं की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। दोनों देश चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' से संबंधित सभी सामान्य पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं।
- दोनों देशों के द्वारा उठाये जाने वाले कदमों से स्पष्ट होता है कि दोनों सरकारों में 'मध्यम शक्ति सहयोग' (**middle power cooperation)** के संबंधों का विकास करने की इच्छाशक्ति विद्यमान है।
- भारत के पास अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित महत्वाकांक्षी योजनाएँ है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत और जर्मनी के लिए उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं विद्यमान हैं।

2.5. भारत-अफ्रीका

(India-Africa)

2.5.1. अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की दूसरी वार्षिक बैठक

[2nd Annual Meeting of African Development Bank (AFDB)-2017]

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक गांधीनगर, गुजरात में संपन्न हुई।

बैठक के बारे में

- यह पहली बार था, जब **AFDB** की वार्षिक बैठक का आयोजन भारत में किया गया।
- अफ्रीका में कृषि के महत्व तथा इस बैंक के विकास कार्यों को दर्शाते हुए, वर्ष 2017 की इस वार्षिक बैठक की थीम **"ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फॉर वेल्थ क्रिएशन इन अफ्रीका"** थी।

VISION IAS

AfDB के बारे में

- **AfDB** या बैंक अफ्रिकेन डी डेवलपमेंट (Banque Africaine de Developpment-BAD) एक **मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (बहुपक्षीय विकास वित्त संस्था)** है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी तथा इसमें तीन संस्थाएं शामिल हैं: अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट फण्ड और नाइजीरिया ट्रस्ट फंड।
- इसका लक्ष्य गरीबी से मुकाबला करना है, साथ ही इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने वाली परियोजनाओं और कार्यक्रमों में सार्वजनिक और निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देते हुए महाद्वीप में निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
- गांधीनगर में आयोजित की गई बैठक अफ्रीका से बाहर आयोजित की जाने वाली AfDB की वार्षिक बैठकों में चौथी बैठक है। AfDB की अगली बैठक का आयोजन वर्ष 2018 में दक्षिण कोरिया के बुसान में किया जाएगा।
- भारत वर्ष 1983 में **AfDB** में शामिल हुआ। भारत इस बैंक का एक गैर-क्षेत्रीय सदस्य है।

भारत के लिए बैठक का महत्व

- इस बैठक को वर्ष 2015 में नई दिल्ली में आयोजित **भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन** का स्वाभाविक परिणाम माना जा रहा है।
- चूंकि भारत ने चीन के बेल्ट और रोड पहल में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। अतः चीन से इस क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता बनाए रखने के लिए तथा भारत एवं भारत से भारत से बाहर इसके आर्थिक एवं अन्य प्रकार के हितों एवं भूगोल को देखते हुए विभिन्न प्रकार की कनेक्टिविटी, बुनियादी ढाँचे और विकास संबंधी परियोजनाओं के प्रति भारत सरकार के दृष्टिकोण को समझने के संदर्भ में इस बैठक के महत्व को समझा जा सकता है।

भारत-अफ्रीका संबंध

- पिछले 15 वर्षों में अफ्रीका और भारत के बीच व्यापार में कई गुने की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि यह पिछले पांच वर्षों में बढ़ कर दो गुना होते हुए वर्ष 2014-15 में लगभग 72 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
- भारत अफ्रीका महाद्वीप में निवेश करने वाला पाँचवाँ सबसे बड़ा देश है, जिसने पिछले 26 वर्षों में 54 अरब डॉलर का निवेश किया है।
- एक्ज़िम बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कुल 8 अरब डॉलर की 152 क्रेडिट लाइनों को 44 देशों तक बढ़ा दिया गया है।
- भारत द्वारा अगले पाँच वर्षों में विकास परियोजनाओं हेतु 10 अरब डॉलर का प्रस्ताव रखा गया है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2015 में आयोजित भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा 60 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराई गई थी।
- अफ्रीका को भारत द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस (ISA) के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ISA के 24 सदस्यों में एक दर्जन से भी अधिक सदस्य अफ्रीका से हैं। वास्तव में अफ्रीका महाद्वीप को सौर ऊर्जा का पावरहाउस माना जाता है।

2.5.2. एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर

(Asia-Africa Growth Corridor)

सुर्खियों में क्यों?

AfDB की बैठक में भारत द्वारा एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) से संबंधित एक विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया गया। इसमें जापान भारत का सहयोगी है।

कॉरिडोर के बारे में

- इस विज़न डॉक्यूमेंट का निर्माण संयुक्त रूप से भारत एवं जापान के थिंक-टैंक द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत रिसर्च एंड इनफार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कन्ट्रीज (RIS), इकॉनोमिक रिसर्च इंस्टीट्युट फॉर ASEAN एंड ईस्ट एशिया (ERIA), और इंस्टीट्युट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स - जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (IDE-JETRO) तथा एशिया और अफ्रीका के अन्य थिंक-टैंक शामिल हैं।
- **इस कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य एशिया और अफ्रीका के मध्य विकास और संपर्क को बढ़ावा देना है।**
- कॉरिडोर **चार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित** करेगा: विकास सहयोग परियोजनाएं, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा एवं संस्थागत संपर्क, कौशल विकास और पीपल-टू-पीपल पार्टनरशिप।
- विकास कार्यो में सहयोग के लिए प्रमुख क्षेत्रों के रूप में कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन की पहचान की गई है।

VISION IAS

2.6. साउथ एशिया सेटेलाइट

(South Asia Satellite)

यह उपग्रह पूर्णतया भारत द्वारा वित्तपोषित, पहला दक्षिण एशियाई उपग्रह (GSAT-9) है। हाल ही में इसरो द्वारा इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। इसने भारत की ***नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी*** को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत को विशिष्ट रूप से अंतरिक्ष कूटनीति में नामांकित किया है।

साउथ एशिया सेटेलाइट के बारे में

- यह उपग्रह भारत की ओर से दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक उपहार है। इसका वजन 2,230 किग्रा है तथा इसका उपयोग **जिओसिंक्रोनस कम्युनिकेशन** और मौसम विज्ञान सम्बन्धी गतिविधियों के लिए किया जायेगा।
- इससे प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण, टेलीमेडिसिन, IT कनेक्टिविटी, DTH कनेक्टिविटी, अपेक्षाकृत अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति त्वरित अनुक्रिया जैसे लाभ मिलेंगे।
- पाकिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देश इस परियोजना का हिस्सा हैं। इसलिए इसे "सार्क सेटेलाइट" न कहकर साउथ एशिया सेटेलाइट नाम दिया गया है।
- इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है:-

✓ यह **इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन** का उपयोग करने वाला पहला भारतीय उपग्रह है।

✓ यह *GSLV क्रायोजेनिक अपर स्टेज* की लगातार चौथी सफलता है जिससे इस तकनीकी की बेहतर भविष्य की क्षमता का संकेत मिलता है।

भारत के लिए अंतरिक्ष कूटनीति का महत्व

- **शांतिपूर्ण और समृद्ध पड़ोस** -इस लांच ने निरंतर सहयोग हेतु मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की नेबरहूड पॉलिसी को सशक्त किया है।
- **अंतरिक्ष राजस्व**- भारत की प्रक्षेपण क्षमताओं के कारण अंतरिक्ष राजस्व की काफी संभावनाएं हैं। इंडोनेशिया, कजाकिस्तान सहित कई देश अंतरिक्ष मामलों में इसरो के साथ सहयोग करना चाहते हैं।
- **अंतरिक्ष में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना**- चीन कूटनीति के लिए अंतरिक्ष का शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए: चीन द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों के साथ मिलकर एशिया-प्रशांत अंतरिक्ष सहयोग की स्थापना तथा श्रीलंका में अंतरिक्ष अकादमी की स्थापना।
- **वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में पहचान बनाए रखने के लिए** - अंतरिक्ष अभियान के क्षेत्र में 60 से अधिक देश प्रयास कर रहे है। इस दिशा में अधिकांश एशियाई देशों के शामिल होने के कारण, भविष्य में अंतरिक्ष में सहयोग को भारत के विदेश नीति निर्धारको के रूप में देखा जा रहा है।
- **सामाजिक समस्याओं के लिए सहयोग**- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सामाजिक अनुप्रयोगों के क्षेत्र में भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है। इस तरह हम अंतरिक्ष में दूसरे देशों की क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग करके भूमि, जल, वन, फसल आदि से सम्बंधित समस्याओं को हल कर सकते हैं।

2.7. UN-हेबिटेट

(UN-Habitat)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत को सर्वसम्मति से UN-हैबिटेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। UN-हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। यह समग्र विश्व में स्थायी मानवीय बस्तियों के निर्माण को बढ़ावा दे रहा है।

- भारत की ओर से, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अगले दो वर्षों के लिए UN-हैबिटेट के गवर्निंग काउंसिल (GC) की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। UN-हैबिटेट की गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों की संख्या 58 है।
- **वर्ष 1978** में **UN-हैबिटेट** की स्थापना की गई। वर्ष 1988 और वर्ष 2007 के बाद यह **तीसरा मौक़ा** है जब भारत को इस संगठन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है।

UN-हैबिटेट के सम्बन्ध में:

द यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन सेटलमेंटस प्रोग्राम (UN-हेबिटेट) मानव बस्तियों और सतत शहरी विकास के लिए **UN एजेंसी है।**

- इसकी स्थापना वर्ष 1976 में कनाडा के वैंकूवर में **ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट (हैबिटैट-I)** पर आयोजित हुए पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणामस्वरुप की गई थी।

- UN-हैबिटेट का मुख्यालय **नैरोबी, केन्या में** संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में ही स्थित है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सभी के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ-साथ सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायित्वपूर्ण कस्बो और शहरों को बढ़ावा देने के लिए अधिदेश (मेंडेट) प्रदान किया गया है।
- यह **यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप** का सदस्य है।
- UN-हैबिटेट को अधिदेश (मेंडेट) वर्ष 1996 में इस्तांबुल, टर्की में हुए **यूनाइटेड नेशन्स कांफ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट (हैबिटैट II)** द्वारा अपनाए गए हेबिटेट एजेंडा से प्राप्त होता है।

2.8. वन बेल्ट वन रोड (OBOR) समिट

[One Belt One Road (OBOR) Summit]

चीन ने भव्य दो दिवसीय OBOR शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में चीन ने अपने व्यापार मार्गों के नेटवर्क- **वन बेल्ट, वन रोड (OBOR)** का निर्माण करने की योजनाओं का प्रदर्शन किया। OBOR एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ेगा।

- बीजिंग में संपन्न हुए *वन बेल्ट, वन रोड* या *बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)* फोरम में देश या सरकार के 29 प्रमुखों और लगभग 100 देशों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।
- भूटान को छोड़कर, भारत के सभी पड़ोसियों ने इस शिखर सम्मेलन के लिए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजे थे।
- चीन ने वन बेल्ट वन रोड (OBOR) को विश्व के लिए अत्यधिक आर्थिक महत्व (**immense economic sense**) का बताया और इसे 'सदी के महानतम प्रोजेक्ट (**project of the century**)' के रूप में प्रस्तुत किया।

OBOR पर भारत की आपत्ति

भारत ने **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** शिखर सम्मेलन से दूर रहकर अपनी चिंताएं सार्वजनिक कर दी हैं। जैसे;-

- पहला कारण, BRI की एक प्रमुख परियोजना **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)** है। यह गलियारा गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है तथा इसमे भारत की "संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता" की अनदेखी की गई है।
- भारत का दावा है कि चीन न केवल भारत की संप्रभुता के प्रति असंवेदनशील है, बल्कि इसने बेल्ट एंड रोड पहल (पहले वन बेल्ट वन रोड कहा गया है) के लिए अपनी योजना का खुलासा भी पूरी तरह नहीं किया है। चीन के एजेंडे में पारदर्शिता की कमी है। भारत का मानना है कि BRI सिर्फ एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए चीन इसे बढ़ावा दे रहा है।
- दूसरा कारण **BRI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर (BRI infrastructure project structure)** है, जो चीन के नव-उपनिवेशवाद के चरित्र को दर्शाता है। ऐसी परियोजनाएं छोटे देशों को ऋण के चक्र में धकेल सकती हैं, पारिस्थितिकी को नष्ट कर सकती हैं और स्थानीय समुदायों के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं।

विश्लेषण

भारत द्वारा इस बैठक में न जाने का निर्णय, NSG में भारत के प्रवेश और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद नेता मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के विरुद्ध चीन की हठधर्मिता जैसे द्विपक्षीय विवादों के एक वर्ष बाद लिया गया है।

- भारत द्वारा एक पर्यवेक्षक के रूप में भी इसमें शामिल नहीं होने का निर्णय इसके लिए कूटनीति के दरवाजे बंद कर देगा। जबकि अमेरिका और जापान जैसे देश जो BRI का हिस्सा नहीं हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं।
- भारत में कुछ लोग यह भी तर्क दे रहे है कि भारत बीजिंग सम्मेलन का बहिष्कार करके, OBOR के रूप में प्राप्त होने वाले कुछ बड़े तथा अंतहीन लाभों से वंचित रह जायेगा।
- भारत को आगे कुछ और कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं क्योंकि भारत **एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक** के एक सह-संस्थापक और **शंघाई कोऑपरेशन (जून 2017 से)** का सदस्य है और इस नाते भारत को BRI के तहत आने वाली कई परियोजनाओं को सहयोग करने के लिए कहा जाएगा।
- **संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने BRI के समर्थन** में कहा था कि BRI में वैश्विक विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण निहित है। UN महासचिव के इस रुख को देखते हुए भारत का परियोजना से दूर होना एक अच्छा विकल्प नहीं कहा जायेगा।

आगे की राह:

भारत को चीन के साथ अपनी विशिष्ट शिकायतों का सक्रिय रूप से समाधान निकालना चाहिए। अपनी चिंताओं को अन्य भागीदार देशों के साथ और अधिक प्रभावी तरीके से व्यक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत को बेहतर संपर्क (connectivity) स्थापित करने के प्रयास से बाहर रहने के बजाय स्वयं को एशियाई नेता के रूप में स्थापित करना चाहिए।

VISION IAS

- सैन्य अभ्यास **सिम्बेक्स** - यह भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना (RSN) द्वारा आयोजित एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। भारत और सिंगापुर ने **विवादित दक्षिण चीन सागर में 'सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज'** (Singapore India Maritime Bilateral Exercise :SIMBEX) का आयोजन किया।
- **कॉरपैट- इंडोनेशियाई नौसेना और भारतीय नौ्सेना** वर्ष 2002 से ही वर्ष में दो बार समन्वित गश्त (coordinated patrol :CORPAT) में भाग ले कर हिन्द महासागर क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण भाग को कमर्शियल शिपिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। अंडमान एंड निकोबार कमांड के तत्वावधान में पोर्ट ब्लेयर में भारत-इंडोनेशिया कॉर्पैट की 29वीं श्रृंखला प्रारम्भ हुई है।

2.9. ग्लोबल प्लेटफार्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन

(Global Platform for Disaster Risk Reduction-GPDRR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

GPDRR सम्मेलन का आयोजन 22-26 मई, 2017 के दौरान मेक्सिको के कानकुन में किया गया।

GPDRR के बारे में

- यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंडे के लिए समर्पित सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक प्लेटफार्म है।
- **सेंडाई फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन** (SFDRR) 2015-2030 के क्रियान्वयन की वैश्विक प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित यह प्रथम सम्मेलन था। मार्च 2015 में, जापान के सेंडाई में आयोजित 3rd UN वर्ल्ड कांफ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे UN सम्मेलन) में सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया था।
- **GPDRR** सूचना के आदान-प्रदान, हाल में हुए विकास पर चर्चा, विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त ज्ञान की साझेदारी आदि से संबंधित एक द्वैवार्षिक फोरम है। इसका लक्ष्य विभिन्न हितधारकों के मध्य बेहतर समन्वय एवं संचार के माध्यम से आपदा से संबंधित जोखिमों को कम करना है।
- इसका मुख्य कार्य 2005 के ह्योगो फ्रेमवर्क एवं 2015 के सेन्डाई फ्रेमवर्क से संबंधित वैश्विक जोखिम न्यूनीकरण समझौतों के संदर्भ में अपने अनुभवों को साझा करने और इससे (वैश्विक जोखिम न्यूनीकरण समझौतों) संबंधित रणनीतिक दिशानिर्देश तैयार करने हेतु सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं को सक्षम बनाना है।

सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है?

- यह एक 15 वर्षीय गैर-बाध्यकारी समझौता है।
- इसके अनुसार आपदा जोखिम को कम करने मे राज्य की प्राथमिक भूमिका होती है, लेकिन इस जिम्मेदारी को स्थानीय सरकार और निजी क्षेत्र सहित अन्य हितधारकों के साथ भी साझा किया जाना चाहिए।
- यह मौजूदा "ह्योगो फ्रेमवर्क" (Hyogo Framework) का संशोधित संस्करण है।

लक्ष्य- व्यक्तियों, व्यवसायों, समुदायों, देशों में जीवन, आजीविका और स्वास्थ्य तथा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिसंपत्तियों में आपदा जोखिम और उससे होने वाली हानियों मे पर्याप्त कमी लाना।

सेंडाई फ्रेमवर्क की प्राथमिकताएं

1. आपदा जोखिम को समझना;
2. आपदा जोखिम को कम करने के लिए आपदा जोखिम प्रशासन को सुदृढ़ बनाना;
3. लचीलेपन (resilience) के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना;
4. प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारियों को बढ़ाना और रिकवरी, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन को बेहतर बनाना।

VISION IAS

सेंडाई फ्रेमवर्क के सात वैश्विक लक्ष्य

1. वर्ष 2030 तक वैश्विक आपदा से होने वाली मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लाना; 2005-2015 की तुलना में 2020-2030 के बीच औसतन प्रति एक लाख वैश्विक मृत्यु दर कम करने का लक्ष्य है।
2. 2005-2015 की तुलना में 2020-2030 तक विश्व में प्रति 1,00,000 पर औसत प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना है ताकि वर्ष 2030 तक विश्व में प्रभावित लोगों की संख्या को पर्याप्त रूप से कम किया जा सके।
3. वर्ष 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में आपदा से होने वाले प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान को कम करना है।
4. लचीलेपन के विकास के माध्यम से वर्ष 2030 तक क्रिटिकल आधारभूत ढाँचे तथा बुनियादी सेवाओं में होने वाले व्यवधान में पर्याप्त कमी लाना जिनमें स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाएं शामिल हैं।
5. वर्ष 2020 तक ऐसे देशों की संख्या मे वृद्धि करनी है जो राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम रणनीतियों को अपनाएं।
6. पर्याप्त व सतत समर्थन के माध्यम से इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2030 तक अपनी राष्ट्रीय कार्ययोजनाओं को इसका पूरक बनाने के लिये विकासशील देशों में पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
7. वर्ष 2030 तक लोगों को विभिन्न प्रकार के खतरों की पूर्व चेतावनी प्रणाली की उपलब्धता और आपदा जोखिम जानकारी के उपायों में पर्याप्त वृद्धि।

2.10 आर्कटिक परिषद

(Arctic Council)

सुर्खियों में क्यों?

आर्कटिक क्षेत्र में ऑयल ड्रिलिंग करने के USA के फैसले से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए आर्कटिक परिषद की बैठक अलास्का में आयोजित की जाएगी।

आर्कटिक परिषद के बारे में

- आर्कटिक परिषद एक सलाहकारी निकाय है जो सदस्य राष्ट्रों और इसके अन्य भागीदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- इसका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण करना है।
- इसका कार्य नीति निर्माण या संसाधनों का आवंटन करना नहीं है। यह परिषद सर्वसम्मति से निर्णय लेती है।
- इसमें आठ आर्कटिक देश शामिल हैं: कनाडा, किंगडम ऑफ़ डेनमार्क (ग्रीनलैंड और फ़रो द्वीप सहित), फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका।

2.11. भारत एवं प्रशांत महासागरीय द्वीपसमूह के मध्य संधारणीय विकास पर सम्मेलन

(India-Pacific Islands Sustainable Development Conference)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा भारत और प्रशांत द्वीपों के बीच संधारणीय विकास पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया।

सम्मेलन के बारे में

- इस सम्मेलन का आयोजन फोरम फॉर इंडियन-पैसिफिक आइलैंड्स को-ऑपरेशन (FIPIC) द्वारा किया गया; द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट (TERI) इसका प्रमुख नॉलेज पार्टनर था।
- इसमें ब्लू इकॉनमी, जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु शमन (mitigation) प्रयासों, आपदा सम्बन्धी तैयारी, स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मुद्दों पर तथा नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन (NDC) के क्रियान्वयन का व्यावहारिक समाधान खोजने पर ध्यान केन्द्रित किया गया।
- इस सम्मेलन में ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने तथा सभी सहभागी देशों के बीच सार्वजनिक-निजी प्रयासों तथा संयुक्त कार्यक्रमों में भागीदारी और सहयोग प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

FIPIC के बारे में

- प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए नवंबर 2014 में **FIPIC** का गठन किया गया।
- सरकार के प्रमुखों के स्तर का पहला **FIPIC** शिखर सम्मेलन नवंबर 2014 में फिजी के सुवा में आयोजित किया गया था। भारत में अगस्त 2015 में जयपुर में **FIPIC** के दूसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

VISION IAS

2.12. हाल में हुए सैन्य अभ्यास

(Recent Military Exercises)

- **सिम्बेक्स (SIMBEX)** - यह भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ़ सिंगापुर की नौसेना (RSN) द्वारा आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। भारत और सिंगापुर ने (वर्ष 2017 में) **सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बाईलैटरल एक्सरसाइज (SIMBEX) का आयोजन विवादित दक्षिणी चीन सागर में किया।**
- **कॉरपैट (CORPAT)-** भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के द्वारा वर्ष में दो बार संयुक्त रूप से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के क्षेत्र में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल (CORPAT) का आयोजन किया जाता है। इस अभ्यास का प्रारंभ 2002 में किया गया। इसका उद्देश्य हिन्द महासागर क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण भाग को कमर्शियल शिपिंग व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित बनाए रखना है। भारत-इंडोनेशिया CORPAT श्रृंखला के 29वें संस्करण का प्रारम्भ भारतीय नौसेना की अंडमान और निकोबार कमान के तत्वावधान में पोर्ट ब्लेयर में हुआ।
- **इंडो-थाईलैंड/सियाम भारत 17:HADR (Indo-Thailand Siam Bharat 17: HADR)-** थाईलैंड के चियांग माई में आयोजित यह अभ्यास भारतीय वायु सेना और रॉयल थाईलैंड वायु सेना के बीच आयोजित होने वाला इस प्रकार का दूसरा अभ्यास है।

✓ यह **मानवीय सहायता और आपदा राहत (ह्युमनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ :HADR) पर एक टेबल टॉप अभ्यास है।**

✓ इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य आकस्मिक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, भूकंप, चक्रवात, बाढ़ आदि के दौरान राहत अभियानों की **योजना तैयार करना और उनके क्रियान्वयन के लिए SOPs (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार करना है।**

टेबलटॉप अभ्यास ये चर्चा-आधारित सत्र होते हैं, जहां टीम के सदस्य एक आपातकालीन स्थिति के दौरान अपनी भूमिकाओं पर चर्चा करने के लिए अनौपचारिक रूप से मिलते हैं और किसी विशेष आपातकालीन स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं तय करते हैं।

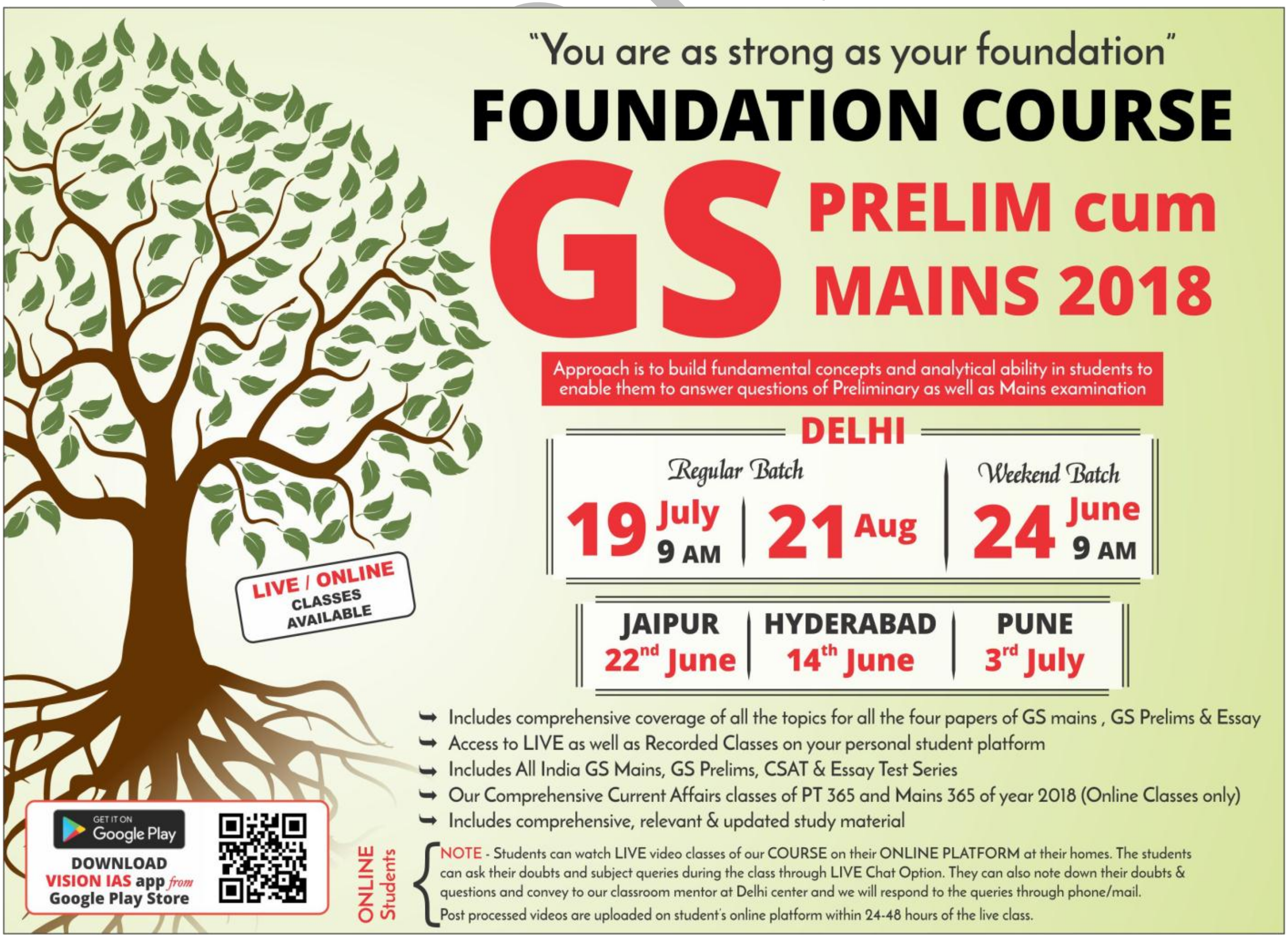

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. सम्पदा योजना

(Sampada Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने 2016-20 की अवधि के लिए **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** की योजनाओं को एक नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना- सम्पदा (SAMPADA: **स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ़ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स)** के अंतर्गत पुनर्संरचित करने की मंजूरी दे दी है।

आवश्यकता

- वैश्विक स्तर पर कुल खाद्य उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में खाद्य उत्पादों के अधिक उत्पादन के बावजूद, उपज की हानि चिंता का प्रमुख विषय है।
- भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन की तुलना में प्रसंस्करण का स्तर 10% से भी कम है।
- एक सुविकसित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अपव्यय में कमी, मूल्य वृद्धि में सुधार, फ़सल विविधीकरण को बढ़ावा, किसानों को बेहतर रिटर्न, रोजगार को बढ़ावा और निर्यात आय में बढ़ोतरी में सहायक होगा।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2015-16 के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक का योगदान विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में GVA का क्रमशः 9.1 और 8.6 प्रतिशत है।
- भारत में निर्मित और/या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में सरकार ने ई-कॉमर्स सहित व्यापार में 100% FDI (ऑटोमैटिक रूट) की अनुमति दी है।
- सरकार ने विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट (designated) फ़ूड पार्कों और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को रियायती दर पर सस्ते ऋण देने के लिए नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये की विशेष निधि की स्थापना की है।
- खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) के दायरे के अंतर्गत लाया गया है।

मसौदा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017(Draft National Food Processing Policy 2017)

- यह संधारणीय पर्यावरणीय के तरीकों को अपनाने पर जोर देती है, जैसे जैव कचरे से ऊर्जा उत्पादन करना ।
- यह नीति उत्पादों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए FSSAI एक्ट, 2006 के अनुपालन का सुझाव देती है और स्व-विनियमन का प्रस्ताव रखती है।

प्रशासनिक समस्याएं -

- प्रत्येक राज्य द्वारा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी मामलों के प्रबंध के लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की जानी चाहिए।
- राज्यों को समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान करने की सुविधा के लिए ई-प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए।

अवसंरचनात्मक विकास -

- यह नीति खाद्य प्रसंस्करण में इकॉनोमी ऑफ स्केल के लाभों का दोहन करने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण के अनुपालन की अनुशंसा करती है।
- राज्यों को सभी कच्चे माल, विशेष रूप से बागवानी उत्पादों, की प्रत्यक्ष खरीद को बढ़ावा देने के लिए eNAM प्लेटफ़ॉर्म में पंजीकरण कराना चाहिए।
- उद्यमों को बड़ी इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि की खरीद हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भूमि पट्टे पर सीलिंग को बढ़ाया जाना चाहिए या इसे समाप्त कर देना चाहिए।
- मेगा फ़ूड पार्क को प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए।
- बारकोडिंग, **RFID टैग्स** जैसी प्रौद्योगिकी को अपनाने का समर्थन किया जाना चाहिए।

इसका एक उद्देश्य श्रम कानूनों में सुधार करके, इन्क्यूबेशन सेंटर को बढ़ावा देकर तथा प्रत्येक राज्य में स्किलिंग सेंटर की स्थापना आदि के माध्यम से इस क्षेत्रक में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है।

VISION IAS

प्रावधान :

- इस योजना का उद्देश्य कृषि को पूरक बनाना, संसाधनों का आधुनिकीकरण और कृषि उत्पादों के नुकसान को कम करना है।
- यह खाद्य संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को शामिल करने के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम है।

✓ मेगा फ़ूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फ़ूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पूर्व की योजनाएं।

✓ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, क्रिएशन ऑफ़ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेज, क्रिएशन ऑफ़ फ़ूड प्रोसेसिंग एंड प्रिज़र्वेशन कैपसिटीज़ जैसी नई योजनाएं।

महत्त्व

- विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेन्स कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा।
- यह योजना उपज के बाद हुए नुकसान को कम करने में भी मदद करेगी।
- डिस्पोजेबल इंकम के बढ़ने से, यह योजना खाद्य तेलों, जूस आदि जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग को पूरा करने में मदद करेगी।
- अन्य उद्योगों की तुलना में खाद्य उद्योग में कारखाने एवं इसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है। यह योजना रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देगी।
- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ संतुलित पोषक तत्वों से युक्त भोजन की उपलब्धता में वृद्धि कर कुपोषण की समस्या का समाधान कर सकते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अन्य योजनाएं

- **मेगा फ़ूड पार्क स्कीम**

✓ इसका उद्देश्य क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण (हब एंड स्पोक्स मॉडल पर आधारित) को अपनाकर खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदान करना है।

✓ इसके अंतर्गत फ़ार्म के निकट प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर (PPCs) और कलेक्शन सेंटर (CCs) के रूप में प्राइमरी प्रोसेसिंग तथा भंडारण अवसंरचना का निर्माण तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) पर सामूहिक सुविधाओं और सड़क, बिजली, पानी आदि जैसी सहायक अवसंरचना का निर्माण सम्मिलित है।

- **इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर**

✓ यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है।

✓ इसमें वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दी गई है जिसकी राशि प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रूपये है।

3.2. राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन नीति 2017

(National Policy on Marine Fisheries 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन नीति लांच की।

पृष्ठभूमि

- भारत विश्व में मछली का **दूसरा** सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में 5.43% योगदान देता है।
- भारत जलीय कृषि के माध्यम से मछली का प्रमुख उत्पादक है और चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है।
- स्वतंत्रता के पश्चात **मत्स्य उत्पादन वर्ष 1950-51 के 7.5 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 100.70 लाख टन हो गया है।**
- समुद्री मत्स्यन विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता खाद्य उत्पादक क्षेत्र है जिसमें भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने की काफी संभावनाएं हैं, विशेषकर विशाल जनसंख्या की प्रोटीन आवश्यकताओं को पूरा करने की।
- 2015 में **डीप सी फिशिंग पर बी. मीनाकुमारी की रिपोर्ट** के बाद, सरकार ने 2004 की मौजूदा समुद्री मत्स्य पालन नीति को संशोधित करने का निर्णय लिया था।

मत्स्य पालन की शाखाएं

- **समुद्री मत्स्य पालन** - इसके अंतर्गत मुख्य रूप से समुद्री मछलियाँ और अन्य समुद्री उत्पाद आते हैं।

✓ जैसे- ऑयल सारडाइन, मैकेरल, बॉम्बे डक्स, ट्यूना और झींगा, कैटफ़िश, पोलिनोमिड, पोम्फ्रेट्स, केंकड़े, ओएस्टर्स, समुद्री शैवाल

- **अंतर्देशीय मत्स्य पालन** - अंतर्देशीय मत्स्य पालन में **ताजे पानी और खारे पानी के मत्स्य पालन** दोनों शामिल हैं। व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण ताजे पानी के मत्स्य संसाधन कार्प्स, म्यूलेट्स, चानोस और झींगा हैं। कुछ पश्चजल मत्स्य पालन में श्रिम्प शामिल हैं।

VISION IAS

नीति के बारे में

- **नीति का उद्देश्य** संधारणीय उत्पादन के जरिए भारत के EEZ (Exclusive Economic Zone- अनन्य आर्थिक क्षेत्र) के समुद्री जीवित संसाधनों की स्वास्थ्य और पारिस्थितिक अखंडता सुनिश्चित करना है।
- **समग्र रणनीति सात स्तंभों पर आधारित होगी**, अर्थात् संधारणीय विकास, मछुआरों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान, अनुषांगिकता (सब्सिडीएरिटी) का सिद्धांत, साझेदारी, अंतर-पीढ़ीगत समता, लैंगिक न्याय और निवारक दृष्टिकोण।
- यह नीति मत्स्य पालन के संरक्षण, विकास और प्रबंधन का जिम्मेदारीपूर्ण निर्वाह करने वाले तौर तरीकों के पालन के लिए FAO (खाद्य एवं कृषि संगठन) की आचार संहिता के अनुरूप होगी।

नीति के कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- निगरानी, नियंत्रण और पर्यवेक्षण (दुर्घटनाओं और अतिक्रमण को रोकने के लिए)

✓ बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए, मछुआरों और उनके मछली पकड़ने के जहाजों के लिए चिप आधारित स्मार्ट पंजीकरण कार्ड जारी किए जाएंगे।

✓ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पार करने से बचने के लिए मछुआरों को प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान की जाएगी।

मत्स्य पालन प्रबंधन पर एकीकृत दृष्टिकोण -

- संसाधनों के संधारणीय उपयोग के लिए **स्थानिक और अस्थायी उपाय** के साथ **प्रजाति-विशिष्ट और क्षेत्र-विशिष्ट** प्रबंधन योजनाएं।
- पारिस्थितिकी और जैविक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों (EBSAs), सुभेध समुद्री पारिस्थितिक तंत्र (VME) और इन्डैन्जर्ड प्रजातियों आदि का संरक्षण।
- यह **परंपरागत ज्ञान और वैज्ञानिक व्यवसाय सिद्धांतों का मिश्रण** होगा।
- मछली पकड़ने वाले समुदाय की क्षमताओं में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग। उदाहरण के लिए- मौसम का अनुमान लगाने के लिए इनका उपयोग करना।
- **मत्स्य पालन के लिए पारंपरिक उपयोग अधिकार** (उन क्षेत्रों में जहां यांत्रिक मत्स्यन निषिद्ध है और छोटे मछुआरों को अनुमति प्राप्त है) जारी रहेंगे।
- सरकार पारंपरिक मछुआरों को कौशल प्रदान करने के लिए भी योजनाएं प्रारंभ करेगी।

व्यावसायिक मत्स्य पालन -

- **मत्स्यिकी डेटा एवं अनुसंधान** - सरकार सभी हितधारकों के साथ एक **राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन डेटा अधिग्रहण योजना** को लागू करेगी।
- **मैरीकल्चर**- सरकार मैरीकल्चर फार्म/पार्क स्थापित करने और क्षेत्र के विकास के लिए बीज की आपूर्ति हेतु हैचरों(hatcheries) की स्थापना के लिए योजनाओं को प्रोत्साहित करेगी। पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को रोकने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **द्वीप मत्स्यन** - भारत के द्वीपों का ट्यूना, स्नैपर, ग्रुपर्स आदि जैसे आकर्षक और वाणिज्यिक मूल्य वाले मत्स्य पालन के लिए दोहन किया जाएगा। क्रिल मत्स्यन को राष्ट्रीय न्यायक्षेत्र से बाहर अवस्थित क्षेत्रों (Areas Beyond National Jurisdiction - ABNJ) में भी बढ़ावा दिया जाएगा।
- **मत्स्य व्यवसाय** - सरकार व्यापार बाजार में विविधता लाने, FSSAI मानकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ सुसंगत करने, बिचौलियों के प्रभाव को कम करने और मछलियों की ईकोलेबलिंग पर ध्यान देगी।
- समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए उद्यमशीलता विकास, निजी निवेश, सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **नाबार्ड** की मदद से सरकार मछुआरों को संस्थागत ऋण प्रदान करेगी।

समुद्री पर्यावरण और मत्स्य पालन -

- मौजूदा समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPA) की समीक्षा एवं समय-समय पर मूल्यांकन करना।
- यह नीति पारंपरिक मछुआरों के पट्टा अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विधिक सहायता प्रदान करेगी ताकि उनकी आजीविका संरक्षण उपायों से प्रभावित न हो।

गहन समुद्री मत्स्यन (डीप सी फिशिंग) पर बी मीना कुमारी समिति

- केंद्र से "अनुमति पत्र" प्राप्त करके 15 मीटर या उससे अधिक की लंबाई वाले जहाजों के लिए क्षेत्रीय जल से परे 22 किमी से 370 किमी के बीच EEZ में मछली पकड़ने की अनुमति प्रदान करती है।
- इन जहाजों का भारतीय उद्यमियों द्वारा या 49% विदेशी निवेश के साथ संयुक्त उपक्रमों द्वारा स्वामित्व या अधिग्रहण किया जा सकता है।
- तट के किनारे नियर-शोर (near-shore) और ऑफ शोर (offshore) (अपतटीय) क्षेत्रों के बीच (200 मीटर और 500 मीटर

VISION IAS

गहराई के बीच के जल में) **बफर ज़ोन** का निर्माण और इस क्षेत्र में मत्स्यन का विनियमन "ताकि तट के निकट क्षेत्रों के साथ-साथ EEZ में गहरे समुद्री क्षेत्रों में संसाधनों वृद्धि की जा सके। "

महत्व

- निगरानी और पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय मत्स्यन बेड़ा **'अवैध, असूचित एवं अनियमित' (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) मत्स्यन** में संलिप्त न हो।
- मत्स्य पालन के महिला प्रधान पोस्ट-हार्वेस्ट क्षेत्रक में **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG)** को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- यदि नीति को अच्छी तरह से लागू किया गया तो यह सतत विकास के लिए महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित **सतत विकास लक्ष्य 14 (SDG-14)** को बढ़ावा देगी।
- यह हमारी अर्थव्यवस्था के **प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा** देने और इसकी विकास दर को बेहतर बनाने में भी मदद करेगी।

चुनौतियां

- नीति अनुमति पत्र योजना को समाप्त करने की सलाह देती है। यह इस प्रकार गहन समुद्री मत्स्यन में निजी निवेश को बढ़ावा देती है (बी. मीनाकुमारी समिति द्वारा अनुशंसित)। इससे छोटे एवं पारंपरिक मछुआरे समुदाय के लिए संकट पैदा हो सकता है।
- राज्यों की कुछ सिफारिशों जैसे कि एक अलग मत्स्य पालन मंत्रालय, राज्यों की प्रादेशिक सीमा का विस्तार आदि को इस नीति में समाहित नहीं किया गया है।

आगे की राह

- हाल ही में सरकार ने सभी मौजूदा योजनाओं को मिलाकर एक अम्ब्रेला योजना **'ब्लू रिवोल्यूशन: इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'** तैयार की है। यह अम्ब्रेला योजना अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जल कृषि (एक्वाकल्चर) और समुद्री मत्स्य पालन को कवर करती है जिसमें गहन समुद्री मत्स्यन, मैरी-कल्चर और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) द्वारा संचालित की जाने वाली सभी गतिविधियां शामिल हैं।
- देश में नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इस नीति को इस योजना के अनुरूप सुसंगत करना चाहिए।

3.3. GM सरसों का वाणिज्यीकरण

(Commercialisation of GM Mustard)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेज़ल कमिटी (Genetic Engineering Appraisal Committee: GEAC) ने कुछ शर्तों के अधीन 4 वर्षों के लिए GM सरसों के वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए एक सकारात्मक अनुशंसा दे दी है।

GEAC के बारे में

- यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoFCC) के अंतर्गत **एक सांविधिक निकाय है।**
- यह वातावरण में अनुवांशिक इंजीनियर्ड जीवों और उत्पादों को छोड़ने/मुक्त करने से सम्बंधित प्रस्तावों के अनुमोदन से सम्बंधित शीर्ष निकाय है।
- GEAC जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले RCGM (रिव्यु कमिटी ऑन जेनेटिक मैनीपुलेशन) से अनुमोदन के बाद ही ट्रायल के लिए प्रस्तावों पर विचार करता है। RCGM वैज्ञानिकों से मिलकर बना एक निकाय है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने अब तक केवल एक गैर खाद्य फसल GM कपास, को अनुमति दी है। नीति आयोग ने हाल ही में, अपने तीन वर्षीय मसौदा कार्य योजना (three-year draft action plan) में GM खाद्य फसलों का भी समर्थन किया है।
- भारत आयातित खाद्य तेल पर लगभग 12 बिलियन डॉलर का व्यय करता है। जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के साथ इस व्यय में भी वृद्धि होगी।
- 2010 में, GEAC ने बीटी बैंगन के वाणिज्यीकरण की भी मंजूरी दी थी। हालांकि, उसके बाद व्यापक विरोध के चलते पर्यावरण मंत्री ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस सन्दर्भ में एक मामला लंबित है।

GM सरसों के पक्ष में तर्क

- **श्रेष्ठतर फसलें** - ये फसलें बेहतर उपज देती हैं और कीट एवं रोग प्रतिरोधी होती हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए भविष्य में इनकी आवश्यकता होगी।
- **जैव-प्रौद्योगिकी में उन्नति** - जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश और विकास GM फसलों पर ही केन्द्रित है।
- **स्वदेशी जीएम** - मोंसैंटो के बीटी कपास के विपरीत GM सरसों सार्वजनिक क्षेत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय-आधारित **सेंटर फॉर जेनेटिक मैनीपुलेशन ऑफ़ क्रॉप प्लांट्स** के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
- **जीएम तेल का आयात** - भारत हज़ारों टन खाद्य तेल का (तथा अन्य जीएम खाद्य पदार्थों का) आयात करता है जिसके संबंध में अभी तक आनुवंशिक बदलावों के कारण किसी भी प्रकार के स्वास्थ सम्बन्धी दुष्प्रभाव या मृत्यु के मामले सामने नहीं आये हैं।

GM सरसों के विपक्ष में तर्क

- '**सरसों सत्याग्रह**', जोकि किसानों, उपभोक्ताओं, वैज्ञानिकों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सैंकड़ों संगठनों का एक व्यापक प्लेटफार्म है, तथा अन्य ऐसे संगठनों ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित चिंताएं व्यक्त की हैं:
- **शामिल जोखिम** - GEAC ने नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के संबंध में अवैज्ञानिक रवैया प्रदर्शित किया है तथा GMOs के जोखिम/खतरों से नागरिकों की रक्षा के अपने अधिदेश को पूरा करने में असफल रहा है। इस सम्बन्ध में भी कोई जानकारी नहीं है कि GEAC में कोई कृषि विशेषज्ञ या किसानों का प्रतिनिधि शामिल है या नहीं।
- **खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव** - जीएम सरसों का प्रयोग हमारे खेतों और भोजन में रसायनों को बढ़ा देगा।
- **रोजगार में नुकसान** - यहाँ तक कि जीएम सरसों को 25% तक अपनाने से भी सरसों पैदा करने वाले क्षेत्रों में लगभग 4 करोड़ से अधिक रोज़गार दिवसों का नुकसान होगा।
- **पारदर्शिता की कमी** - विविध क्षेत्रों में अभी भी अस्पष्टता विद्यमान है जैसे कि, मानव स्वास्थ्य, खाद्य श्रृंखला, सहयोगी क्षेत्रों (मधुमक्खी पालक, फलोद्यान एवं आयुर्वेदिक औषधि निर्माता एवं वैद्य) आदि पर पड़ने वाले GM फ़ूड्स के प्रभाव के सम्बन्ध में कोई आंकड़े मौजूद नहीं है ।
- **यह स्वदेशी प्रजाति नहीं** है - यह "स्वदेशी जीएम" नहीं है ,क्योंकि प्रयुक्त जीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति हैं जो उस पर अपना नियंत्रण पाना चाहती हैं।
- **एकाधिकार और उपज हानि** - इससे किसानों को उपज हानि होगी , क्योंकि किसानों को खेती से बचाए गए बीजों के स्थान पर प्रत्येक मौसम में नए बीज खरीदने होंगे जिससे उनकी संप्रभुता, फसल विविधता और लाभदेयता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

आगे की राह

- कृषि के राज्य सूची का विषय होने के कारण इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श।
- सभी हितधारकों की शिकायतों का निवारण - GM सरसों को अनुमति प्रदान करने से पूर्व सुरक्षा दस्तावेजों को ऑनलाइन करते हुए तथा प्राप्त सभी टिप्पणियों में व्यक्त चिंताओं को संबोधित करते हुए किसानों और जनता की सभी शिकायतों का निवारण किया जाना चाहिए।
- **कानूनी उपाय** - इसमें एक जवाबदेही उपबंध (liability clause) होना चाहिए अर्थात यदि कुछ गलत होता है तो अमेरिकी कानून के समान जवाबदेही को क़ानूनी रूप से तय किया जाना चाहिए। यदि जीएम तकनीक की फसल, नियमित किस्मों को प्रभावित करती है तो इस सन्दर्भ में जवाबदेही काफी अधिक है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बीटी कपास पर पिंक बॉलवर्म पेस्ट (pink bollworm) के हमले के मामले में जो गैर-जवाबदेही दिखाई दी वह दूसरी जीएम फसलों के मामले में दोबारा न हो।

3.4. कैनोला गांव

(Canola Villages)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) किसानों को कैनोला की खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह विश्वविद्यालय कैनोला की खेती के लिए अनुकूल गावों को **"कैनोला गांवों"** के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहा है। इसके माध्यम से इसके तेल का उत्पादन और उसकी बिक्री की जा सकेगी।
- 'कैनोला गांवों' में स्थित तेल निष्कर्षण इकाइयों के माध्यम से कैनोला का तेल निकालने के साथ ही कैनोला की फसल का उत्पादन भी किया जाएगा।

VISION IAS

पीली क्रांति (Yellow Revolution)

यह तिलहन की खेती में चरघातान्कीय वृद्धि की द्योतक है। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से पीली क्रांति की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि 1990 में एक 'विशुद्ध आयातक' से परिवर्तित होकर भारत वर्तमान में तिलहनों का एक 'विशुद्ध निर्यातक' बन चुका है।

आवश्यकता

- भारत में खाद्य तेल की बढ़ती खपत के कारण तिलहन का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। अतः तिलहन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कैनोला की खेती लाभकारी होगी।
- कैनोला तेल को खाना पकाने के लिए प्रयुक्त स्वास्थ्यप्रद तेलों में से एक माना जाता है और यह सुस्त और अस्वास्थ्यकर खानपान की बढ़ती जीवन शैली को देखते हुए अत्यधिक आवश्यक है।

कैनोला अत्यल्प मात्रा में यूरिक एसिड धारण करने वाली सरसों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नाम है। इसमें 2% से भी कम यूरिक एसिड होता है। इसे सर्वाधिक स्वास्थ्यप्रद तेलों में से एक माना जाता है।

पृष्ठभूमि

- अच्छी गुणवत्ता की 'कैनोला' किस्मों को सामान्यतः दो प्रजातियों से विकसित किया गया है - ब्रैसिका नैपस और ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस।
- इसकी फसल अपेक्षाकृत कम समय में तैयार हो जाती है। यह पशुओं के लिए चारे के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है और साथ ही खाना पकाने के लिए लाइट ऑयल के रूप में भी इसका उपयोग होता है।
- विद्यमान कृषि-पारिस्थितिकीय दशाएं कई तिलहनी फसलों के लिए अनुकूल हैं, जैसे कैनोला, मूंगफली, रेपसीड-सरसो, सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम्ब, तिल एवं नाइजर और गैर-खाद्य तिलहन जैसे अरंडी और अलसी।
- भारत अरंडी और तिल का सबसे बड़ा उत्पादक तथा मूंगफली और रेपसीड-सरसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

महत्व

- घरेलू स्तर पर खाद्य तेल का अधिक से अधिक उत्पादन करने की पहल चालू खाते में घाटे की समस्या को भी कम करेगी।
- इस तथ्य पर विचार करते हुए कि खाद्य तेल की मांग 3-4% की दर से बढ़ रही है और भारत घरेलू स्तर पर खाद्य तेल की कुल मांग के केवल 40% भाग की ही पूर्ति कर सकता है, तो ऐसे में यह पहल भारत की बड़ी जनसंख्या को खाद्य तेल की सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक अहम कदम होगा।
- कैनोला की खेती फसलों के विविधीकरण की दिशा में भी एक सार्थक कदम होगा, जो पंजाब जैसे राज्यों के लिए अत्यावश्यक है (जिसकी जलवायु भी कैनोला के लिए उपयुक्त है)।
- कैनोला की फसल भूजल स्तर में गिरावट को भी रोकने में सहायक हो सकती हैं। द्रष्टव्य है कि चावल जैसी जल गहन फसलों के कारण भूजल स्तर में तेज़ी से गिरावट आ रही है।

चुनौतियां

- निश्चित बाजार और सरकार से उत्पाद के लिए निश्चित मूल्य के आश्वासन के अभाव में किसान तिलहन की खेती में रूचि नहीं रखते हैं।
- यद्यपि कैनोला अधिक स्वास्थ्यकर है, किन्तु इसकी लागत अन्य वैकल्पिक सस्ते तेलों की तुलना में अधिक हो सकती है।
- कैनोला फसल, विशेष रूप से फसल की बुवाई के दौरान निराई के लिए श्रम गहन भी होती है। रबी के मौसम में गेहूं जैसी फसलों के लिए मैकेनाइज्ड फार्मिंग उपयोगी होती है, किन्तु कैनोला फसल के लिए यह उपयोगी नहीं है।

फसल विविधीकरण

- फसल विविधीकरण का उद्देश्य किसी भी क्षेत्र में विभिन्न फसलों के उत्पादन हेतु व्यापक विकल्प प्रदान करना है ताकि विभिन्न फसलों में उत्पादन संबंधी गतिविधियों का विस्तार किया जा सके और जोखिम को कम किया जा सके। भारत में फसल विविधीकरण सामान्यतः परंपरागत रूप से उपजाई जाने वाली कम लाभकारी फसलों की अपेक्षा अधिक लाभकारी फसलों को अपनाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है ।

3.5. कॉयर उद्योग

(Coir Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नारियल के खेतों में जल की व्यापक कमी के कारण इन भागों में कॉयर उद्योग की उपज में कमी आई है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- कॉयर और कॉयर उत्पादों के वैश्विक उत्पादन का लगभग 66% हिस्सा भारत का है।
- भारत में केरल कॉयर उद्योग के सन्दर्भ में सबसे बड़ा राज्य है। कॉयर उद्योग का भौगोलिक (geographical location) स्थान कच्चे माल की उपलब्धता (नारियल) पर निर्भर करता है जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में उपलब्ध है।

सरकार की पहल

- **कॉयर उद्यमी योजना** - पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन का नाम बदल कर कॉयर उद्यमी योजना कर दिया गया है।
- यह एक **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना** है जो 10 लाख तक की परियोजना लागत के कॉयर यूनिट की स्थापना के लिए 40% सरकारी सब्सिडी, 55% बैंक लोन और 5 लाभार्थी अंशदान प्रदान करती है। किसी भी कोलेटरल सिक्यूरिटी/थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती और इसमें आय की कोई ऊपरी सीमा भी नहीं है।
- यह सहायता व्यक्तियों, कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ,1860 के तहत गठित संस्थानों, सहकारी समितियों, संयुक्त देयता समूहों और धर्मार्थ ट्रस्ट्स के तहत पंजीकृत संस्थाओं को उपलब्ध है।

कॉयर उद्योग के आधारभूत तथ्य

- कॉयर नारियल के छिलके से प्राप्त होने वाली रेशेदार सामग्री है।
- यह एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है।
- भारत में कॉयर उद्योग दो अलग-अलग घटकों से मिलकर निर्मित होता है यथा -
- ✓ **वाइट फाइबर** - यह अपेक्षाकृत अधिक चिकना और महीन किन्तु कमज़ोर होता है। यह कच्चे हरे नारियल से प्राप्त किया जाता है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से रस्सी निर्माण में किया जाता है। यह रस्सी निर्माण के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है।
- ✓ **ब्राउन फाइबर** - यह पूरी तरह से पके हुए भूरे रंग के नारियल से प्राप्त किया जाता है। यह मजबूत होता है और इस प्रकार ब्रश, मैट आदि वस्तुओं बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- 2015-16 में कॉयर निर्यात से लगभग 1900 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी।
- भारत से मुख्य निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका है।
- इस उद्योग में प्रत्यक्ष तौर पर 7 लाख लोग संलग्न हैं जिनमें से अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रोंसे हैं। इसमें से महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 70% है।

कॉयर विकास योजना -

- इसमें कौशल उन्नयन और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार शामिल है।
- इसमें **महिला कॉयर योजना** भी शामिल है, जिसके अंतर्गत महिला कॉयर श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें सब्सिडाइज्ड कीमतों पर मशीनें व उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।
- इसके अन्य घटक उत्पादन अवसंरचना का विकास, घरेलू बाज़ार को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना इत्यादि हैं।

कॉयर बोर्ड

- यह कॉयर उद्योग अधिनियम 1953 (Coir Industry Act 1953)के तहत विकसित एक **सांविधिक निकाय** है।
- यह पंजीकरण और लाइसेंस के माध्यम से कॉयर के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करता है।
- यह उद्योग के लिए मानकों को भी निर्धारित करता है।
- यह कॉयर उत्पादों के उत्पादन के लिए सरकार का एक सलाहकार निकाय है।
- यह MSME मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

कॉयर उद्योग का महत्व

- पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ने के साथ अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में कॉयर आधारित वस्तुओं की मांग बढ़ रही है।
- ई-कॉमर्स के विकास के परिणामस्वरूप कॉयर से बने मैट और गद्दों की मांग तथा विपणन में वृद्धि हुई है।

चुनौतियां

- जलवायु परिवर्तन और मानसूनी वर्षा की कमी कॉयर उद्योग की पैदावार को प्रभावित कर सकते हैं।

VISION IAS

- इंडोनेशिया, वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों से होने वाली प्रतिस्पर्धा भारतीय कॉयर उद्योग के लाभ मार्जिन को प्रभावित कर सकती है।
- कच्चे माल सम्बन्धी समस्याओं में कच्चे माल की खराब गुणवत्ता और उसकी उच्च लागत शामिल हैं।
- श्रम सम्बन्धी समस्याओं में श्रमिक अनुपस्थिति, कम वेतन, निम्न कौशल, कम श्रम उत्पादकता शामिल आदि है।
- अन्य चुनौतियों में वित्तीय ऋण की अनुपलब्धता, तैयार माल आदि के विपणन की समस्याएं आदि शामिल हैं।

3.6. पूसा कृषि ऐप

(Pusa Krishi App)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इस ऐप का हाल ही में कृषि उन्नति मेले में उद्घाटन किया गया।

कृषि उन्नति मेला

- यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली द्वारा किया जाने वाला एक वार्षिक आयोजन है।
- यह कृषि एवं पशुपालन में नई तकनीकों और केंद्रीय सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी साझा करता है।

ऐप के बारे में

- यह ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा विकसित की गई है।
- पूसा कृषि एप निम्नलिखित के बारे में जानकारी देता है -
- ✓ किसानों के लिए उपलब्ध उत्पादों की किस्मों के बारे में
- ✓ बेहतर फसल देने में सक्षम प्रौद्योगिकी के बारे में
- ✓ उत्पाद और सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र के बारे में जानकारी
- ✓ पशु खाद्य और जैव उर्वरक के बारे में जानकारी
- एक फीडबैक सेक्शन है जो कृषि वैज्ञानिकों को हितधारकों के साथ एक वास्तविक समय आधारित वार्तालाप करने में सक्षम बनाता है।

कृषि विस्तार से संबंधित संस्थाएं

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन केंद्र (National Centre for Management of Agricultural Extension: MANAGE) (1987)

- यह कृषि मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- यह हैदराबाद में स्थित है।
- यह केन्द्रीय और राज्य सरकारों एवं अन्य संगठनों की उनके कृषि विस्तार के प्रभावी प्रबंधन में सहायता करता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research: ICAR)

- यह कृषि मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
- इसका प्रमुख कृषि मंत्री होता है।
- यह भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान में समन्वय स्थापित करता है।

3.7. ई-कृषि संवाद

[E-Krishi Samvad]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री** ने हाल ही में **ई-कृषि संवाद** का शुभारंभ किया। यह कृषि क्षेत्र में **किसानों और अन्य हितधारकों के लिए** एक **ऑनलाइन इंटरफेस है।**

यह क्या है?

- यह एक ऑनलाइन इंटरफेस है, जिसके माध्यम से किसान एवं अन्य हितधारक अपनी समस्या के प्रभावी समाधान के लिए ICAR **(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)** के साथ सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
- विशेषज्ञों से तत्काल निदान और उपचार के उपायों को जानने के लिए किसान फसल रोगों, पशुओं या मछलियों की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं।
- इस संदर्भ में किसानों को विशेषज्ञों की राय SMS के द्वारा भेजी जाएगी।

VISION IAS

3.8. मसाला बांड

(Masala Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और नौवहन(The Union Minister of Road Transport and Highways and Shipping) मंत्री ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में NHAI मसाला बॉन्ड (NHAI - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) की शुरुआत की।

मसाला बांड क्या हैं?

- मसाला बांड फण्ड की उगाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किये जाने वाले रुपया-नामित (rupee-denominated) बांड हैं।
- अब तक इसका केवल लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ही कारोबार किया जा रहा है।
- मसाला बांड नाम **विश्व बैंक की निवेश शाखा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC)** द्वारा दिया गया है। इसने भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु इन बांडों को जारी किया है।
- ये निवेशकों को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से बचाते हैं, जो कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्रोविंग (ECB) के विपरीत है जिनकी उगाही और चुकाई डॉलर में की जाती है।

3.9. WPI एवं IIP के आधार वर्ष में परिवर्तन

(WPI And IIP Base Year Change)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)** और **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP)** द्वारा क्रमशः औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production- IIP) और थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index - WPI) के लिए **आधार वर्ष 2004-05 से परिवर्तित कर वर्ष 2011-12 कर दिया गया है।**
- WPI की नई श्रृंखला पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मार्च में 5.70 फीसदी से घटकर अप्रैल में 3.85 फीसदी रह गई और IIP ने मार्च में 2.7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की, जबकि एक महीने पहले यह 1.9 फीसदी थी।

पृष्ठभूमि

- विभिन्न व्यापक आर्थिक संकेतक जैसे- WPI, CPI, IIP, GDP, राष्ट्रीय लेखा आदि अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं।
- WPI का मुख्यतः मुद्रास्फीति को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। RBI ने हाल ही में मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए मुद्रास्फीति के मापन हेतु CPI का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया है।

Changes in composition

	IIP old series (Base year: 2004-05)		New series (Base year: 2011-12)	
	Item groups	Weight (%)	Item groups	Weight (%)
Mining	1	14.16	1	14.37
Manufacturing	397	75.53	405	77.63
Electricity	1	10.31	1	8
Total	**399**	**100**	**407**	**100**
	WPI old series (Base year: 2004-05)		**New series** (Base year: 2011-12)	
Primary articles	102	20.12	117	22.62
Fuel and power	19	14.91	16	13.15
Manufactured items	555	64.97	564	64.23
Total	**676**	**100**	**697**	**100**

- WPI का उपयोग कई क्षेत्रों के लिए **अपस्फीतिकारक (डिफ्लेटर)** के रूप में किया जाता है; जैसे- CSO द्वारा GDP आकलन और IIP की गणना।
- WPI और IIP को **सौमित्र चौधरी समिति** की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित किया गया है, जिसने मार्च 2014 में अपनी रिपोर्ट पेश की।
- CSO द्वारा पहली बार एक **तकनीकी समीक्षा समिति (TRC)** का गठन किया गया है जो सूचकांको की समीक्षा और देश के बदलते हुए आर्थिक ढांचे के अनुरूप उचित और उपयुक्त तरीकों की सिफारिश करेगी। TRC की अध्यक्षता DIPP के सचिव द्वारा की जाएगी। इसकी एक वर्ष में एक बार बैठक होगी।

VISION IAS

नया क्या है?

- इसके तहत WPI के आधार वर्ष के अलावा, वस्तुओं के समूह एवं उनके भारांश को भी परिवर्तित किया गया है। देश में बदलती मांग के अनुरूप 199 नई वस्तुएं जोड़ी गई हैं और 146 वस्तुएं हटा दी गई हैं।
- राजकोषीय नीति के प्रभाव को दूर करने के लिए **करों को WPI से बाहर** रखा गया है।
- WPI की गणना समांतर माध्य की बजाय अब गुणोत्तर माध्य से की जाएगी। CPI की गणना गुणोत्तर माध्य द्वारा की जाती है ।
- IIP में 149 वस्तुए जोड़ी और 124 वस्तुएं हटाई गई हैं।

निहितार्थ

- आधार वर्ष में परिवर्तन ने सभी व्यापक आर्थिक संकेतकों का समान आधार निर्मित कर दिया है जिससे इनकी तुलना करना आसान हो गया है। नया आधार वर्ष एक अधिक यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करेगा।
- वस्तुओं एवं उनके भारांश के WPI बास्केट में बदलाव ने इसे **CPI और देश में उपभोग के बदलते प्रतिरूप के निकट ला दिया है।**
- WPI से अप्रत्यक्ष करों को हटाना इसे एक **संगत और उचित अपस्फ़ीतिकारक (डिफ्लेटर)** बनाएगा। यह इसे **PPI (प्रोडूसर प्राइस इंडेक्स /उत्पादक मूल्य सूचकांक) और वैश्विक प्रथाओं** के करीब लाएगा।
- इसी प्रकार GVA की गणना (करों के बिना) की जाती है, इसलिए यह इसे **GVA के संगत** बनाएगा।
- IIP बास्केट में बदलाव इसे **वर्तमान उत्पादन संरचना के करीब** लाएगा।
- TRC की स्थापना समय पर सूचकांकों की समीक्षा करने और बिना देरी के आवश्यक परिवर्तन करने में मदद करेगी।

3.10. स्वैच्छिक बेरोजगारी

(Voluntary Unemployment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने पूरे देश में **स्वैच्छिक बेरोजगारी में एक नाटकीय वृद्धि** का संकेत दिया है।

एक्टिविटी स्टेटस (Activity Status)

- एक्टिविटी स्टेटस व्यक्ति के एक्टिविटी से संबंधित ऐसी स्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति किसी संदर्भ अवधि के दौरान आर्थिक या गैर-आर्थिक गतिविधियों में संलग्न पाया जाता है।

स्वैच्छिक रोजगार

- **NSSO निम्नलिखित तीन व्यापक एक्टिविटी स्टेटस को परिभाषित करता है -**
  - ✓ कार्यरत / नियोजित (एक आर्थिक गतिविधि में संलग्न)
  - ✓ कार्य की तलाश या कार्य के लिए उपलब्ध अर्थात 'बेरोजगार'
  - ✓ न तो कार्य की तलाश करना न कार्य के लिए उपलब्ध होना।
- **श्रम बल / कार्य बल** वस्तुतः एक देश या क्षेत्र में रोजगार में लगे लोगों या रोजगार की तलाश में जुटे लोगों की कुल संख्या को प्रदर्शित करता है।
- **एक व्यक्ति को स्वैच्छिक बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत** किया जाएगा यदि वह कार्यरत नहीं है और न ही कार्यबल में शामिल होने के लिए तैयार है। अधिकांशतः इसका कारण यह होता है कि **शिक्षा के क्षेत्र में 'निवेश' के बाद लोग एक निश्चित आय स्तर से नीचे काम करना पसंद नही करते हैं।**

आगे की राह

- यह एक खतरनाक स्थिति है क्योंकि अगर स्वैच्छिक बेरोजगारी उच्च स्तर तक बढ़ जाती है तो भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश व्यर्थ होगा। इसका स्तर बढ़ रहा है क्योंकि उच्च कुशल नौकरियों में वृद्धि ऐसी नौकरी चाहने वालों की संख्या की तुलना में कम है।
- अधिकतर स्वैच्छिक बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि काम की अपर्याप्त प्रकृति या अपर्याप्त वेतन के कारण रोजगार की अनुपलब्धता है। इसलिए, सरकार को इन स्वैच्छिक बेरोजगारों के उपयोग के लिए नौकरियों में विविधता लाने हेतु कार्य करना चाहिए।

3.11. शारदा प्रसाद समिति

(Sharda Prasad Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- क्षेत्र कौशल परिषद (सेक्टर स्किल कौंसिल्स- SSCs) के कामकाज की समीक्षा, इसे तर्कसंगत बनाने और इसे इष्टतम बनाने हेतु गठित शारदा प्रसाद समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, 2015 के आवश्यकतानुसार SSCs के कनवर्जेंस और अनुकूलतम कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने तथा SSC के कामकाज की समीक्षा तथा उनके कौशल प्रदान करने वाले सामंजस्यपूर्ण इको-सिस्टम के विकास हेतु एक रोडमैप तैयार करने के लिए 2016 में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।

क्षेत्र कौशल परिषद

- क्षेत्र कौशल परिषदें (SSCs) औद्योगिक क्षेत्र के नेतृत्व तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा ही शासित एक निकाय हैं, जिन्हें सरकार की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है कि सभी हितधारकों द्वारा कौशल विकास के लिए किए जा रहे प्रयास उद्योग जगत की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
- ये परिषदें राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक/योग्यता मानकों और क्वालिफिकेशन पैक (QPs) का विकास करती हैं। इनके दो आधारभूत उद्देश्य हैं - कौशल विकास तथा रोजगार प्रदान करना। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न SSCs के गठन को मंजूरी दी है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) (2008)

- यह कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक गैर-लाभकारी कंपनी है ।
- इसका इक्विटी आधार 10 करोड़ रुपये का है जिसमें से भारत सरकार 49% इक्विटी धारण करती है जबकि निजी क्षेत्र के पास शेष 51% इक्विटी है।
- यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- NSDC एक सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली कंपनी है। इसका प्राथमिक कार्य भारत में कौशल परिदृश्य को बेहतर बनाना है। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करता है, पेटेंट हेतु कोष उपलब्ध कराता है एवं साथ ही कौशल विकास के लिए सहयोग एवं समर्थन उपलब्ध कराता है ।

राष्ट्रीय कौशल विकास फण्ड

- देश में कौशल विकास के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों से कोष जुटाने के लिए भारत सरकार द्वारा इसे 2009 में स्थापित किया गया था।
- भारत सरकार द्वारा गठित एक सार्वजनिक ट्रस्ट इस कोष का संरक्षक है। कोष एक न्यासी बोर्ड द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाता है। कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय के सचिव इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।

अनुशंसाएँ

- समिति का कहना है कि SSCs 'क्रोनी कैपिटलिज्म का एक बड़ा केंद्र' है जिसने 'सार्वजनिक धन से अधिकतम लाभ प्राप्त' करने का प्रयास किया है। SSCs के बोर्ड का एक सदस्य इसका एक प्रमोटर भी होता है।
- इसलिए इस समिति ने केंद्र सरकार से सभी मौजूदा कौशल परिषदों को समाप्त करने की सिफारिश की है। द्रष्टव्य है कि इनमें से कई परिषदों की भूमिकाएं अतिव्यापी हैं।
- NSDC के लिए एक निरीक्षण तंत्र (विशेष रूप से RBI की ओर से) की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है।
- प्लंबिंग और निर्माण, हथकरघा और हस्तशिल्प, दूरसंचार और IT तथा ITeS, मोटर वाहन और लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य देखभाल और ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर तथा कई अन्य SSCs का परस्पर विलय किया जाए।
- समिति के अनुसार NSDC में गवर्नेंस की स्थिति खराब है क्योंकि यह **100% सरकार द्वारा वित्त पोषित है**। लेकिन **इसकी जवाबदेही ऐसे बोर्ड के प्रति है जिसमें ज्यादातर निजी क्षेत्र के उद्योग संगठन शामिल हैं**।

VISION IAS

- समिति का कहना है कि सरकार द्वारा NSDC के मेमोरंडम ऑफ़ एसोसिएशन के आधार पर इसकी भूमिका और कार्यप्रणाली की व्यापक तौर पर समीक्षा की जानी चाहिए।
- समिति ने यह तथ्य भी रेखांकित किया कि SSCs को संसदीय निरीक्षण, CAG लेखा परीक्षा तथा RBI पर्यवेक्षण से दूर रखा गया था।
- समिति ने **राष्ट्रीय कौशल विकास फंड (NSDF) की उपयोग संबंधी व्यवस्था में भी लापरवाही को उजागर** किया।

महत्व

- इस समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम की प्रभावकारिता को बढ़ाने में उपयोगी होंगी।
- यह SSCs द्वारा विकसित किये जाने वाले कौशल और उद्योगों द्वारा जिस कौशल की मांग की जा रही है, उसके बीच के अंतराल को भी समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसके फलस्वरूप युवाओं के रोजगार में भी वृद्धि होगी।

3.12. प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केन्द्रों की स्थापना

(Technology and Innovation Support Centres to Come Up)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केंद्र (TISC)** स्थापित करने के लिए साथ आने का निर्णय लिया है।

यह क्या है?

- **TISC** कार्यक्रम विकासशील देशों में अन्वेषकों (innovators) को स्थानीय उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी जानकारी और संबंधित सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद करता है, जिससे उनकी नवाचारी क्षमता का फायदा उठाने और उनकी बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों के सृजन, सुरक्षा और प्रबंधन करने में मदद मिलती है।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन **बौद्धिक संपदा अधिकार प्रोत्साहन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ (Cell for IPR Promotion and Management: CIPAM)** को TISC नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय फोकल बिंदु के रूप में नामित किया गया है।
- यह संभावित मेजबान संस्थानों की पहचान करेगा, उनकी क्षमताओं का आकलन करेगा और TISC परियोजना में शामिल होने में उनकी सहायता करेगा।

WIPO

- WIPO **बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच** है।
- यह **संयुक्त राष्ट्र** की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है। इसके **189 सदस्य** देश हैं।
- इसे **1967 में स्थापित** किया गया और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

CIPAM

- CIPAM **DIPP (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)** के तहत बनाया गया एक पेशेवर निकाय है।
- इसे **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016** के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है।
- इसका उद्देश्य **IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार)** के बारे में जागरुकता फैलाना, **सहजता से IPR दाखिल करने को प्रोत्साहित करना, अन्वेषकों को IP परिसंपत्तियों के व्यवसायीकरण के लिए एक मंच प्रदान करना है।**

VISION IAS

3.13. स्वदेशी नाभिकीय उर्जा

(Indigenous nuclear power)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कैबिनेट ने हाल ही में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारा बनाए जाने वाले 10 स्वदेशी प्रेसराईज्ड हेवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर (PHWR) के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, इसमें से प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट है। इससे यह देश की वर्तमान स्थापित परमाणु क्षमता 6,780 मेगावाट के दोगुने से अधिक हो जाएगी।

NPCIL के बारे में:

- यह **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)** के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम है।
- यह कंपनी अधिनियम के तहत एक **पब्लिक लिमिटेड कंपनी** के रूप में पंजीकृत है।
- इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु बिजली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना और बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करना है।
- DAE के एक अन्य PSU भाविनी में इसकी इक्विटी भागीदारी है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स प्रोग्राम को क्रियान्वित करता है।

केबिनेट के इस निर्णय का महत्व:

- **परमाणु क्षमता को दोगुना करना -** इस संयंत्र से देश की परमाणु उर्जा क्षमता, वर्तमान में स्थापित परमाणु क्षमता से दोगुने से भी अधिक हो जाएगा।
- **घरेलू परमाणु क्षमता निर्माण -** इस कदम से स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करने में भारतीय वैज्ञानिकों की योग्यता के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ा है, जो भविष्य में वैश्विक परमाणु आपूर्ति और विनिर्माण श्रृंखला में भारत को अग्रणी भूमिका निभाने में मदद करेगा।
- **रोज़गार में वृद्धि -** इस प्लांट से घरेलू विनिर्माताओं (विशेषकर उपकरण विनिर्माण उद्योग में) के लिए 70,000 करोड़ रुपये का व्यवसाय और लगभग 33,400 रोजगार उत्पन्न होगा।
- **निर्भरता कम करना -** भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (collaborations) में परेशानी का सामना करना पर रहा है, जैसे- अमेरिकी कंपनी वेस्टिंगहाउस द्वारा दिवालियापन के लिए आवेदन करना और फ्रांसीसी कंपनी अरेवा के साथ लागत संबंधी समस्याएं आदि।
- **INDC प्रतिबद्धताएं -** इससे न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि पेरिस समझौते के तहत कार्बन मुक्त स्रोतों से युक्त भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं को भी पूरा किया जा सकता है।

सम्बंधित चिन्ताएं:

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं -** प्रस्तावित रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण और संचालन में सरकार को सख्त सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए।
- **विनियामक मुद्दे -** एक स्वतंत्र निकाय को सार्वजनिक क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को विनियमित करना चाहिए ताकि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, जो एक सरकारी निकाय है, द्वारा विनियमित किए जाने से हितों के टकराव की समस्या से बचा जा सके।
- **समय और लागत में वृद्धि -** अब तक स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यह एक परम्परा के रूप में देखा गया है। इसे परिवर्तित कर एक निश्चित समय सीमा के भीतर नए संयंत्रों के संचालन को सुनिश्चित करना होगा।
- **परमाणु ऊर्जा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय विमुखता -** जबकि विश्व परमाणु ऊर्जा के विकल्प को छोड़ रहा है उसी समय भारत परमाणु उर्जा की ओर अग्रसर है।

VISION IAS

Plant	Unit	Type	Capacity (MWe)
Tarapur Atomic Power Station (TAPS), Maharashtra	1	BWR	160
Tarapur Atomic Power Station (TAPS), Maharashtra	2	BWR	160
Tarapur Atomic Power Station (TAPS), Maharashtra	3	PHWR	540
Tarapur Atomic Power Station (TAPS), Maharashtra	4	PHWR	540
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	1	PHWR	100
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	2	PHWR	200
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	3	PHWR	220
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	4	PHWR	220
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	5	PHWR	220
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	6	PHWR	220
Madras Atomic Power Station (MAPS), Tamilnadu	1	PHWR	220
Madras Atomic Power Station (MAPS), Tamilnadu	2	PHWR	220
Kaiga Generating Station (KGS), Karnataka	1	PHWR	220
Kaiga Generating Station (KGS), Karnataka	2	PHWR	220
Kaiga Generating Station (KGS), Karnataka	3	PHWR	220
Kaiga Generating Station (KGS), Karnataka	4	PHWR	220
Kudankulam Nuclear Power Station (KKNPS), Tamilnadu	1	VVER -1000 (PWR)	1000
Kudankulam Nuclear Power Station (KKNPS), Tamilnadu	2	VVER -1000 (PWR)	1000
Narora Atomic Power Station (NAPS), Uttarpradesh	1	PHWR	220
Narora Atomic Power Station (NAPS), Uttarpradesh	2	PHWR	220
Kakrapar Atomic Power Station (KAPS), Gujarat	1	PHWR	220
Kakrapar Atomic Power Station (KAPS), Gujarat	2	PHWR	220

Total Nuclear Power Plant Capacity : 6780 MWe

भारत की परमाणु क्षमता की वर्तमान स्थिति:

- NPCIL वर्तमान में 22 वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है।
- भारत में परमाणु उर्जा की स्थापित क्षमता 6780 मेगावाट है, जो कि भारत में कुल स्थापित उर्जा क्षमता का 2.1% है।
- इस रिएक्टर बेड़े में तीन प्रकार के रिएक्टर शामिल हैं

✓ PHWR

✓ BWR (बॉईलिंग वाटर रिएक्टर)

✓ VVER (प्रेसराइज्ड वाटर रिएक्टर)

- आज भारत का फ्रांस, रूस, UK,अमेरिका और जापान सहित कई देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग समझौता है।

विभिन्न प्रकार के रिएक्टरों की तुलना

विभिन्न प्रकार के रिएक्टरों की तुलना निम्नलिखित तालिका में की गई है:

	BWR	PWR	PHWR	FBR
उद्देश्य	इलेक्ट्रिसिटी	इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर्ड शिप	इलेक्ट्रिसिटी, प्लुटोनियम का उत्पादन	इलेक्ट्रिसिटी, प्लुटोनियम का उत्पादन
कुलेंट	जल	जल	भारी जल (D2O)	पिघला, द्रव सोडियम
मोडरेटर	जल	जल	भारी जल (D2O)	आवश्यकता नहीं
फ्यूल	युरेनियम डाइ आक्साइड	युरेनियम डाइ आक्साइड (UO2)	UO2 या मेटल	प्लुटोनियम डाइ आक्साइड ओर UO2 अलग कम्बीनेशन के साथ
इनरीचमेंट लेवल	लो-इनरिच्ड	लो-इनरिच्ड	नॉट-इनरिच्ड	P-239और U-235 के विभिन्न प्रकार

भारत ने क्यों PHWR को चुना?

- ईंधन की उपलब्धता - भारत को IAEA के सुरक्षा उपायों के अंतर्गत सबसे ज्यादा PHWR को ही रखने का अनुमति प्राप्त है।
- महंगी संवर्धन सुविधा स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है।
- स्वदेशी तकनीक, विशेषज्ञता और संसाधनों की उपलब्धता।
- लाइट वॉटर रिएक्टर की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशलता।

3.14. फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम

(Phased manufacturing programme: PMP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने हाल ही में सेलुलर मोबाइल हैंडसेट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम: PMP) को अधिसूचित किया है।

प्रावधान:

- यह **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY)** के तहत एक कार्य योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य प्रशुल्क आरोपित करना (विभेदक शुल्क व्यवस्था) है और सेलुलर हैंडसेट के विनिर्माण में शामिल चुने हुए उत्पादों को कर राहत और प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- इसे एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम कहा जा रहा है क्योंकि इसके तहत विभिन्न वित्तीय वर्षों में सेलुलर हैंडसेट के विभिन्न घटकों के घरेलू विनिर्माण के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा।

3.15. थिंक 20 टास्क फोर्स

(Think 20 Task Force)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जर्मनी ने हाल ही में पहली बार **G-20 "डिजिटल मंत्रियों"** की बैठक बुलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप T20 टास्क फोर्स **(थिंक 20 टास्क फोर्स)** की स्थापना की गई।

T20 टास्क फोर्स के बारे में:

- इसमें थिंक टैंक और अकादमिक **(जैसे- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया)** सम्मिलित हैं, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पारंपरिक क्षेत्रों के "डिजिटलकरण" को प्रबंधित करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।
- यह व्यवसायों, सरकारों और उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के माध्यम से लेनदेन करने हेतु आर्थिक संचालन (operation) के नियमों को स्पष्ट करने में मदद करेगा।

VISION IAS

- यह अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा-
- ✓ **वहनीय और समावेशी साइबर सुरक्षा।**
- ✓ **स्वचालन (automation) और इसके प्रभाव जैसेकि रोजगार की हानि को संतुलित करना।**

3.16 भारत में स्वर्ण विनिमय

[Gold Exchange In India]

सुर्खियों में क्यों?

- भारत सरकार विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council; WGC) की मदद से एक **गोल्ड-स्पॉट एक्सचेंज** स्थापित करने का प्रयास कर रही है।

आवश्यकता

- भारत विश्व में स्वर्ण का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है और यहाँ लगभग 1,000 टन स्वर्ण की मांग है। इसके बावजूद भारत में स्वर्ण संबंधी इको-सिस्टम के कई प्रमुख तत्व अभी भी मौजूद नहीं हैं।
- ✓ अधिकतर जौहरी और व्यापारी दुबई और सिंगापुर जैसे बाजारों से परिष्कृत स्वर्ण का आयात करते हैं।
- ✓ भारत में स्वर्ण का बाजार व्यवस्थित / संगठित रूप में नहीं है तथा यहां अलग-अलग बाज़ारों में अलग-अलग मूल्यों पर इसका क्रय-विक्रय किया जाता है।

- वर्तमान में स्वर्ण के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देश में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (NCDEX) नामक दो संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन स्वर्ण से संबंधित व्यापार के लिए **कोई भी समर्पित प्लेटफार्म मौजूद नहीं है।**
- स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (gold monetization schemes) और संप्रभु बांड योजना (sovereign bond schemes) के शुभारंभ के बाद एक समर्पित गोल्ड एक्सचेंज की स्थापना की मांग ने जोर पकड़ा है।

विश्व स्वर्ण परिषद्

- स्वर्ण उद्योग के विकास के लिए यह एक बाजार आधारित संगठन है।
- इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है ।
- इसका लक्ष्य स्वर्ण की मांग को बनाए रखना और इसे प्रोत्साहित करना, इसके उद्योग को नेतृत्व प्रदान करना और स्वर्ण बाजार के लिए वैश्विक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना है।
- यह देशों के लिए स्वर्ण मानकों को निर्धारित करने और हॉलमार्क को विकसित करने में मदद करता है।
- इसके कुल 22 सदस्य हैं जो स्वर्ण खनन से जुड़ी विभिन्न कंपनियां हैं।

- भारत में स्वर्ण का स्पॉट एक्सचेंज एक ऐसा राष्ट्रीय चैनल हो सकता है जोकि मानकीकृत स्वर्ण को खरीदने और बेचने का माध्यम बन सकता है तथा स्वर्ण की एक राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण संरचना भी तैयार करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
- गोल्ड एक्सचेंज स्वर्ण के गुणवत्ता पूर्ण भंडारण के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अनुरूप गोल्ड इन्वेंटरी (स्वर्ण भण्डारण सुविधाएं) की सुविधा प्रदान कर सकता है।

महत्व

- गोल्ड एक्सचेंज इसके प्रभावी मूल्यों की खोज, मानकीकरण द्वारा गुणवत्ता का आश्वासन तथा सक्रिय खुदरा भागीदारी को संभव बनाकर सशक्त स्वर्ण बाज़ार के विकास में सहायता करेगा।
- यह आभूषणों की बजाए निवेश के लिए स्वर्ण की छड़े, स्वर्ण के सिक्के और स्वर्ण से जुड़े वित्तीय उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा।
- यह स्वर्ण को लीज पर देने और इससे संबंधित ऋण प्रक्रियाओं को सहज बनाने के माध्यम से वित्तीय बाजारों को एकीकृत करने का काम करेगा। इसके अतिरिक्त यह स्वर्ण के पुनः चक्रीकरण के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करेगा।
- यह स्वर्ण के भौतिक रूप में दो-तरफा व्यापार की अनुमति देगा तथा कीमतों में होने वाले उतार चढ़ावों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके डेरीवेटिव उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देगा।

चुनौतियां

- भारत में स्वर्ण संबंधी मामलों के लिए राज्य सरकार ज़िम्मेदार है, न कि केंद्र सरकार।
- गोल्ड वाल्ट्स एवं रिलाएबल रिसीप्ट्स जैसी सुविधाओं द्वारा बुनियादी ढांचे को सशक्त किये जाने की जरूरत है।

3.17. भारतीय निर्देशक द्रव्य

(Bhartiya Nirdeshak Dravya)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारत ने भारतीय निर्देशक द्रव्य (BND4201) को विकसित किया है। यह एक 20 ग्राम वजनी गोल्ड बार है। इसका उपयोग भारत में बेचे जाने वाले सोने की शुद्धता की जाँच करने के लिए किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2016 में, भारत सरकार टकसाल (IGM) ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) और CSIR-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) के साथ **पहला स्वर्ण मानक** विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। भारत सरकार टकसाल (IGM), भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की एक इकाई है।
- इस गोल्ड बार का निर्माण IGM द्वारा किया जाएगा जबकि इसके तकनीकी पहलुओं का मापन BARC द्वारा किया जाएगा और बार की शुद्धता को प्रमाणित करना NPL की जिम्मेदारी होगी।
- NPL भारत में मानक इकाइयों जैसे- किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर; की रिपॉजिटरी है तथा यह जाँच (calibration) संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराती है।

आवश्यकता

- विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, भारत में सोने की मांग में वर्तमान तिमाही में 19% की वृद्धि हुई है।
- सोने के सबसे बड़े बाजारों में से एक होने के बावजूद, भारत में स्वर्णकार अभी भी कनाडा और स्विट्जरलैंड से आयात किए गए गोल्ड बार का बिस्किट, सिक्के और आभूषणों की शुद्धता की जाँच करने हेतु मानक के रूप में प्रयोग करते हैं।

महत्व

- भारतीय स्वर्णकारों को सोने की शुद्धता की जाँच करने के लिए आयातित गोल्ड बार की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा इस गोल्ड बार की कीमत आयातित संस्करण से 25% कम होगी जिससे महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी।
- केवल 100 ppm (पार्ट्स-पर-मिलियन) अशुद्धियों के साथ नया गोल्ड बार 99.99% शुद्ध होगा ।
- एक छोटे बिस्किट के आकार का होने के कारण इन बारों को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
- इस संदर्भ सामग्री का देश में ही विकास करना 'मेक-इन-इंडिया' अभियान को बढ़ावा देगा। स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना (GMS) के लिए भी गोल्ड सन्दर्भ मानक (Gold reference standard) महत्वपूर्ण है। यह GMS के संग्रहण और शुद्धता जाँच केंद्रों (Collection and Purity Testing Centres: CPTC) के लिए भी उपयोगी होगा।

3.18. सार्वजनिक खरीद आदेश 2017

(Public Procurement Order 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश-2017 {Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017} जारी किया है। इसका उद्देश्य आय और रोजगार को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विनिर्माण तथा वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देना है।

आवश्यकता

- राष्ट्रीय खरीद नीति में प्रतिवर्ष कम से कम दो ट्रिलियन रूपए की खरीद का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इस नीति में स्वायत्त निकाय, सरकारी कंपनियों और सरकारी नियंत्रण वाली संस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया है।

आदेश का विवरण -

सरकार द्वारा 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुओं की खरीद के लिए-

- इसके लिए बोली (बिड) आमंत्रित की जाएगी। यदि किसी भी स्थानीय आपूर्तिकर्ता की ओर से न्यूनतम बोली लगाई जाती है तो खरीद का सम्पूर्ण आर्डर उसे प्रदान कर दिया जायेगा।
- यदि न्यूनतम बोली किसी स्थानीय आपूर्तिकर्ता द्वारा नहीं लगाई गई है, तो न्यूनतम बोली लगाने वाले (बिडर) को आर्डर का 50% प्रदान किया जाएगा।

- इसके बाद शेष 50% मात्रा के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं में से न्यूनतम बोली लगाने वाले को बिड मैचिंग (मूल बिडर की बोली के बराबर के मूल्य पर आपूर्ति) के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- यदि प्रक्रिया विफल हो जाती है, तो न्यूनतम बोली लगाने वाले स्थानीय बिडर से ऊँची बोली लगाने वाले अगले स्थानीय बिडर को बिड मैचिंग के लिए बुलाया जाएगा और इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहेगी।
- यदि शेष 50% मात्रा में से सभी स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बिड मैचिंग के सभी विकल्पों को तलाशने के बाद भी कुछ मात्रा बच जाती है तो बची हुई मात्रा को सबसे कम बोली लगाने वाले मूल बिडर को दे दिया जाएगा।

अविभाज्य वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के संदर्भ में

- यदि स्थानीय आपूर्तिकर्ता द्वारा न्यूनतम बोली लगाई जाती है तो उसे अनुबंध प्रदान कर दिया जाएगा।
- यदि न्यूनतम बोली स्थानीय आपूर्तिकर्ता द्वारा नहीं लगाई गयी है तो स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं में से न्यूनतम बोली लगाने वाले को बिड मैचिंग का अवसर दिया जाएगा। यदि वह बिड मैचिंग में असफल रहता है तो उससे ऊँची बोली लगाने वाले अगले स्थानीय आपूर्तिकर्ता को बिड मैचिंग की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार यह प्रक्रिया आगे चलती रहेगी।
- यदि किसी भी स्थानीय आपूर्तिकर्ता द्वारा बिड मैचिंग नहीं की जाती है तो अनुबंध न्यूनतम बोली लगाने वाले मूल बिडर को प्रदान कर दिया जाता है।

  5 लाख रूपए से कम की खरीद को इस खरीद आदेश से बाहर रखा गया है।

मुख्य विशेषताएँ

- सरकार ने उन वस्तुओं और सेवाओं को स्थानीय वस्तुओं और सेवाओं के रूप में परिभाषित किया है जिनका कम से कम 50 प्रतिशत मूल्य वर्द्धन भारत में किया गया हो।
- सरकार ने 50 लाख रुपए से कम मूल्य की वस्तु की खरीद के लिए केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही पात्र माना है। सरकार द्वारा 50 लाख रूपए से अधिक की खरीद के लिए बोलियाँ (बिड्स) आमंत्रित की जाएँगी। 5 लाख रूपए से कम मूल्य की खरीद को इस आदेश से बाहर रखा गया है।
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अंतर्गत एक स्थायी समिति इस आदेश और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दों के कार्यान्वयन की देख-रेख करेगी तथा अपनी अनुशंसाएँ नोडल मंत्रालय एवं खरीद संस्थाओं को प्रस्तुत करेगी।
- स्थानीय सामग्री के सत्यापन के लिए स्व-प्रमाणन आवश्यक होगा। नोडल मंत्रालय ऐसी स्व-घोषणाओं के स्वतंत्र सत्यापन के लिए आंतरिक और बाहरी सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन कर सकता है। झूठी घोषणा करने वाले को 2 वर्ष के लिए निषिद्ध किया जा सकता है।
- खरीद संस्थाओं द्वारा सभी खरीदों में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता दी जाएगी। आदेश के अनुसार साधारणतः न्यूनतम 50% स्थानीय सामग्री रखी जाएगी।
- किसी भी मद के संबंध में उच्चतम या निम्नतम प्रतिशतता का निर्धारण नोडल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा तथा मंत्रालय ही स्थानीय सामग्री की गणना के तरीके का भी निर्धारण करेगा।
- **पारस्परिकता की शर्त (Condition of Reciprocity)**- उन देशों की संस्थाओं को भारत में सार्वजनिक खरीद निविदाओं से बाहर रखा जा सकता है या प्रतिबंधित किया जा सकता है जहाँ भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को सरकारी खरीद के लिए भाग लेने या बोली लगाने की अनुमति नहीं है।

महत्व

- यह भारत में विनिर्माण और वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देगा और साथ ही आय और रोज़गार में वृद्धि करेगा।
- यह घरेलू उद्योगों के साथ-साथ विदेशी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा।
- लंबे समय में यह नीति विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन की दिशा में भी लाभकारी सिद्ध होगी।
- यह घरेलू विनिर्माण और सेवाओं में पूंजी और प्रौद्योगिकी के प्रवाह को प्रोत्साहित करेगा।

चुनौती

- यह अल्पावधि में लाभकारी हो सकता है, किन्तु दीर्घावधि में प्रतिबंधों एवं संरक्षणवाद के कारण दक्षता को हानि पहुँचा सकता है।
- खरीद में राजनीतिक हस्तक्षेप और लालफीताशाही; खरीद प्रक्रिया और बाजार के उदारीकरण को चोट पहुँचा सकती है।

आगे की राह

- नीति के कार्यान्वयन के लिए रमेश अभिषेक (DIPP के सचिव) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यदि इसका कार्यान्वयन ठीक प्रकार से किया जाता है तो यह सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में रिसाव को कम करने में सहायक होगा। यह प्रक्रिया में प्रतियोगिता को बढ़ावा देगा तथा इसे और अधिक कुशल बनाएगा।

3.19 शक्ति नीति

(Shakti Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक कोल लिंकेज नीति को मंजूरी दी है जिसे **स्कीम टू हार्नेस एंड एलोकेट कोयला ट्रांस्पैरेन्टली इन इंडिया (SHAKTI)** नाम दिया गया है। इसका लक्ष्य ऊर्जा कंपनियों को दीर्घावधि के लिए कोल लिंकेज की नीलामी करना है।

आवश्यकता:

- बिजली की बढ़ती मांग के कारण कोयले पर निर्भरता बढ़ रही है। कोयले की मांग और आपूर्ति में संतुलन के अभाव में बिजली कंपनियाँ विदेश से कोयला आयात करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। अतः यह समय की मांग है कि कोयले के उत्पादन में वृद्धि हो और कोयला-उत्पादकों को बिजली-उत्पादकों के साथ जोड़ने के लिए एक कोल लिंकेज नीति तैयार की जाए।

नीति के प्रावधान:

- राज्य स्वामित्व वाली ऊर्जा वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को कोल लिंकेज प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात डिस्कॉम्स राज्यों या केंद्र के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनियों को आवंटन के माध्यम से और निजी इकाइयों को नीलामी के माध्यम से कोल लिंकेज उपलब्ध कराएँगी।
- वे स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्यूसर्स: IPPs) जिनके पास विद्युत क्रय समझौते (पावर पर्चेज़ एग्रीमेंट्स: PPAs) हैं, नीलामी में भाग लेंगे और मौजूदा शुल्कों में छूट के लिए बोली लगायेंगे। इस छूट को सकल कोयला बिलों (ग्रॉस कोल बिल्स) से समायोजित किया जाएगा।
- वे IPPs जिनके पास विद्युत क्रय समझौते नहीं हैं, कोयला कंपनी द्वारा अधिसूचित मूल्य पर बोली लगाएँगे।

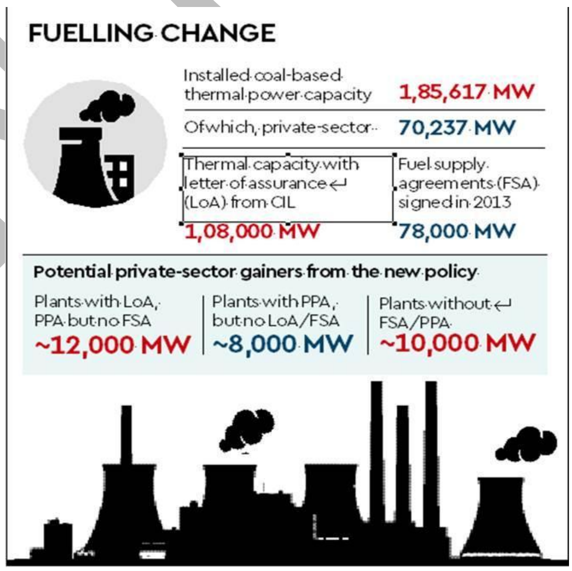

महत्व:

- यह उम्मीद की जा रही है कि इससे देश में **30,000 मेगावाट क्षमता के उन विद्युत संयंत्रों** में उत्पादन पुनः प्रारंभ किया जा सकेगा जो ईंधन आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं।
- इससे आयातित कोयले पर निर्भरता भी कम होगी। अधिकांश ताप विद्युत परियोजनाएँ गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में बदल जाने की कगार पर हैं। PPAs होने के बावजूद वे बिजली नहीं बेच पा रही हैं क्योंकि ईंधन की आपूर्ति का अभाव है। इस नीति से यह समस्या हल हो जाएगी।
- यह नीति उपभोक्ताओं द्वारा देय विद्युत शुल्क दरों को कम करने में मदद करेगी।

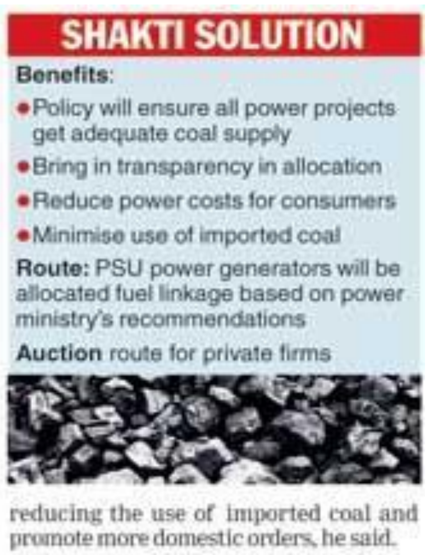

चुनौतियाँ:

- यह लिंकेज नीति उन प्रोजेक्ट डेवलपर्स को छूट प्रदान करती है जो कैप्टिव माइंस (किसी उद्योग विशेष के लिए निर्धारित खदानों) की अग्रिम पूँजी लागतों और जोखिमों से सम्बद्ध हैं। इससे कुछ समय के लिए सरकारी खजाने में प्रत्यक्ष लाभ की कमी हो सकती है।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र या राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले तापीय संयंत्रों को **आवंटन के आधार पर** जबकि निजी डेवलपरों को **नीलामी प्रक्रिया के आधार पर** कोल लिंकेज देने से विद्युत बाज़ार की प्रतिस्पर्धा में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।

VISION IAS

आगे की राह:

- सभी नागरिकों को 24x7 बिजली प्रदान करने के सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में यह एक स्वागत योग्य कदम है। यह भारत में बढ़ते शहरीकरण और लोगों की आकांक्षाओं के लिए भी लाभप्रद होगा।

3.20 कोल फायर्स (कोयला खदानों में आग)

[Coal Fires]

सुर्खियों में क्यों?

- झारखंड के धनबाद जिले में झरिया कोलफील्ड की सतह के नीचे असुरक्षित और अवैध खनन के कारण कोयला भण्डारों में आग लग गई।

पृष्ठभूमि

- कोयले की अधिकांश खानों के आग से प्रभावित होने की घटनाओं का संबंध देश की स्वतंत्रता और खानों के राष्ट्रीयकरण से पहले के समय (जब कोयला खदानें निजी मालिकों के स्वामित्व में थी) से है। उस दौर में सुरक्षा संबंधी उपायों पर ध्यान देने की बजाय उत्पादन और लाभ पर अधिक ज़ोर दिया जाता था। यह समस्या बाद में अन्य क्षेत्रों में भी फैली।
- वर्तमान में विभिन्न प्रकार की कोयला खनन तकनीकें प्रचलित हैं। इन सभी तकनीकों से खदानों में आग लगने की संभावना बन जाती है। (चित्र देखें)

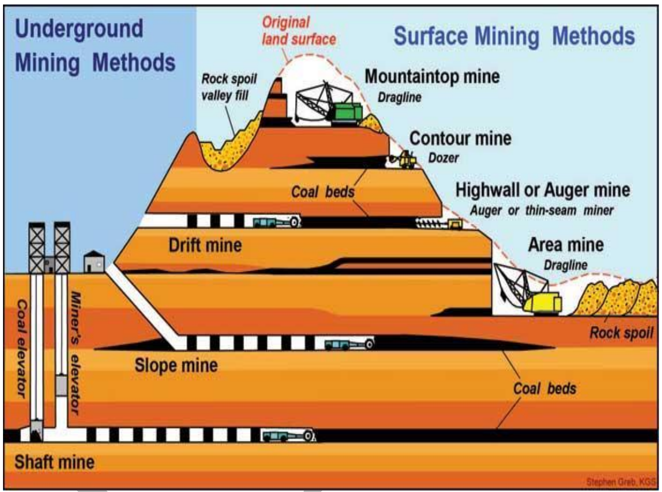

परिणाम

- कोयला खदानों में लगने वाली आग सतह पर रहने वाले लोगों के लिए जोखिम भरा होता है। इन परिस्थितियों में जमीन धँसने या हानिकारक गैसों के रिसाव का खतरा हो सकता है।
- यह कामगारों के लिए भी हानिकारक है क्योंकि वे ब्लैक लंग (black lung) जैसी ऑक्यूपेशनल डिजीज (व्यावसायिक रोग) से ग्रस्त हो सकते हैं।
- यह रेल परिवहन के लिए भी खतरनाक है। ऐसी घटनाओं के कारण उत्पादन केंद्रों से बाजार तक कोयला पहुँचाने के लिए प्रयोग की जाने वाली रेल लाइनों को बंद करने से राजकोष को प्राप्त होने वाले राजस्व का नुकसान हो सकता है।

सरकारी कदम

- **आग बुझाने संबंधी प्रयास - केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (Central Institute of Mining and Fuel Research: CIMFR)** ने राज्य सरकार की मदद से आग बुझाने का कार्य प्रारंभ किया है।
  - ✓ यह प्रभावित खदानों में बोरहोल्स के माध्यम से जल के साथ मिश्रित नाइट्रोजन फोम प्रवाहित कर रहा है।
  - ✓ यह खनन प्रक्रिया के दौरान निर्मित गुहाओं (cavities) में रेत और कीचड़ भर कर उन्हें बंद कर रहा है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित की जा सके। इसके अतिरिक्त तापमान में कमी करने के लिए जल का छिड़काव भी किया जा रहा है।
- सरकार ने कोयला खदानों में आग से प्रभावित क्षेत्रों से मुख्य रेल लाइनों को स्थानांतरित कर दिया है। उदाहरण के लिए- धनबाद-चांदपुरा लाइन को सिजुआ जैसे क्षेत्रों से हटाया जा रहा है जो कोयला खदानों में आग के लिए सुभेद्य है।
- केंद्र द्वारा गठित पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (Rehabilitation and Development Authority: RDA) को झरिया जैसे स्थानों में पूर्वनिर्मित संरचनाओं की संभावना पर कार्य करने के लिए कहा गया है ताकि पुनर्वास गृहों की संख्या जल्द से जल्द बढ़ाई जा सके।

3.21 सेवा ऐप

[SEVA APP]

सुर्खियों में क्यों?

- विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान मंत्रालय के द्वारा हाल ही में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सरल ईंधन वितरण अप्लीकेशन (SEVA) ऐप लांच किया गया है।

विशेषताएँ

- यह **कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तौर पर** विकसित किया गया है।

VISION

- सेवा **'डिजिटल इंडिया' पहल** का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ-साथ **कोयला प्रेषण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व** सुनिश्चित करना है।
- प्रारम्भ में यह केवल उन कोयला खदानों को कवर करेगा जो विद्युत उत्पादन से जुड़ी हैं। बाद के चरणों में गैर-बिजली कोयला खदानों को भी इससे जोड़ा जाएगा।
- यह अप्लीकेशन **सेवा डैशबोर्ड** के साथ संयुक्त रूप से कार्य करेगी जिसके माध्यम से प्रतिदिन, प्रतिमाह अथवा वार्षिक रूप से भेजे गये कोयले की मात्रा एवं ग्रेड की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
- यह ऐप कोयले के रेक (rake), आवंटन और लोडिंग से संबंधित अद्यतन स्थिति सहित रेक के संचलन के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। इससे उपभोक्ताओं को अग्रिम रूप से लॉजिस्टिक संबंधी योजना बनाने में मदद मिलेगी।

महत्व

- यह ऐप सार्वजनिक हित के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी के स्वतः प्रसार में मदद करेगा।
- यह 'M-गवर्नेंस' की दिशा में एक कदम है और इससे कोयला आवंटन के संबंध में सरकारी जवाबदेही बढ़ेगी। आम आदमी बिजली उत्पादन में कोयले की खपत से संबंधित किसी भी प्रकार की चोरी की जांच कर पाएगा।
- इससे कोल लिंकेजेज के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त होगा परिणामस्वरूप देश में बिजली की कीमतों में कमी आएगी।

3.22 घरेलू स्तर पर विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पाद नीति

Domestically Manufactured Iron And Steel Products Policy

सुर्खियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में सरकारी खरीद में **घरेलू स्तर पर विनिर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता** देने की नीति को मंजूरी दी है।

आवश्यकता

- यह नीति **प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण** को साकार करने की दिशा में एक कदम है। इसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के साथ-साथ **घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित** करना है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017

- नीति में 2030-31 तक लगभग 300 मीट्रिक टन कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता अर्जित करने की परिकल्पना की गई है, जो पूर्ववर्ती राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 द्वारा निर्धारित लक्ष्य के समान है।
- पहले की नीतियों से अलग इस नीति में न केवल 160 किलो प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है अपितु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप भी प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त इस नीति में नए उत्पादों का उत्पादन तथा प्रमुख कच्चे माल तक पहुँच जैसे मुद्दों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।
- भारत वर्तमान में अपनी कोकिंग कोल आवश्यकता के करीब 70 फीसदी का आयात करता है। इस नीति का उद्देश्य 2030-31 तक कोकिंग कोल से संबंधित आयात निर्भरता को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए वाश्ड (washed) कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाना है।

किफायती आवास, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, घरेलू जहाज निर्माण उद्योग का विकास, रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्रक में होने वाली वृद्धि से इस्पात की मांग में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

- 2030-31 तक इस्पात का प्रतिव्यक्ति उपभोग स्तर, वर्तमान के 60 किलो से बढ़कर लगभग 160 किलो तक पहुँच जाने की सम्भावना है।

विशेषताएँ

- यह नीति उन सभी सरकारी निविदाओं पर लागू होनी है जिनके लिए बोली मूल्य (प्राइस बिड) घोषित नहीं किया गया है।
- यह प्रिफरेंशियल प्रोक्योरमेंट में शामिल अधिसूचित इस्पात उत्पादों के लिए न्यूनतम 15% मूल्य संवर्धन का प्रावधान करती है।

VISION IAS

- लचीलापन प्रदान करने के लिए, **इस्पात मंत्रालय निर्दिष्ट इस्पात उत्पादों तथा न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंडों की समीक्षा** कर सकता है।
- प्रत्येक घरेलू निर्माता सरकारी खरीद एजेंसी को लौह एवं इस्पात उत्पादों के घरेलू स्तर पर निर्मित होने का स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करेगा।
- ✓ दावे की सत्यता के प्रमाणन की ज़िम्मेदारी आमतौर पर खरीद एजेंसी की नहीं होगी। कुछ मामलों में, आवश्यकता पड़ने पर प्रामाणिकता सिद्ध करने का दायित्व बोली लगाने वाले (बिडर) का होगा।
- यदि किसी निर्माता को किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इस्पात मंत्रालय के तहत स्थापित शिकायत निवारण समिति, समयबद्ध तरीके से चार सप्ताह में शिकायत का निपटारा करेगी।

भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग

- इस उद्योग के लिए आवश्यक आगतों (इनपुट्स) के तहत श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य बुनियादी ढांचे के साथ-साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर जैसे कच्चे माल शामिल हैं।
- यह एक फीडर उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किये जाते हैं।
- भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो जैसे सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र चार राज्यों- पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं।
- कर्नाटक में भद्रावती और विजय नगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापटनम, तमिलनाडु में सलेम स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने वाले अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र हैं।

- नीति में ऐसे सभी मामलों में छूट दिए जाने का प्रावधान है जहाँ किसी विशिष्ट ग्रेड का इस्पात देश में निर्मित नहीं होता है या परियोजना की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा घरेलू स्रोतों के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती।
- नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना प्रत्येक सरकारी एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

महत्व

- यह नीति मेक इन इंडिया स्कीम के तहत **घरेलू इस्पात उद्योग के विकास** को बढ़ावा देगी और भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में योगदान करेगी।
- यह सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं में **निम्न स्तर के सस्ते आयातित इस्पात का उपयोग करने संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन** लाएगी।
- यह भारत में अतिरिक्त घरेलू क्षमता के साथ स्टील की डंपिंग को रोकने में मदद करेगी और इससे कच्चे माल की कीमतों में भी कमी आएगी।

घरेलू इस्पात को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी कदम

- इस्पात की मांग और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए, **इंस्टीट्यूशन फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (INSDAG)** नामक संस्था की स्थापना की गई है जिसमें देश के अग्रणी इस्पात उत्पादक शामिल हैं।
- 'डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर आयरन एंड स्टील' के द्वारा **नेशनल कैंपेन फॉर इन्क्रीजिंग डिमांड फॉर स्टील इन नॉन-ट्रेडीशनल सेक्टर** लांच किया गया है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से विनिर्माण, ग्रामीण तथा कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्रों पर केन्द्रित है।
- सरकार द्वारा किये जाने वाले अन्य उपायों में शामिल हैं -'एंटीडंपिंग मेकेनिज़्म' को सुदृढ़ बनाना, स्टील एक्सपोर्टर फोरम स्थापित करना तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना करना।

3.23 राज्यों का राजकोषीय समेकन

(Fiscal Consolidation of States)

सुर्खियों में क्यों?

- 11 वर्षों में पहली बार 2015-16 में भारत के 29 राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आकार के अनुपात में, कई वित्त आयोगों द्वारा अनुमोदित 3% की सीमा को पार कर गया (चित्र देखें)।

पृष्ठभूमि

- 1991 के आर्थिक सुधारों के समय उत्पन्न हुई इस समस्या का कारण 80 के दशक के उतरार्द्ध में ऋण के रूप में ली गयी राशि का अतार्किक सार्वजनिक व्यय था। अतः अनुच्छेद 268 के तहत ऋण अधिकारों को सीमित करने हेतु सरकार ने 2003 में FRBM कानून को अधिनियमित किया।

VISION IAS

- इस वर्ष केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा GDP के 3.2% तक जबकि राज्यों का राजकोषीय घाटा 2.6% तक आने की उम्मीद की गयी है।
- सरकार द्वारा 2017-18 में राजकोषीय घाटे को GDP के 3.2% तक सीमित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
- हाल ही में, राजकोषीय समेकन पर गठित एन.के.सिंह पैनल ने सरकार के राजकोषीय घाटे के नवीनतम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं 2022-23 तक राज्यों में 20% ऋण-GDP अनुपात प्राप्त करने के साथ-साथ सरकार के सम्पूर्ण ऋण पर ध्यान केन्द्रित करने की सिफारिश की है।

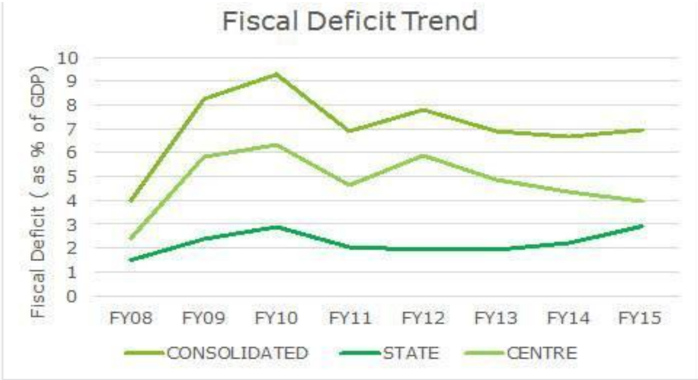

(Source: RBI)

कमजोर समेकन का कारण

- राज्यों के कर्ज में अचानक वृद्धि का कारण डिस्कॉम्स के लिए उदय योजना का लागू किया जाना है।
- इसके अलावा, 'क्राउडिंग आउट'' के कारण निजी निवेश में भी अत्यधिक कमी हुई है और राज्य सरकारें ही परिवहन, सिंचाई, बिजली आदि क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय का प्रमुख स्रोत बन गई हैं।

चुनौतियाँ

- वेतन आयोगों द्वारा सुझाई गयी वृद्धि, बढ़ता ब्याज भुगतान, तदर्थ ऋण छूट जैसी चुनौतियाँ राज्यों के वित्तीय व्यय को तात्कालिक रूप से और दीर्घकाल में प्रभावित करेंगी।
- यह मामला चिंता का एक कारण है क्योंकि वैश्विक स्तर पर पूंजी प्रवाह को निर्धारित करने में 'सॉवरेन रेटिंग' एक महत्वपूर्ण कारक होता है।

आगे की राह

- सिर्फ केंद्र ही नहीं, अपितु राज्यों (जिनका बकाया देनदारी-GDP अनुपात 24% के आस-पास है) को भी अपने वित्तीय बजट को नवाचारों के माध्यम से सीमित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में REITs जैसे साधनों से वित्तीय राजस्व में सुधार और अनावश्यक सब्सिडी को कम कर वित्तीय व्यय को कम करने जैसे प्रयास किये जाने चाहिए।
- राज्य के स्तर पर भी माइक्रो लेवल पर सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की दक्षता पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि विकास उद्देश्यों से समझौता किये बिना व्यय को कम किया जा सके।

3.24. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक

(Fugitive Economic Offenders Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तावित 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2017' के लिए जनसामान्य के विचार आमंत्रित किये गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य आर्थिक अपराधियों की स्वामित्व वाली भारतीय संपत्तियों की कुर्की एवं जब्ती कर उन्हें देश से बाहर भागने से रोकना है।

विधेयक की आवश्यकता

- अभी तक भारत में ऋण के गैर-पुनर्भुगतान के मुद्दों से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के सिविल प्रावधान उपस्थित हैं। यद्यपि ये उद्देश्य की पूर्ति करने में प्रभावी हैं, तथापि इनमें निम्नलिखित विषयों के संदर्भ में **कोई विशेष प्रावधान नहीं** हैं-

✓ उच्च राशि से सम्बंधित अपराधी (High-value Offenders)।

✓ ऐसे लोग जो किसी भी लंबित आपराधिक मामले की स्थिति में भारत से फरार हो चुके हों। फरार होने वाले ऐसे अपराधियों के मामले में, वर्तमान में केवल **आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के तहत "घोषित अपराधियों" (proclaimed offenders)** से संबंधित सामान्य प्रावधान का प्रयोग किया जाता है।

- इसलिए यह विधेयक भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर आपराधिक मुकदमा चलाने हेतु एक समर्पित वैधानिक समर्थन के रूप में कार्य करेगा।

पृष्ठभूमि

- प्रस्तावित विधेयक की घोषणा 2017-18 के बजट में की गई थी।
- यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब हाल ही में देश में कुछ आर्थिक अपराधियों के फरार होने और उनके द्वारा बैंकों का ऋण न चुकाने की घटना देखी गयी है। उदाहरण के लिए विजय माल्या का मामला।

विधेयक के प्रावधान

- यह विधेयक सरकार को भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को ज़ब्त करने का अधिकार देता है। **प्रस्तावित कानून उन मामलों में लागू होगा जहाँ अपराध 100 करोड़ रुपये से अधिक का है।**
- यह विधेयक **प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट** के तहत किसी व्यक्ति को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने के लिए **एक विशेष न्यायालय** का प्रावधान करता है।
- इस विधेयक के तहत एक **भगौड़े आर्थिक अपराधी** को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके विरुद्ध अधिसूचित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो तथा जिसने आपराधिक मुकदमा चलाये जाने से बचने के लिए भारत छोड़ दिया हो अथवा भारत लौटने से मना कर दिया हो। यह साबित करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी कि कोई व्यक्ति एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी है।
- किसी भी न्यायालय के आदेश पर, ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी कंपनी को, जहाँ वह भगोड़ा व्यक्ति प्रमोटर या प्रबंधकीय कर्मचारी या अधिकतम शेयरधारक है, किसी भी दीवानी मामले का बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
- यदि **भगोड़ा आर्थिक अपराधी** घोषित किये जाने से पहले, कथित अपराधी भारत लौटता है और सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाता है, तो कानून द्वारा इस अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवाही रोक दी जाएगी।

विधेयक का महत्व

- यह विधेयक बैंक ऋणों के डिफ़ॉल्ट होने और बढ़ती हुई गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों (NPA) के मुद्दे का समाधान कर सकता है। इनके कारण अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है।
- इससे क्राउडिंग आउट प्रभाव पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी क्योंकि बैंकों के NPAs के बढ़ने से निजी क्षेत्र हेतु धन की उपलब्धता कम हो जाती है जिससे निजी निवेश प्रभावित होता है।
- यह विधेयक आपराधिक मामलों की जाँच में आने वाली समस्याओं का समाधान करने एवं विधि के शासन को बनाए रखने के साथ साथ न्यायपालिका के समय को भी बचाएगा।

आर्थिक अपराधों के मुद्दों से निपटने के लिए मौजूदा प्रावधान

- RBI मास्टर सर्कुलर में '**विलफुल डिफ़ॉल्ट** (जानबूझकर ऋण न चुकाना)' को परिभाषित किया गया है तथा ऐसे किसी प्रमोटर को अगले 5 वर्षों के लिए एक नया उद्यम आरम्भ करने के लिए संस्थागत वित्त प्राप्त करने से रोकने, जैसे निवारक उपाय प्रदान किये गए हैं।
- न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना वित्तीय संस्थानों की परिसंपत्तियों की पुनर्प्राप्ति के लिए **सरफेसी अधिनियम** का उपयोग किया जाता है।
- **बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993** (Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993) के तहत ऋण वसूली ट्रिब्यूनल द्वारा वसूली प्रमाणपत्र के जारी किये जाने के बाद ऋण की वसूली की जा सकती है।
- इन्सॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के अनुसार देनदार या लेनदार डिफाल्ट होने पर दिवालियापन की प्रक्रिया आरम्भ कर सकता है। यदि योजना विफल हो जाती है, तो लिक्विडेशन / दिवालियापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।

3.25. शाखा प्राधिकरण नीति

(Branch Authorization Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शाखा प्राधिकरण नीति में कुछ रियायतें प्रदान की हैं।
- इसका लक्ष्य सभी शाखाओं तथा 'फिक्स्ड बिज़नेस कोरेस्पोंडेंट आउटलेट्स' को बैंकिंग आउटलेट्स की परिभाषा के तहत लाना है तथा टियर 1 केन्द्रों में शाखा खोलने पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करना है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- अप्रैल 2016 की मौद्रिक नीति में RBI के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन के नेतृत्व में शाखा प्राधिकरण नीति को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
- बाद में आंतरिक कार्य समूह (*लिली वाडेरा की अध्यक्षता में*) ने अक्टूबर 2016 में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस निम्न लागत वितरण चैनलों के माध्यम से सभी केंद्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने पर था।
- RBI के अनुसार, बैंकीकृत और गैर-बैंकीकृत केन्द्रों (जहाँ बैंक की कोई इमारती शाखा मौजूद नहीं है) की कुल संख्या क्रमशः 49,686 और 555,782 थी।

बैंकिंग आउटलेट

'बैंकिंग आउटलेट' को "स्थायी पॉइंट सेवा डिलीवरी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका संचालन बैंक के स्टाफ या इसके कारोबारी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। जो प्रति दिन कम से कम चार घंटे कार्य करते हुए सप्ताह में कम से कम पाँच कार्य दिवस खुले रहते हैं। इसके साथ ही यह आवश्यक है कि यह नियमित शाखा द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पूरी श्रृंखला भी प्रदान करते हों, यथा-जमा, चेक जमा करना, नकद निकासी और उधार।

संशोधित नीति के प्रावधान

- इस नीति ने **टियर 1 से टियर 6 तक के केंद्रों में बैंकिंग आउटलेट खोलने के प्रत्येक मामले में RBI की अनुमति प्राप्त करने के प्रावधान को समाप्त** कर दिया है।
- बैंकों द्वारा 25% आउटलेट्स गैर-बैंकीकृत केंद्रों (URC) में खोलना अनिवार्य है।

✓ संशोधित नीति के तहत, URC को एक ऐसे ग्रामीण (टीयर 5 और 6) केंद्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक या किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि का कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) से युक्त 'बैंकिंग आउटलेट' नहीं है।

कोर बैंकिंग

कोर बैंकिंग सलूशन (CBS) बैंक की शाखाओं की नेटवर्किंग है, जो ग्राहकों को विश्व के किसी भी कोने से अपने खातों का प्रबंधन करने और विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है।

महत्व

- यह बैंकिंग सेवाओं की बेहतर उपलब्धता से वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने में सहायक होगी।
- यह नीति ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग प्रणाली को और भी व्यापक स्तर पर प्रसार एवं अर्थव्यवस्था की लाभदेयता में वृद्धि करने में सहायता करेगी।
- इस कदम से बैंको के लिए गैर-बैंकिंग ग्रामीण केंद्रों में शाखाएँ खोलने की लागत में कमी आएगी क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में सभी बैंकिंग सेवाएँ देने वाले बैंक सदैव कम ग्राहक संख्या के कारण लाभदायी नहीं होते हैं।

3.26. पी-नोट्स मानदंड

(P-Notes Norms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, SEBI ने पी-नोट्स पर परामर्श पत्र जारी किया है जिससे कि पी नोट्स तथा अन्य *ऑफशोर डेरीवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स* (ODIs) को जारी करने के लिए नियमों को और सख्त किया जा सके।

आवश्यकता

- पी-नोट्स की निवेश प्रक्रिया में व्याप्त अपारदर्शिता के कारण, इसका इस्तेमाल काले धन के निवेश के लिए एक साधन के रूप में होता है। इसलिए इसका उपयोग केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित होना चाहिए।
- पहचान गुप्त रखने के लिए, बहुत से ODI ग्राहक एक से अधिक जारीकर्ताओं के माध्यम से निवेश करते हैं। इसलिए पी-नोट्स पर नए परामर्श पत्र में पेश किया गया प्रस्ताव दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक सही कदम साबित होगा।

पृष्ठभूमि

- भारतीय शेयरों और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में कुल विदेशी निवेश का लगभग 6% निवेश पी-नोट्स के माध्यम से होता है।
- SEBI द्वारा उठाये गए कदमों के फलस्वरूप जारी किये जाने वाले पी-नोट्स में अत्यधिक गिरावट देखने को मिली है जहाँ इन कदमों को उठाये जाने से पूर्व ये कुल विदेशी निवेश के 50% तक होते थे, वहीं अब ये घटकर समग्र ODIs के केवल 25% रह गए हैं। (चित्र देखें)
- गत वर्ष, सेबी ने ODI ग्राहकों के सम्बन्ध में '*नो योर कस्टमर*' (KYC) मानदंडों, ODIs की स्थानांतरणीयता, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग और सिस्टम की आवधिक समीक्षा के सम्बन्ध में निर्देश (सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद) जारी किये थे।
- यदि इस तरह के ODI स्थानांतरित किए जाते हैं, तो सेबी द्वारा जानकारी मांगे जाने पर जारीकर्ता को ऐसे स्थानान्तरण संबंधी पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

SEBI STEPS

- Indian KYC reporting rules will apply to beneficial owners of P-notes
- Transfer of overseas derivative instruments will require prior permission of issuer
- Top 500 listed companies by market cap will have to disclose dividend distribution policies
- Regulations for infrastructure investment trusts to be relaxed

परामर्श पत्र के प्रावधान

- ODIs या PNs को जारी करने वाले प्रत्येक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) पर सेबी ने 1,000 डॉलर का विनियामक शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस शुल्क का सेबी में पंजीकृत FPI द्वारा उनके प्रत्येक पी-नोट्स ग्राहक के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में भुगतान किया जाना चाहिए।
- SEBI ने **सट्टेबाजी के उद्देश्य से जारी होने वाले डेरिवेटिव्स पर प्रतिबन्ध** लगाने का भी प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में, इक्विटी, ऋण और डेरिवेटिव्स के बदले ODIs जारी किया जाता है।

✓ सेबी ने ऐसे डेरिवेटिव्स के बदले जारी किए गए ODIs को समाप्त करने के लिए 31 दिसंबर, 2020 तक का समय दिया है जिनका उद्देश्य हेजिंग नहीं हैं। FPI के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि ODI केवल उन्हीं डेरिवेटिव के बदले जारी किये जाएँ जिनका उद्देश्य सट्टेबाजी न होकर केवल हेजिंग हो।

महत्व

- यह पी-नोट्स ग्राहकों को इन नोट्स के ज़रिये निवेश करने से हतोत्साहित करेगा और उन्हें सीधे FPI के रूप में अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- यह किसी भी ट्रीटी शॉपिंग प्रैक्टिसेस (संधि की कमियों का लाभ उठाना) और कर वंचना से बचने के लिए उपयोगी होगा।

पी-नोट्स / ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स

पी नोट्स का उपयोग उन विदेशी संस्थाओं द्वारा किया जाता है जो सेबी में पंजीकृत हुए बिना भारतीय इक्विटी में निवेश करना चाहती हैं। इसलिए सेबी द्वारा पंजीकृत FPI ऐसी संस्थाओं की ओर से शेयर खरीदते हैं और फिर वास्तविक लाभार्थियों को प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करते हैं।

आगे की राह

- परामर्श पत्र की सिफारिशें उचित हैं। हालांकि, विनियामक परिवर्तनों के लिए मानव शक्ति और व्यवस्था में निवेश किये जाने की आवश्यकता है ताकि ODI जारी करने वाले FPIs द्वारा प्रदान किये जाने वाले विशाल डेटा का त्वरित विश्लेषण किया जा सके।

3.27. शहरी किराया आवास नीति का मसौदा

(Draft Urban Rental Housing Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा शहरी किराया आवास नीति का मसौदा जारी किया गया है।

आवश्यकता

- 1988 में पहली राष्ट्रीय आवास नीति जारी की गयी थी। हालांकि इसमें कर छूट और सब्सिडी से संबंधित कुछ प्रावधान थे, किन्तु इसमें समाज के उन वर्गों को संबोधित नहीं किया गया था जो घर खरीदने में असमर्थ थे और केवल किराये सम्बन्धी खर्च ही वहन कर सकते थे।
- देश में बढ़ते शहरीकरण के साथ ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर प्रवास में भी वृद्धि हुई है। उचित किराया आवास नीति के अभाव में प्रवसन के कारण मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

मुख्य विशेषताएं

- **आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय** ने स्वयं की भूमिका को 'सुविधाप्रदाता' के रूप में परिभाषित किया है। यह राज्य द्वारा या PPP के जरिए और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत निर्मित किराये के आवासों के लिए **वित्तीय और गैर-वित्तीय रियायतें प्रदान** करेगा।
- यह किराये के आवासों को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: **शहरी गरीबों के लिए सामाजिक किराया आधारित आवास और बाजार चालित किराया आवास।**

✓ **सामाजिक किराया आधारित आवास** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), कम आय वाले समूहों (LIG) और **'टेनेंट्स बाई कंस्ट्रेंट'** के रूप में परिभाषित वर्गों पर लक्षित है जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रवासी, ट्रांसजेंडर और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित शहरी गरीब शामिल हैं।

✓ **बाजार चालित किराया आवासों** में **किराया आधारित संस्थागत इकाइयां** शामिल हैं जैसे- छात्रों और कामकाजी लोगों के लिए हॉस्टल, PSU कर्मचारियों और सरकारी विभागों के लिए **सार्वजनिक किराये के मकान** और सभी के लिए **निजी किराये के आवास**।

- इसमें चुनिंदा स्मार्ट शहरों में प्रायोगिक आधार पर **किराया रसीद (वाउचर) के लिए एक कोष** स्थापित करने की भी चर्चा की गयी है। किसी निश्चित नकद राशि के बराबर के ये वाउचर शहरी गरीबों द्वारा दिए जाने वाले अत्यधिक किराए को आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित करेंगे।

चुनौतियां

- यह नीति **आवास की कमी की समस्या का समाधान नहीं करती है** क्योंकि आवास की कमी को आजीविका से संबंधित मुद्दा माना जाता है। इसलिए इसे आवास नीतियों के अधीन रखने के बजाय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत रखा गया है। यदि विभिन्न मंत्रालयों के बीच उचित समन्वय स्थापित नहीं किया जाता है तो नीति निर्माण में अंतराल उत्पन्न हो सकता है ।
- मसौदा नीति में केंद्र की भूमिका **मांग-पक्ष में हस्तक्षेप** तक ही सीमित है, जबकि सामाजिक किराया आवासों (social rental housing stock) की आपूर्ति बढ़ाने हेतु उचित उपायों की भी आवश्यकता है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बाजार पर डाल दिया गया है।
- आवास राज्य का विषय है, इसलिए सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।
- कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, मुंबई महानगरीय क्षेत्र आदि की अपनी स्वयं की आवास किराया संबंधी नीतियां (rental housing policies) हैं। हालांकि ये **अनौपचारिक आवासीय क्षेत्र के प्रसार को रोकने में विफल** रहीं हैं।

✓ जैसे मुंबई ने शहरी किराये की नीति में मूलनिवास की आवश्यकता संबंधी प्रावधान जोड़ा है जिससे नीति का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

- कई केंद्रीय सरकारी योजनाओं के विपरीत, जो गृह निर्माण के लिए बजटीय सहायता प्रदान करती हैं, किराया संबंधी आवास नीति का मसौदा किसी भी प्रकार का केंद्रीय वित्तपोषण प्रदान नहीं करता है।

आगे की राह

- अभी तक के अधिकांश नीतिगत हस्तक्षेप आवासों का स्वामित्व प्रदान करने पर ही केन्द्रित रहे हैं जिससे शहरी भारत में आवासों की कमी की समस्या को हल नही किया जा सकता क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) एवं कम आय वाले समूहों (LIG) में ही अधिकांश शहरी आवासों की कमी है। इसलिए किराये के आवासों के प्रति एक एकीकृत एवं समर्पित नीति वर्तमान समय की आवश्यकता है।

3.28. जनऔषधि परियोजना

(Janaushadhi Pariyojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रेल मंत्रालय ने प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत रेलवे स्टेशनों एवं अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों पर जन औषधि केंद्र खोलने की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- भारत को विश्व का औषधालय (World's Pharmacy) कहा जाता है और हमारा फार्मास्युटिकल क्षेत्र 20-21% की दर से बढ़ रहा है तथा भारत कई देशों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं का निर्यात कर रहा है।

VISION IAS

योजना के बारे में

- **प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, औषध विभाग** द्वारा आरम्भ किया गया एक अभियान है, जिसके तहत **प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK)** नामक विशेष केंद्र के माध्यम से जनता को उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
- PMBJK के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की **खरीद, आपूर्ति और समन्वय** के लिए सभी केन्द्रीय PSU की सहायता से औषध विभाग के तहत **ब्यूरो ऑफ़ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (BPPI)** की स्थापना की गयी है।
- खरीदी गयी जेनेरिक दवाओं को खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50% से 90% कम कीमत पर बेचा जाएगा।
- इस योजना के तहत खरीदी गई सभी दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए NABL (नेशनल ऐक्रेडियेशन बोर्ड लैबोरेटरीज) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच की जाती हैं। ये दवाएं WHO GMP (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज) मानक के अनुरूप कार्य करने वाली कंपनियों से ही प्राप्त की जा सकती हैं।
- राज्य सरकारें जन औषधि केंद्र के लिए सरकारी अस्पतालों के परिसर अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर स्थान उपलब्ध कराएंगी। PMBJK को **सरकारी निकायों के स्वामित्व वाली किसी भी सरकारी इमारत में किसी भी सरकारी एजेंसी** द्वारा खोला जा सकता है।

✓ कोई भी NGO/चैरिटेबल सोसाइटी/संस्थान/सेल्फ हेल्प ग्रुप /व्यक्तिगत उद्यमी/ फार्मासिस्ट /डॉक्टर अस्पताल परिसर के बाहर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं।

✓ इसके लिए सरकार 2.5 लाख रुपये तक का अनुदान भी प्रदान करती है।

महत्व

- यह जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने और ब्रांडेड दवाओं पर निर्भरता कम करने के लिए एक अन्य प्रमुख सरकारी कदम है।
- रेलवे स्टेशनों पर जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता से इन दवाओं तक लोगों की पहुंच, आवश्यक दवाइयों की वहन क्षमता और ग्राहकों की सुविधा में सुधार होगा।

3.29. ढोला सदिया पुल

(Dhola Sadiya Bridge)

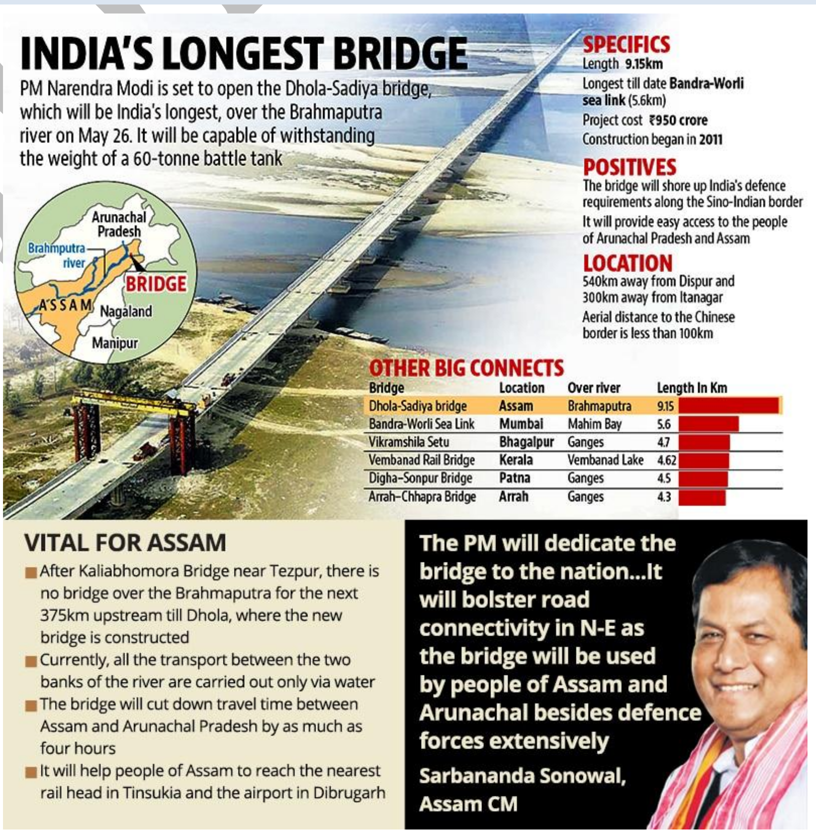

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधान मंत्री ने असम में लोहित नदी पर निर्मित देश के सबसे लम्बे पुल का उद्घाटन किया।

पुल की विशेषताएं

- यह भारत का सबसे लंबा पुल है जिसकी लम्बाई 9.5 किमी है। इस पुल का नाम *प्रसिद्ध गीतकार-गायक भूपेन हजारिका* के नाम पर रखा गया है। इससे पहले *बांद्रा-वरली समुद्र लिंक* सबसे लम्बा पुल था ।

महत्व

- यह पुल देश के मुख्य क्षेत्रों के साथ उत्तर-पूर्व के संपर्क को बढ़ाएगा। यह सरकार की एक्ट ईस्ट नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- यह भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से में पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। उदाहरण के लिए कामख्या मंदिर से संपर्क आसान हो जाएगा।
- यह सीमा पर आपात स्थिति या उग्रवाद के मामलों में सैन्य दस्तों और तोपों की त्वरित पहुँच को सुनिश्चित करेगा।

VISION IAS

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1. इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड

(Integrated Theatre Command)

सुर्ख़ियों में क्यों:

- रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त **लेफ्टिनेंट जनरल डी बी शेकाटकर** (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली एक समिति ने अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है।

अनुशंसाएँ:

इस समिति ने 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का गठन करने की अनुशंसा की है :

- चीन सीमा के लिए नॉर्थ कमांड (उत्तरी कमान),
- पाकिस्तान सीमा के लिए वेस्टर्न कमांड (पश्चिमी कमान) और
- समुद्री सीमाओं के लिए साउथ कमांड (दक्षिणी कमान)

नॉर्थ कमांड और वेस्टर्न कमांड के तहत भू-सीमाएं हैं, इसलिए इस क्षेत्र में सेना की विशेषज्ञता को देखते हुए इसका नियंत्रण आर्मी जनरल के पास होना चाहिए। साउथ कमांड पर नेवी एडमिरल (नौ-सेनाध्यक्ष) का नियंत्रण होना चाहिए।

पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में, हमारे पास **सर्विस-स्पेसिफिक कमांड्स** (service-specific commands) हैं अर्थात वायु सेना और नौसेना के पास पुरे देश में अपने स्वयं के कमांड हैं।
- **सर्विस कमांड्स के बीच संबद्धता (Jointness)** : यद्यपि तीनो सेवाओं और उनके संबंधित क्षेत्रों में उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान में प्रगति हो रही है, परन्तु युद्ध के समय वे एक साथ कार्य करती हैं तथा अपने ऑपरेशन में समन्वय स्थापित करती हैं।
- **युद्ध के दौरान:** सेवा मुख्यालयों (Service Headquarters) के स्तर पर ऑपरेशन्स के समन्वय की अपेक्षा की जाती है। यह समन्वय चीफ ऑफ़ स्टाफ कमेटी (COSC) द्वारा किया जाता है। इस COSC के अध्यक्ष पद पर अभी तक किसी को नियुक्त नहीं किया गया है।

- भारतीय सशस्त्र बलों के पास वर्तमान में 17 कमांड हैं।
- सेना के प्रत्येक अंग के पास 7 कमांड है [उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य, दक्षिण-पश्चिमी और सेना प्रशिक्षण कमान (Army Training Command: ARTRAC)] है।
- वायु सेना के पास [पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी, मध्य, प्रशिक्षण और रखरखाव (Training and Maintenance)] है।
- नौसेना के पास 3 कमांड हैं [पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी]।
- प्रत्येक कमांड का नेतृत्व 4-स्टार रैंक (4-star rank) के सेना अधिकारी करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, **2 ट्राई सर्विस कमांड [सामरिक बल कमान (स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड :SFC)] तथा अंडमान एंड निकोबार कमांड (ANC)]** हैं। इनकी अध्यक्षता तीनो सेवाओं के अधिकारियों द्वारा रोटेशन (नियमित आवर्तन) से की जाती हैं।
- ANC एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है।
- दूसरी ट्राई सर्विस कमांड्स, SFC देश की परमाणु परिसंपत्तियों के वितरण और परिचालन संबंधी नियंत्रण (operational control) की देखरेख करती है। चूंकि इसकी कोई विशिष्ट भौगोलिक उत्तरदायित्व और एक निर्दिष्ट भूमिका नहीं है, इसीलिए यह एक इन्टीग्रेटेड फंक्शनल कमांड है, थिएटर कमांड नहीं।

इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है ?

- इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से आशय तीनों सेवाओं की एकीकृत कमान से है। ज्योग्राफिकल थिएटर्स (जो सुरक्षा संबंधी चिंता का विषय है) के लिए इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड की परिकल्पना की गई है। यह एकीकृत कमान एक ही कमांडर के नियंत्रणाधीन होती है।
- **कम्पोजिट एंड कोहेसिव (composite and cohesive) :** ऑपरेशनल प्लान्स (operational plans) के क्रियान्वयन के लिए तीनों सेवाओं को एक साथ विभिन्न स्तरों पर एक कमांडर के अधीन एकीकृत किया गया है।

 ©Vision IAS

VISION IAS

- **दुश्मन के खिलाफ प्रभावकारिता और दक्षता (Efficacy and Efficiency against the enemy) :** इंटीग्रेटेड थियेटर कमांडर किसी एक सेवा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। कोहेसिव फाइटिंग फ़ोर्स के गठन हेतु कमांडर अपने बलों को प्रशिक्षित एवं सुसज्जित करने तथा अपने आदेश का पालन करवाने हेतु स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाएगा। ऑपरेशन के लिए आवश्यक रसद संसाधनों (logistic resources) को थिएटर कमांडर के नियंत्रण में ही रखा जाएगा ताकि ऑपरेशन के समय उन्हें किसी भी चीज की कमी का सामना न करना पड़े।

पक्ष में तर्क:

- दोहराव को रोकना(Avoids duplication), यह संसाधनों के दुरूपयोग को रोकता है। साथ ही उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है।
- सभी सैन्य संसाधन एक कमांडर की निगरानी में रखे जा सकते हैं। इसका परिणाम युद्ध क्षेत्र में बढ़ी हुई दक्षता के रूप में दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, यू.एस. और चीन जैसे देशों में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हैं। दरअसल, भारत के साथ चीन की सीमा एक ही कमांड के अंतर्गत है।
- COSC युद्ध के दौरान, आम सहमति के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे संयुक्त स्तर पर निर्णय लेने में विलंब हो सकता है तथा इस प्रकार ऑपरेशन का क्रियान्वयन करना कठिन हो सकता है।

विपक्ष में तर्क:

- भारत भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा नहीं है कि इसे विभिन्न थिएटर्स (युद्ध-क्षेत्रों) में विभाजित किया जा सके। यहाँ एक थिएटर से संसाधनों को आसानी से दूसरे थिएटर में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- भारत के पास सैन्य अवसंरचना की कमी है; उदाहरण के लिए, 45 फाइटर स्क्वाड्रॉन्स में से वर्तमान में केवल 34 ही मौजूद हैं। चूंकि देश पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहा है अतः इसे और विभक्त करना अव्यवहार्य होगा।
- US की वैश्विक भूमिकायें हैं अतः उसे अपने संसाधनों को एक थियेटर से दूसरे पर ले जाना कठिन है जबकि भारत की परिस्थितियों में दूरी और समय की कोई समस्या नहीं है।
- अपेक्षाकृत निम्न सेवाओं में यह भय है कि इस तरह के परिवर्तन से उनके महत्व और सेवा प्रमुख की शक्ति कम हो जाएगी।

आगे की राह:

- इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के गठन हेतु शुरुआती कदम के रूप में चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ या स्थायी अध्यक्ष, COSC की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- अन्य फंक्शनल कमांड जैसे साइबर कमांड, एयरोस्पेस कमांड और स्पेशल ऑपरेशंस कमांड की मांग हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी को भी स्वीकृति नहीं प्रदान की है।
- इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के गठन हेतु दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी। इसके लिए चरणबद्ध सुधार की आवश्यकता है।
- तीनों सेवाओं में अधिक से अधिक सम्बद्धता (jointness) की आवश्यकता है। इस संबंध में जल्दबाज़ी में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का गठन करना उपयुक्त नहीं होगा।

4.2. नक्सल हिंसा हेतु 'समाधान' सिद्धांत

('Samadhan' Doctrine for Naxal Violence)

सुर्ख़ियों में क्यों:

- सुकमा हमले में 25 जवानों की मौत हो गई। पिछले कई वर्षों में यह CRPF पर सबसे बड़ा नक्सली हमला है।

'समाधान' क्या है:

- ऑपरेशन 'समाधान' नक्सली समस्या को हल करने हेतु गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा किया गया प्रयास है।
- समाधान का पूरा नाम निम्नलिखित है।
- **S-स्मार्ट लीडरशिप-** राज्यों पर नक्सल विरोधी अभियानों का "उत्तरदायित्व" होगा और राज्य "गुरिल्ला हमलों से निपटने के लिए एक एकीकृत रणनीति" तैयार करेंगे।
- **A-एग्रेसिव स्ट्रैटेजी-** नक्सल बेल्ट में ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर सहयोग तथा 400 फोर्टीफाईड पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- **M- मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग-** भारतीय सेना या **ग्रेहाउंड्स** जैसे विशेष बलों द्वारा नक्सलियों का सामना करने के लिए बलों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

VISION IAS

- **A-एक्शनेबल इंटेलिजेंस** - अंतर्राज्यीय सीमाओं के साथ ऑपरेशन के संचालन हेतु संयुक्त कार्य बल की स्थापना। बेहतर अंतर-राज्य समन्वय और आसूचना साझाकरण।
- **D-डैशबोर्ड** आधारित KPI (की परफोर्मेंस इंडिकेटर) और KRAs (की रिजल्ट एरिया)
- **H-हारनेसिंग टेक्नोलॉजी** - माओइस्ट हॉटबेड एरियाज के लिए UAVs और ड्रोन; GPS ट्रैकिंग, HHTI (हेंड हेल्ड थर्मल इमेज) उपकरण, रडार, सैटेलाइट इमेजरी, हथियारों में ट्रैकर।
- **A-** प्रत्येक थियेटर के लिए **एक्शन प्लान**।
- **N-नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग:** LWE समूह को प्राप्त होने वाले वित्त प्रवाह को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लोंड्रिंग एक्ट (PMLA) की समीक्षा की जाएगी।

आगे की राह:

- केंद्रीय गृह मंत्री ने "उद्देश्य की एकता"(Unity of purpose"), "नीति में आक्रामकता" और 'वाम चरमपंथियों को प्राप्त होने वाले धन के स्त्रोत को समाप्त कर देना' जैसे बिन्दुओं को नक्सल खतरे से निपटने के लिए बुनियादी सूत्र के रूप में माना है।
- वामपंथी उग्रवाद (LWE) का पुनरारंभ (Resumption)- SRE, SIS, IAP/ACA, CIAT स्कूल जैसी विशिष्ट योजनाएं लंबी अवधि में एक स्थायी समाधान है। फास्ट ट्रैकिंग बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युत वितरण, 3-G कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल टॉवर और रोड-रेल कनेक्टिविटी की आवश्यकता है ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखे और विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

4.3. ब्रह्मोस का अंडमान द्वीपों से परीक्षण किया गया

(Brahmos Tested from Andaman Islands)

सुर्ख़ियों में क्यों:

ब्रह्मोस ब्लॉक III संस्करण की लैंड टू लैंड मिसाइल की फुल रेंज टेस्टिंग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में की गई। यह परीक्षण मोबाइल ऑटोनॉमस लांचर (MAL) के माध्यम से किया गया।

ब्रह्मोस का महत्व:

- ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (2.8 से 3.0 मैक गति) है। यह विश्व की तीव्रतम एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है।
- परीक्षण में इस मिसाइल ने धरातल पर स्थित लक्ष्य को **"टॉप एटेक कॉन्फ़िगरेशन"** के साथ काफी सूक्ष्मता से सफलतापूर्वक टारगेट किया तथा कॉपीबुक मेनर से सभी उड़ान पैरामीटर्स को पूरा किया।
- मिसाइल की मारक क्षमता 290 किमी से बढ़ाकर 450 किमी कर दी गई है।
- यह एक मल्टी-प्लेटफॉर्म, मल्टी मिशन मिसाइल है। इस मिसाइल को सतह, वायु, समुद्र, उप-समुद्र (sub-sea) से लॉन्च किया जा सकता है तथा यह सतह तथा सी-बेड पर स्थित टारगेट को समाप्त करने में सक्षम है।

ब्रह्मोस को संयुक्त रूप से DRDO (भारत) और NPOM (रूस) द्वारा विकसित किया गया था। भारत द्वारा 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) का सदस्य बनने के बाद, भारत और रूस अब 600 किमी से अधिक मारक क्षमता वाली नई पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइलों को विकसित करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले की श्रेणी की मारक क्षमता 300 कि.मी. तक ही सीमित थी।

4.4. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल

(Strategic Partnership Model :SP Model)

सुर्ख़ियों में क्यों:

रक्षा निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को मंजूरी दी।

स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल क्या है:

- यह इस विचार पर आधारित है कि सभी खण्डों में निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों को शामिल कर, उन्हें दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से सामरिक भागीदार बनाना।
- यह कंपनी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस द्वारा चयनित फोरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (foreign OEMs) के साथ एक संयुक्त उद्यम आरम्भ करेगी। इस रूप में यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण द्वारा भारत में विशिष्ट उपकरणों के निर्माण के लिए एक प्लेटफार्म तैयार करेगी।
- चूंकि रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता होती है, इसीलिए संयुक्त उद्यम के माध्यम से उत्पादन को लाभप्रद बनाने हेतु इन कंपनियों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध किये जायेंगे ।

महत्व:

- रक्षा क्षेत्र से संबंधित PSUs तथा निजी उद्योगों को सुदृढ़ किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त चार प्रमुख क्षेत्रों यथा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां तथा बख़्तरबंद वाहनों एवं मुख्य युद्धक टैंक (armoured vehicles and main battle tanks) के निर्माण में घरेलू विशेषज्ञता प्राप्त होगी।
- प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, क्षमता में वृद्धि करने, प्रौद्योगिकी को शीघ्रतापूर्वक अपनाने तथा अपेक्षाकृत अधिक अर्थपूर्ण समावेशन करने की क्षमता प्रदान करना।
- इससे स्तरित (layered) औद्योगिक परिवेश का निर्माण करने, व्यापक कौशल आधार के विकास को सुनिश्चित करने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखला(value chains) में भागीदारी के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता प्राप्त होगी ।
- SP मॉडल की अनुपस्थिति के कारण 50,000 करोड़ रुपये की राशि अभी भी फंसी हुई है। विदेशी OEMs ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मॉडल के बिना, वे भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने में असमर्थ हैं। इसके कारण व्यापक स्तर पर रक्षा परियोजनाओं का अभाव बना हुआ है।

आलोचना:

- SP मॉडल नई तकनीक के प्रयोग को अवरुद्ध कर सकता है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में नई कंपनियों को प्रवेश करने से रोक सकता है। इससे एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा।
- SP के लिए केवल एक विशेष खंड का चयन करना निजी क्षेत्र के लिए चिंता का मुख्य विषय है।

4.5. वानाक्राई रैनसमवेयर

(Wannacry Ransomware)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में वानाक्राई नामक रैनसमवेयर ने सम्पूर्ण विश्व में लगभग एक लाख कम्प्यूटरों को प्रभावित किया। इस सन्दर्भ में CERT-IN ने *'क्रिटिकल अलर्ट'* की घोषणा की तथा डाटा की किसी भी प्रकार की सेंधमारी से बचने के लिए उचित सुरक्षा उपायों (Patches) को अपनाने की सलाह प्रदान की।

पृष्ठभूमि

- विभिन्न मालवेयर अलग-अलग तरीकों से कम्प्यूटरों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इनका विस्तार जानकारी चुराने वाले से लेकर ऐसे मालवेयर तक है जो किसी उपकरण से पूरा डाटा नष्ट कर देते हैं।
- रैनसमवेयर डाटा के *फोर्स्ड एन्क्रिप्शन* के द्वारा किसी यूजर को उसके ही सिस्टम से लॉग आउट कर देते हैं तथा एन्क्रिप्टेड डाटा तक दोबारा पहुँच के एवज़ में फिरौती की मांग करते हैं। (वॉनाक्राय के हमले के मामले में फिरौती बिटकॉइन के रूप में मांगी गयी थी।)
- वॉनाक्राय से सर्वाधिक गंभीर रूप से यूनाइटेड किंगडम प्रभावित हुआ जहाँ इस रैनसमवेयर ने *नेशनल हेल्थ सर्विस ट्रस्ट* के कम्प्यूटरों पर हमला किया। इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं में भारी अनियमितताएँ देखने को मिलीं।
- इसके द्वारा प्रभावित होने वाले कम्प्यूटरों में से ज्यादातर प्रचलन से बाहर एवं अत्यधिक पुराने थे। कुछ मामलों में ये कंप्यूटर अस्पताल या विनिर्माण जैसी गतिविधियों का भाग थे। अतः उन्हें किसी महत्त्वपूर्ण कार्य को बाधित किये बिना पैच से सुरक्षित नहीं किया जा सकता था।

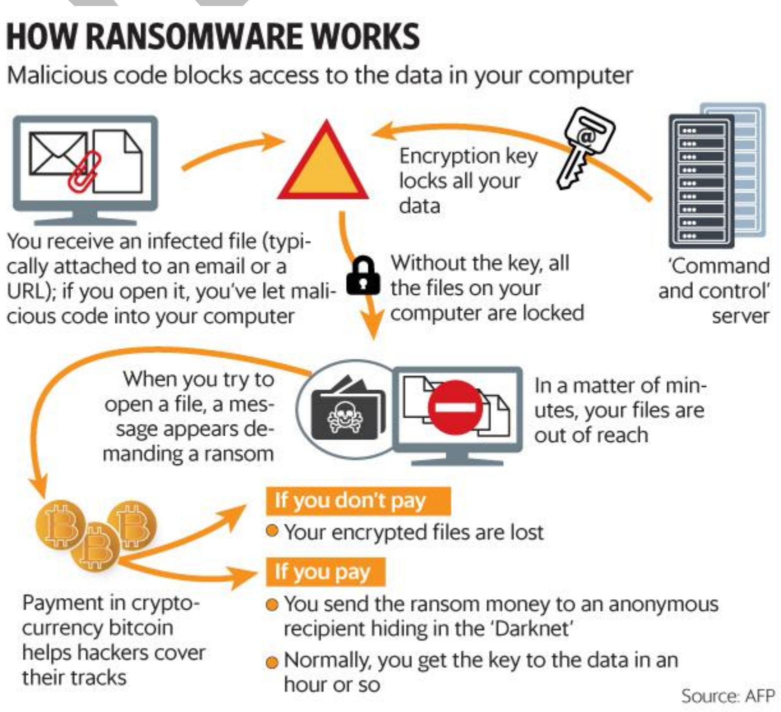

भारत पर प्रभाव

- इस हमले के लिए भारत अधिक सुभेद्य था क्योंकि यहाँ के अधिकांश आधिकारिक कम्प्यूटर विंडोज पर आधारित हैं एवं नियमित रूप से अपडेट नहीं होते हैं।

- भारत वर्तमान में अत्यधिक मात्रा में व्यक्तिगत डेटा, आधार डेटा से सम्बद्ध है और भविष्य के ऐसे किसी हमले से लाखों भारतीयों की गोपनीयता और निजता खतरे में पड़ सकती है।

समाधान

- वर्तमान में साइबर सुरक्षा के लिए चार चरणीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है:
- ✓ एक्सपोजर एनालिसिस द्वारा अनुमान लगाना (Predict)
- ✓ अटैक सरफेस को कम करने के लिए एक रक्षात्मक समाधान विकास के द्वारा बचाव (Prevent)
- ✓ घुसपैठ कैसे हुई और इससे सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़े, यह पता लगा कर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया (Respond)
- ✓ साइबर वर्ल्ड संबंधी आधारभूत ढांचे पर किसी भी प्रकार के हमले या संदिग्ध बदलाव का एक निगरानी तंत्र के द्वारा पता लगाना (Detect)

4.6. NTRO को इंटेलिजेंस एक्ट के अंतर्गत लाया गया

(NTRO Under Intelligence Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान (नेशनल टेक्निकल रिसर्च आर्गेनाईजेशन: NTRO) को *इंटेलिजेंस आर्गेनाईजेशन्स (रेस्ट्रिक्टशन ऑफ़ राइट्स) एक्ट* के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की है।

- **इंटेलिजेंस आर्गेनाईजेशन्स (रेस्ट्रिक्टशन ऑफ़ राइट्स) एक्ट, 1985**
- इस अधिनियम का उद्देश्य इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा होने वाले सूचना के लीकेज को रोकना है।
- यह किसी अधिसूचित एजेंसी के कर्मचारियों के निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करता है -
- ✓ कोई संगठन/संघ बनाना
- ✓ कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- ✓ खुफिया संगठन के प्रमुख की अनुमति के बिना प्रेस के साथ किसी भी तरह का वार्तालाप, या किसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज का प्रकाशन

NTRO के बारे में

- NTRO का गठन वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के पश्चात् एक समर्पित तकनीकी इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में किया गया था। यह 2004 में पूर्णतः गठित हुआ।
- यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंतर्गत कार्य करता है।
- NTRO प्रधानमंत्री कार्यालय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करता है।
- इसके अंतर्गत राष्ट्रीय क्रिप्टोलॉज़ी अनुसन्धान एवं विकास केंद्र भी सम्मिलित है।

भारत में विभिन्न ख़ुफ़िया संस्थान

1. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW)

- इसकी स्थापना 1968 में चीनी प्रभाव को रोकने के लिए हुई थी, हालांकि कालांतर में इसका कार्य पाकिस्तान पर केन्द्रित हो गया
- यह भारत की प्रमुख बाह्य खुफिया एजेंसी है।
- यह रक्षा विभाग के बजाए सीधे प्रधान मंत्री को रिपोर्ट करता है।
- इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं-
- ✓ समीपवर्ती देशों में राजनीतिक और सैन्य विकास की निगरानी करना, जिनका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं इसकी विदेश नीति की रूपरेखा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
- ✓ यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से पाकिस्तान को होने वाली सैन्य आपूर्तियों पर नियंत्रण एवं उन्हें सीमित करने के प्रयास करना।

2. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)

- इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा आतंरिक तथा बाह्य ख़ुफ़िया मामलों से निपटने के लिए की गयी थी। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बाद इसे बाह्य ख़ुफ़िया कार्यों से मुक्त कर दिया गया।
- यह आतंकरोधी तथा काउंटर इंटेलिजेंस कार्यों का निष्पादन भी करती है।

VISION IAS

3. डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI)

- यह भारत की सर्वोच्च तस्करीरोधी एजेंसी है, जो वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत कार्य करती है।
- यह निषिद्ध वस्तुओं, नशीले पदार्थों और वन्य जीवन तथा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील वस्तुओं के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने का कार्य करता है।
- यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित वाणिज्यिक धोखाधड़ी और कस्टम शुल्क चोरी को भी रोकता है।

4. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो – यह 1986 में 'द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985' के प्रावधानों के अनुरूप स्थापित की गई थी। यह एक खुफिया एजेंसी है और देश से अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के मामले से संबंधित प्राधिकरणों की कार्रवाई का समन्वय करती है।

महत्त्व

- इस अधिसूचना के उपरांत अब NTRO भी IB तथा RAW के समान आचार संहिताओं द्वारा नियमित होगा एवं उसके समान शक्तियाँ धारण करेगा।
- 2012 में, गृह मंत्रालय ने NTRO को फोन की निगरानी से सम्बंधित शक्तियाँ देने से मना कर दिया था क्योंकि इसे अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था। अब NTRO को इंटरसेप्ट करने की अनुमति दी जा सकती है।

चुनौतियाँ

- अधिनियम, विभिन्न खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों पर लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों को स्पष्टतः परिभाषित नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा एजेंसियां कभी कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं।
- IB और RAW दोनों ही एजेंसिया इस अधिनियम के दायरे में किसी अन्य एजेंसी को शामिल करने का विरोध कर रही हैं।

आगे की राह

- नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA), DRI और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) जैसी कई सुरक्षा एजेन्सियाँ भी खुफिया संगठन अधिनियम दायरे में आने को इच्छुक हैं। अतः सरकार को हमारे खुफ़िया तंत्र को सशक्त करने की दिशा में इस तरह के प्रयास करने चाहिए।

4.7. साइकिल पेट्रोलिंग

(Bicycle Patrols)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 'साइकिल पेट्रोलिंग' का आरंभ किया।

विशेषताएँ

- यह एक पूरक के रूप में कार्य करेगी। साइकिल पेट्रोलिंग दल दिल्ली पुलिस की मौजूदा मोटरसाइकिल और PCR पेट्रोलिंग में मददगार साबित होगी। यह मुख्य रूप से दिल्ली की मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण सड़कों पर अपराध की रोकथाम पर केन्द्रित है।
- इस 'साइकिल पेट्रोलिंग दल' का मुख्य फोकस पार्कों की देखरेख पर होगा जहाँ महिलाएँ और वरिष्ठ नागरिक टहलने के लिए जाते हैं।
- विश्वविद्यालय के परिसरों और स्कूलों/कॉलेजों में भी दिल्ली पुलिस द्वारा साइकिल पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि पुलिस अधिकारियों एवं छात्र समुदाय के मध्य सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध विकसित हो सके।

महत्त्व

- साइकिल पेट्रोलिंग 'सामुदायिक भागीदारी द्वारा पुलिसिंग' की अवधारणा को साकार करने का एक प्रयास है।
- यह स्थानीय पुलिस थाने के लिए सचल पुलिस दस्तों की भाँति कार्य करेगा तथा नागरिकों की पुलिस आवश्यकताओं के शीघ्र निपटारे में सहायक होगी।
- इसका शुभारम्भ पार्कों, सँकरी गलियों, छोटी सड़कों तथा कोआपरेटिव सोसाइटी में गश्त करने के लिए एक ग्रीन इनिशिएटिव के रूप में किया गया है। चूंकि साइकिल पेट्रोलिंग में शोर कम होता है, ऐसे में रात के वक्त जब लोग सो रहे हों तो साइकिल पैट्रोलिंग मददगार होगी।
- इनकी गति कम होने के कारण पुलिस के जवानों की अवलोकन क्षमता तथा गश्ती क्षेत्र में अवांछित तत्वों की उपस्थिति एवं अनुचित क्रियाकलापों को पहचानने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

VISION IAS

5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

5.1. शहरी बाढ़

(Urban Flooding)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 'अर्बन फ्लडिंग- स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' नामक एक पेपर जारी किया है। इस पेपर में दिए गये दिशा-निर्देशों का विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों और सरकारी विभागों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

शहरी बाढ़ से आशय शहरी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से है। शहरी बाढ़ आने के कारण निम्नलिखित हैं:

- भारी वर्षा;
- झील जैसे जलाशयों का अभाव;
- जल निकासी प्रणाली का अवसादन (silting);
- जनसंख्या दबाव, शहरीकरण तथा निर्वनीकरण;
- बाढ़ नियंत्रण उपायों का अभाव, आदि।

मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर: SOP)

- शहरी इलाकों में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि जैसे उत्तराखंड फ्लैश फ्लड, चेन्नई बाढ़ आदि ने ऐसे हालातों से निपटने के लिए एक मानकीकृत योजना की आवश्यकता पर विचार करने हेतु विवश किया है।
- इस प्रकार मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशो में विभिन्न विभागों के लिए निम्नलिखित निर्देश शामिल हैं:

ULBs और विकास प्राधिकरण

- निगम कक्ष और नगरपालिका वार्डों में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स (EOCs) और क्राइसिस-कंट्रोल रूम की स्थापना करना।
- भोजन और जल की आपूर्ति के साथ अस्थायी आश्रयों को सुनियोजित करना।
- उद्योगों (रासायनिक दुर्घटना), फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग जैसे विभागों के साथ राहत योजना का समन्वय करना।
- मीडिया और जनता के साथ सूचनाएं साझा करने के लिए सूचना केंद्र स्थापित करना।
- शहरी विकास प्राधिकरण, डिजास्टर मिटीगेशन प्लान तथा शहर की जल निकासी और स्वच्छता योजना के एकीकरण सहित सिटी मास्टर प्लान तैयार करने होंगे।

स्वास्थ्य विभाग

- महामारी नियंत्रण इकाई (ECU) की स्थापना करना। अस्पतालों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना।
- चिकित्सा, उपकरण और रक्त के इमरजेंसी स्टॉक को बनाए रखना।
- इसे आपदा/पुनर्वास स्थलों पर स्वास्थ्य सुविधा और उपचार केंद्र स्थापित करने होंगे।
- इसे **संकट/महामारी प्रबंधन की रिपोर्ट** तैयार करनी होगी और इसकी समीक्षा करनी होगी तथा EOC के समक्ष एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

PWD और सिंचाई विभाग

- PWD को समय-समय पर नालियों की मरम्मत करनी होगी तथा **ड्रेनेज मास्टर प्लान को अपडेट** करना होगा।
- पदानुक्रम के अनुसार सभी सड़कों और पुलों की एक सूची तैयार करना तथा सुरक्षित मार्गों एवं निकास बिंदुओं की पहचान कर एक **आपदा अनुक्रिया मानचित्र (Disaster Response Map)** तैयार करना।
- इमारतों एवं संबंधित बुनियादी ढांचे की मरम्मत करना।

बिजली आपूर्ति और दूरसंचार

- बिजली आपूर्ति विभाग को उच्च जोखिम वाले विद्युत अधिष्ठानों के आस-पास संवेदनशील स्थानों की पहचान करनी होगी और ट्रांसफार्मर्स एवं सबस्टेशन्स के स्तर को बाढ़ के स्तर से ऊपर करना।
- अस्थायी राहत आश्रयों के लिए आपातकालीन विद्युत आपूर्ति लाइनों को मेन्टेन करना।
- दूरसंचार विभाग को असुरक्षित बाढ़ स्थलों में पोर्टेबल कम्युनिकेबल सिस्टम (portable communicable system) की व्यवस्था करनी चाहिए।

VISION IAS

पुलिस और अग्निशमन विभाग

- पुलिस द्वारा भीड़ प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा इसके पास निकासी एवं अन्य बचाव कार्यो पर विस्तृत रिपोर्ट होनी आवश्यक है।
- अग्निशमन विभाग को बाढ़ वाले इलाकों में राहत हेतु आपात अग्निशमन सुविधाओं और नौकाओं को तैयार करना होगा।

5.2. दक्षिण भारत में सूखा

(Drought in South India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विशेषज्ञों के अनुसार केरल और तमिलनाडु अभूतपूर्व अर्थात् इस शताब्दी के सर्वाधिक भीषण सूखे का सामना कर रहे है; वहीं कर्नाटक के उत्तरी जिलों में निरंतर तीसरे वर्ष जल का अभाव है।

सूखे का कारण केवल वर्षा की कमी ही नहीं है बल्कि जल संसाधनों का अप्रभावी प्रबंधन भी है।
उदाहरण- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बाजरा जैसी कम जल गहन फसलों की कृषि के कारण सूखे जैसी स्थिति नहीं है।

सूखे के कारण

- **वर्षा आधारित कृषि (Rainfed Agriculture)**- पूर्वोत्तर मानसून की असफलता और सिंचाई सुविधाओं का अभाव सूखे का मुख्य कारण है।
- **शहरीकरण** ने झीलों और अन्य क्षेत्रों को कंक्रीट सतहों में परिवर्तित कर दिया है जिससे जल संरक्षण नहीं हो पाता है।
- **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद:** दक्षिणी राज्य नदी जल को साझा करने की समस्या पर चर्चा हेतु एक साथ बैठक करने और उसके समाधान के लिए तैयार नहीं हैं।
- **जल के सांस्कृतिक संपर्क का लुप्त होना:** ऐतिहासिक रूप से बड़ी संख्या में तालाब एक-दूसरे से जुड़े हुए होते थे जिससे एक तालाब का अतिरिक्त जल बहकर दूसरे तालाब में आ जाता था। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण हेतु मनाये जाने वाले त्योहारों का लुप्त हो जाना आदि।
- **दोषपूर्ण फसल प्रतिरूप:** सरकार द्वारा प्रदत्त उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के कारण किसानों द्वारा धान, गन्ना जैसी जल गहन फसलों को प्राथमिकता दी जाती है।

ड्राट क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, 2015

इस नियमावली में चार महत्वपूर्ण उपायों का निर्धारण किया गया है। इन उपायों को राज्य सरकार को केंद्र सरकार की सहायता से सूखे के समय लागू करना चाहिए।

- मनरेगा के तहत सूखा प्रभावित लोगों को तत्काल रोजगार मुहैया कराना।
- भोजन और चारा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।
- चेक डैम के निर्माण और पाइप लाइन जल एवं अन्य सिंचाई सुविधायें प्रदान कर भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए कार्य आरंभ करना।
- सरकार को या तो किसानों के ऋण माफ़ कर देने चाहिए या स्थगित कर देने चाहिए और फसल नुकसान मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए।

क्या किया जा सकता है?

- स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में छोटे जलाशयों को विकसित करने पर फोकस किया जाना चाहिए जो सिंचाई नहरों से जुड़े हो भी सकते है और नहीं भी। उदाहरण- गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में बड़ी संख्या में चेक डैम्स का निर्माण किया गया है।
- एग्रोक्लाइमेटिक क्रॉपिंग पैटर्न (Agroclimatic cropping pattern) का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- सिंचाई, विशेष रूप से ड्रिप सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों में निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसमें सहायक होगी।

5.3. बॉन क्लाइमेट मीट

(Bonn Climate Meet)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पेरिस समझौते के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने हेतु बॉन, जर्मनी में UNFCCC द्वारा आयोजित बॉन क्लाइमेट चेंज कांफ्रेंस का आरम्भ हुआ।
- बॉन में सभी पक्ष (पार्टीज) इस बात पर सहमत हुए हैं कि पेरिस समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम पुस्तिका (रुल बुक) तैयार करने पर अपना कार्य जारी रखेंगे। इसकी समय-सीमा सर्वसम्मति से 2018 निर्धारित की गई है।

UNFCCC के बारे में

- 1992 में कई देशों ने यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) में भाग लिया। UNFCCC अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को कम कर जलवायु परिवर्तन का सामना करना है।

पेरिस समझौता

- दिसंबर 2015 में, पेरिस जलवायु सम्मेलन (COP21) में 195 देशों ने पहली बार सार्वभौमिक एवं कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते के तहत एक वैश्विक कार्य योजना निर्धारित की गई है जिसका उद्देश्य असुरक्षित जलवायु परिवर्तन से विश्व को सुरक्षित करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के स्तर पर बनाये रखना है।

5.4. सस्टेनेबल टूरिज्म

(Sustainable Tourism)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

विश्व जैव विविधता दिवस 2017 की थीम '**बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल टूरिज्म**' थी।

सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में

- सस्टेनेबल टूरिज्म से आशय पर्यटन के उस स्वरुप से है जो स्थानीय व्यक्तियों एवं पर्यटकों के साथ ही सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यावरण दोनों की आवश्यकताओं का समान रूप से ध्यान रखता हो।"
- इसका उद्देश्य लोगों को रोमांचक और शैक्षणिक अवकाश प्रदान करना है जो मेजबान देश के लोगों के लिए भी लाभदायक हो।

पारम्परिक पर्यटन

- लाभ एवं पर्यटक उन्मुख।
- संरक्षण और स्थानीय समुदाय प्राथमिकता नहीं हैं।
- अधिकांश राजस्व बाहरी निवेशकों और ऑपरेटर्स को प्राप्त होता है।

वहीं सस्टेनेबल टूरिज्म अपनाने के निम्नलिखित लाभ हैं:

सस्टेनेबल टूरिज्म

- इस योजना के तीन लक्ष्य है: लाभ, पर्यावरण और समुदाय (ट्रिपल बॉटम लाइन)।
- आमतौर पर इसमें सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ अग्रिम योजना निर्मित की जाएगी।
- स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप।
- शैक्षणिक अनुभवों पर ध्यान।
- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता।
- अधिकांश राजस्व स्थानीय समुदाय को प्राप्त होता है।

उद्देश्य

- सामाजिक न्याय और पर्यावरण के विशेष संदर्भ में पर्यटन के विभिन्न रूपों से उत्पन्न होने वाले लाभों और समस्याओं को समझना।
- उन पद्धतियों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना जिससे पर्यटन द्वारा लोगों के कल्याण में वृद्धि के साथ-साथ हमारी प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण हो सके।
- पर्यटन के उन स्वरूपों के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना जो संधारणीय मानव विकास व पर्यावरण की गुणवत्ता को कम न करें अपितु उसे अधिकतम सीमा तक बढ़ाने का प्रयास करें।
- सस्टेनेबल टूरिज्म के सन्दर्भ में शिक्षण पद्धति निर्धारित करना।

भारत और सस्टेनेबल टूरिज्म:

- पर्यटन मंत्रालय ने इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ़ इंडिया (SSOI) के सहयोग से ' सस्टेनेबल टूरिज्म क्राइटेरिया फॉर इंडिया (Sustainable Tourism Criteria for india : STCI)' का कार्यान्वयन प्रारंभ किया है।
- STCI का विकास पर्यटन उद्योग के अंतर्गत ठहरने की सुविधा, टूर ऑपरेटर्स तथा समुद्र तटों, बैक वाटर्स एवं झीलों से सम्बंधित पर्यटन सुविधाओं के सन्दर्भ में किया गया है।
- STCI मानदंड, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों यथा UNEP और UNWTO के मार्गदर्शन में विकसित किये गये ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म क्राइटेरिया (GSTC) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं।

VISION IAS

5.5. मोरा चक्रवात

(Cyclone Mora)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में मोरा नामक चक्रवात ने श्रीलंका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बांग्लादेश, म्यांमार आदि को प्रभावित किया है। मोरा चक्रवात के कारण समुद्री सतह के तापमान में कमी तथा संवहन व मेघाच्छादन कम होने से मानसून के आगमन में विलंब होने की संभावना है।

उष्ण-कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में:

- उष्ण-कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून या हरिकेन भी कहा जाता है। ये चक्रवात गहन चक्रीय तूफान हैं तथा गर्म उष्ण-कटिबंधीय महासागरों की सतह पर उत्पन्न होते हैं। निम्न वायुमंडलीय दाब, तीव्र पवन और गहन वर्षा इनकी विशेषताएँ हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर में उन्हें हरिकेन कहा जाता है। पश्चिमोत्तर प्रशांत महासागर में फिलीपींस, जापान एवं चीन के आसपास के क्षेत्रों में उष्ण-कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है जबकि पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन से जाना जाता है।
- उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए कुछ अनुकूल दशाएँ निम्नलिखित हैं:

✓ समुद्री सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस (80 डिग्री फ़ारेनहाइट) या इससे अधिक होना चाहिए।

✓ गर्म सतह के निकट पहले से विद्यमान एक वायुमंडलीय परिसंचरण होना चाहिये।

✓ वायुमंडल को ऊँचाई के साथ-साथ तीव्र गति से ठंडा होना चाहिए ताकि घने संवहनीय बादलों का निर्माण हो सके।

✓ सतह के ऊपर लगभग 5,000 मीटर (16,000 फीट) की ऊँचाई पर मध्यवर्ती वायुमंडल को अपेक्षाकृत आर्द्र होना चाहिए।

✓ भूमध्य रेखा से कम से कम 500 किमी (300 मील) की दूरी पर विकासशील तंत्र (developing system) की उपस्थिति होनी चाहिए।

5.6. चितले समिति

(Chitale Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

गंगा नदी को गादमुक्त (डीसिल्ट) करने हेतु गठित चितले समिति ने हाल ही में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पृष्ठभूमि:

- इस समिति का गठन 2016 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस समिति के गठन का उद्देश्य भीमगौड़ा (उत्तराखंड) से फरक्का (पश्चिम बंगाल) तक गंगा नदी को गादमुक्त करने हेतु दिशानिर्देश तैयार करना था।

अनुशंसाएँ:

- समिति के अनुसार तलछट प्रबंधन और नियंत्रण के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण (one-size-fits-all approach) उचित नहीं है, क्योंकि नदी में तलछट की मात्रा पर क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट मुद्दों जैसे स्थलाकृति, नदी नियंत्रण संरचनाएँ, मृदा व जल संरक्षण उपाय, वृक्षावरण और नदी तट की भूमि का उपयोग या उसमे फेरबदल (उदाहरण के लिए कृषि, खनन आदि) जैसे स्थानीय कारकों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है ।
- समिति की अनुसंशाएँ निम्नलिखित हैं:

✓ डी-सिल्टिंग गतिविधियों को संचालित करने के लिए एनुअल सेडीमेंट बजट (वार्षिक तलछट बजट) के साथ-साथ नदी द्वारा जहां तक अवसाद का परिवहन किया जा रहा, उसका अध्ययन करना।

✓ पूर्ववर्ती डी-सिल्टिंग (गाद हटाने)/निकर्षण (dredging) गतिविधियों का विवरण प्रदान करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट (रेत पंजीकरण) तैयार करना।

✓ किसी तकनीकी संस्थान को तलछट बजट, नदी के आकार सम्बन्धी तथा बाढ़ मार्गों के अध्ययन का कार्य सौंपा जाना चाहिए। इससे नदी विस्तार की डी-सिल्टिंग की आवश्यकता का परीक्षण और उस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

✓ धारा के प्रवाह में बेहतरी से जुड़े कार्य शुरू करने के लिए नदी के आकार संबंधी अध्ययन किये जाने चाहिए।

- **जलग्रहण क्षेत्र उपचार (कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट) और जलसम्भर विकास (वाटरशेड डेवलपमेंट) कार्यों** के साथ-साथ उत्तम कृषि पद्धतियाँ और नदी तट का संरक्षण भी गाद के अन्त:प्रवाह को कम करने के लिए आवश्यक हैं।
- नदियों को विस्तृत फ्लड प्लेन (बाढ़ वाले मैदान) उपलब्ध हों, ताकि नदियों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न न हो।

VISION IAS

- 'गाद हटाने' की बजाय "गाद के लिये रास्ता दें" की रणनीति अपनायी जानी चाहिए।
- यदि नदियों के संकुचित होने के कारण व्यापक पैमाने पर गाद जमा हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में पूर्व चयनित प्रवाह मार्ग से गाद हटाकर धारा के प्रवाह को आकर्षित करने एवं तीव्र करने का प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार नदी की मुख्य धारा को सही दिशा दी जा सकती है।
- संगम स्थलों को गादमुक्त बनाना आवश्यक है, विशेषकर उन सहायक नदियों के संगम स्थलों को जो अपेक्षाकृत अधिक गाद लाती हैं, जैसे- घाघरा, सोन आदि। इससे संगम स्थलों में अबाध जलप्रवाह (hydrolically efficient) सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- गंगा नदी के तलछट प्रबंधन पर आवश्यक अध्ययन करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को अतिरिक्त अधिकार सौंपे जाने चाहिए।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (1972)

- यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का एक **अधीनस्थ कार्यालय** है।
- यह गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के सचिवालय और कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करता है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है और इसके सदस्यों में गंगा नदी बेसिन के राज्यों के मुख्यमंत्री और NITI आयोग के सदस्य शामिल होते हैं।
- इसका मुख्यालय पटना में है।

महत्व:

✓ यदि समिति की सिफारिशें लागू की जाती हैं तो नदी के हाइड्रोलिक परफोर्मेंस (hydraulic performance) में सुधार हो सकता है और यह नदियों पर प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए भी एक समाधान सिद्ध हो सकता है।

✓ नदी के उपर्युक्त भाग को गादमुक्त करने से जल परिवहन में नौचालन सरल होगा। नदी परिवहन को प्रोत्साहन देने से प्रदूषण में कमी, रोज़गार में वृद्धि आदि जैसे अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे।

चुनौतियाँ:

गादमुक्त करने के कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकते हैं, यथा अत्यधिक गाद निकालने से नदी का तल नीचे हो सकता है; नदी के तल के नीचे होने से तट का कटाव बढ़ सकता है; पर्यावरण संबंधी समस्या का उत्पन्न होना; धारा की चौड़ाई में वृद्धि तथा जलस्तर में कमी आना इत्यादि। इन दुष्प्रभावों को अधिकतम सीमा तक रोका जाना चाहिए।

5.7. मंडल बांध

(Mandal Dam)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

पलामू टाइगर रिजर्व पारिस्थितिकी तंत्र पर मंडल बांध के संभावित प्रभाव का अध्ययन करने के बाद राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड, लातेहर जिले में मंडल बांध को मंजूरी देने की योजना बना रहा है।

मंडल बांध के बारे में :

✓ 1970 के दशक में 'उत्तरी कोयल नदी सिंचाई परियोजना' के एक भाग के रूप में लातेहर के कुटक और मंडल गांवों में मंडल बांध की परिकल्पना की गई थी।

✓ 367 मीटर ऊँचे बांध के निकट स्थित बिहार के विभिन्न जिलों के एक बड़े हिस्से में सिंचाई हो सकेगी।

✓ बांध की दीवारों का निर्माण 90 के दशक के आरम्भ में पूरा हो गया था किन्तु पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण जलनिकासी फाटकों (स्लूस गेट्स) को लगाने का काम रोक दिया गया था।

पलामू टाइगर रिज़र्व:

- पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में छोटानागपुर पठार पर लातेहर जिले के पश्चिमी हिस्से में स्थित है।
- यह वन दक्षिण में नेतरहाट वन, उत्तर में औरंगा नदी, पूर्व में लातेहर वन विभाग तथा पश्चिम में गढ़वा वन विभाग और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के वन विभाग से घिरा हुआ है।
- परियोजना क्षेत्र में मुख्य रूप से साल वन, मिश्रित पर्णपाती वन और बाँस के झुरमुट (bamboo groves) हैं।
- रिजर्व ज़ोन तीन महत्वपूर्ण नदियों कोयल, बुरहा और औरंगा का जल-ग्रहण क्षेत्र है।

VISION IAS

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड:

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक "**सांविधिक संस्था**" है।
- सैद्धांतिक रूप से, इस बोर्ड की **प्रकृति "सलाहकारी"** है। यह देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियों के निर्माण और सम्बंधित उपायों पर केन्द्र सरकार को सलाह देता है।
- राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड के अध्यक्ष **भारत के प्रधानमंत्री** और उपाध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होते हैं। इसे वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा करने तथा राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के भीतर तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों की परियोजनाओं को स्वीकृति देने की शक्ति प्राप्त है।
- राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता है।

5.8. पंपा नदी का संरक्षण

(Pampa River Conservation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने पंपा नदी के संरक्षण के लिए एक सात सूत्री कार्य योजना तैयार की है।

पंपा नदी के बारे में:

- पंपा नदी रत्नागिरी पहाड़ी की तलहटी से बहती है। इसी पहाड़ी पर श्री सत्यनारायण स्वामी मंदिर अवस्थित है।
- पंपा नदी तंत्र राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (National River Conservation Plan: NRCP) में शामिल होने वाला केरल का पहला नदी तंत्र है। केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, NRCP के तहत पंपा में प्रदूषण-निवारण योजनाओं को लागू करने के लिए धन का आवंटन करता है।

पंपा घोषणा-पत्र:

- यह सरकार एवं जनता की सक्रिय भागीदारी और समर्थन के साथ एक व्यापक योजना को लागू करने की रूपरेखा तैयार करता है।
- यह पम्पा नदी को जीवित व्यक्ति (living entity) का दर्ज़ा दिए जाने की घोषणा करता है।
- नदी के लिए नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन।
- नदी बेसिन क्षेत्र में आजीविका पद्धतियों का दस्तावेज़ीकरण।
- प्रत्येक पांच वर्ष पर बाढ़ के मैदानों और आर्द्रभूमियों तथा वितरिकाओं के निर्माण, सूक्ष्म जलसंभर क्षेत्र (माइक्रो वाटरशेड्स) तथा नदी से जुड़े तालाबों की आवधिक स्थिति रिपोर्ट (periodic status report) प्रकाशित करना।

5.9. बस्टर्ड प्रजनन केंद्र

(Bustard Breeding Center)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राजस्थान सरकार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना करेगी।

पृष्ठभूमि

- यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है। यह प्रजनन केंद्र देश का प्रथम ऐसा सुविधा केंद्र होगा जिसका उद्देश्य इस पक्षी का संरक्षण करना है।
- सम्पूर्ण विश्व में पाई जाने वाली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कुल आबादी का 95% राजस्थान में पाया जाता है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में

- यह लंबे अनावृत पैरों एवं क्षैतिज शरीर वाला एक विशाल पक्षी है। बड़े आकार के कारण यह शुतुरमुर्ग जैसा प्रतीत होता है।
- यह उड़ने वाले सबसे अधिक वजनी पक्षियों में से एक है।
- ये **मध्य भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान** में पाए जाते हैं।
- **आवास स्थल:** शुष्क और अर्द्ध शुष्क घास के मैदानों, कांटेदार झाड़ियों वाले खुले क्षेत्रों, फसलों के साथ विस्तृत लम्बी घास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सिंचित क्षेत्रों से दूर ही रहते हैं।
- यह पक्षी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की **अनुसूची I** तथा **CMS या बॉन कन्वेंशन** में सूचीबद्ध है।
- यह IUCN की रेड लिस्ट में **क्रिटिकली इन्डेंजर्ड** के रूप में तथा CITES के **परिशिष्ट I** में भी सूचीबद्ध है।
- यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ वाइल्डलाइफ हैबिटैट्स के तहत रिकवरी प्रोग्राम हेतु चयनित प्रजातियों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है।

VISION IAS

- इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा इनका शिकार (hunting) है। अन्य खतरों में संरक्षित क्षेत्र के बाहर कभी-कभार होने वाला इनका शिकार, आवारा कुत्ते, तीव्र वाहन और हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स से इनका टकराना इत्यादि शामिल है।

इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ वाइल्डलाइफ हैबिटैट्स

- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों को वन्य जीव संरक्षण पर केन्द्रित गतिविधियों हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के निम्नलिखित तीन **घटक हैं:**

✓ **संरक्षित क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करना** (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्य, कन्सर्वेशन रिज़र्व और कम्युनिटी रिज़र्व)।

✓ **संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यजीव संरक्षण**।

✓ **क्रिटिकली इन्डेंजर्ड स्पीशीज और आवास स्थलों के संरक्षण** हेतु रिकवरी प्रोग्राम।

कन्वेंशन ऑन द कन्सर्वेशन ऑफ़ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ़ वाइल्ड एनीमल्स (CMS) या बॉन कन्वेंशन

- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तत्वावधान में एक पर्यावरण संधि है।
- CMS प्रवासी जीवों और उनके आवास स्थलों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। वे प्रवासी प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं इस कन्वेंशन के परिशिष्ट I के तहत सूचीबद्ध हैं।
- CMS उन देशों को जहाँ से होकर प्रवासी जीव गुज़रते हैं एक मंच पर लाता है। इन देशों को रेंज स्टेट्स (Range States) कहा जाता है। साथ ही सम्पूर्ण प्रवासन रेंज (migratory range) में अंतर्राष्ट्रीय रूप से समन्वित संरक्षण उपायों को विधिक आधार प्रदान करता है।
- यह प्रवासी प्रजातियों, उनके आवास-स्थलों तथा प्रवासन मार्गों (migration routes) के संरक्षण में एकमात्र विशेषज्ञता प्राप्त ग्लोबल कन्वेंशन है। भारत इस कन्वेंशन का एक सदस्य है।

5.10. भारतीय जंगली कुत्ते (ढोल)

(Indian Wild Dogs [Dholes])

सुर्ख़ियों में क्यों ?

इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क (IGZP) में **भारतीय जंगली कुत्तों (ढोल)** के लिए एक कंसर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य जंगलों में इनके 16 समूह को पुनः बहाल करना है।

ढोलों के बारे में

- ढोल भारत के कई क्षेत्रों जैसे पश्चिमी घाट, मध्य भारत के वन, पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर भारत के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं।
- हिमालय क्षेत्र में, ये सिक्किम और लद्दाख में पाए जाते हैं।
- ये वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के तहत संरक्षित हैं।
- ये IUCN में **इन्डेंजर्ड** के रूप में सूचीबद्ध हैं।

इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क

- यह विशाखापट्टनम में स्थित है। यह पार्क आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े जूलॉजिकल पार्क्स में से एक है।
- यह पार्क तीन ओर से पूर्वी घाट तथा एक ओर बंगाल की खाड़ी से घिरा है।

5.11. ब्लैक नेक्ड क्रेन

(Black Necked Crane)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्लैक नेक्ड क्रेन प्रजाति संकटग्रस्त है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में।

ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में

- यह प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन में पाया जाता है।
- भूटान और भारत में यह विधिक रूप से संरक्षित है। कुछ बौद्ध परम्पराओं में इन्हें पवित्र माना जाता है।
- **इसकी IUCN स्टेट्स - वल्नरेबल।**

- भारत के वन्यजीव अधिनियम में **अनुसूची I प्रजाति के रूप में** सूचीबद्ध।
- यह स्थानीय स्तर पर धुंग धुंग कर्मा के रूप में जाना जाता है।
- इसके अतिरिक्त विश्व भर में पायी जाने वाली सारस की 15 प्रजातियों में केवल यही एक प्रजाति है जो उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में पायी जाती है।
- ये पक्षी अपने घोंसले विस्तृत खुले वातावरण में बनाते हैं, इस कारण से परभक्षियों से और भी अधिक असुरक्षित होते हैं।

5.12. इंडियन स्टार टॉरटोइज

(Indian Star Tortoises)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य (CWS) द्वारा इंडियन स्टार टॉरटोइसेज का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया गया है। इस प्रकार CWS देश में स्टार टॉरटोइसेज का एकमात्र पुनर्वास केंद्र बन गया है।

इंडियन स्टार टॉरटोइसेज के बारे में

- यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से झाड़ी वाले वनों, घास के मैदानों तथा अर्द्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों के कुछ तटीय झाड़-झंखाड़ वाले क्षेत्रों में निवास करती है।
- ये उत्तर-पश्चिमी भारत (गुजरात, राजस्थान) और दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान से सटे क्षेत्रों; तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पूर्वी कर्नाटक से ओडिशा तक दक्षिणी एवं पूर्वी क्षेत्रों; तथा सम्पूर्ण श्रीलंका में पाए जाते हैं।
- इस प्रजाति के अस्तित्व पर आसन्न खतरों में इनका अवैध संग्रह एवं आवास विखंडन शामिल हैं।
- यह CITES के एपेंडिक्स II (परिशिष्ट II)में शामिल है।
- **IUCN में स्थिति: वल्नरेबल।**
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध है।

चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य केरल के इडुक्की में पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पर स्थित है। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित एक **विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र** है।
- यह क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्रों के विषय में विविधता से परिपूर्ण है। साथ ही प्रजातीय सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है।
- यह औषधीय गुणों वाले पौधों का प्रसिद्ध संग्रह क्षेत्र (repository) है।
- यह सफ़ेद विशाल गिलहरी, स्टार टॉरटोइस, टफ्टेड ग्रे लंगूर, गौर, स्पॉटेड डियर, स्लेंडर लोरिस, जंगली हाथी, मगरमच्छ, बाघ, तेंदुआ और अनेक पक्षी, कीटों और पौधों का आश्रयस्थल है।

5.13. अमूर फाल्कन

(Amur Falcon)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमूर फाल्कन को हाल ही में नागपुर के निकट स्थित उमरेड करहांडला वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया।

अमूर फाल्कन बारे में

- अमूर फाल्कन एक प्रवासी पक्षी है जो प्रति वर्ष मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका तक अपनी उड़ान के दौरान **दोयांग झील (नागालैंड)** में ठहरते हैं।
- नागालैंड का पंगती गांव **विश्व की अमूर फाल्कन राजधानी** के रूप में जाना जाता है।
- केंद्र द्वारा शीघ्र ही विश्व भर के पक्षी प्रेमियों (बर्ड वाचर्स) हेतु दोयांग झील क्षेत्र का एक ईको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकास किया जाएगा।
- अभी कुछ समय पहले तक, नागा आदिवासियों द्वारा मांस के लिए अमूर फाल्कन्स का शिकार किया जाता था।

उमरेड करहांडला वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- यह महाराष्ट्र में नागपुर से 60 किमी की दूरी पर स्थित है।
- उमरेड करहांडला वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा **बोर टाइगर रिजर्व के सेटेलाइट कोर** के रूप में घोषित किया गया है।

VISION IAS

- यह महाराष्ट्र का पहला अभयारण्य है जिसे **'सेटेलाइट कोर'** के रूप में घोषित किया गया है। **सेटेलाइट कोर** का तात्पर्य किसी अन्य संरक्षित क्षेत्र को सहायता प्रदान करने वाले उप-संरक्षित क्षेत्र से है।

5.14. केंदू की पत्तियां

(Kendu Leaves)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में ओडिशा के कालाहंडी जिले में केंदू के पत्तों के व्यापार को नियंत्रण-मुक्त करने की मांग की गयी।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में केंदू के पत्ते **ओडिशा में एक राष्ट्रीयकृत वन उपज** हैं, इसलिए इनके व्यापार पर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों का एकाधिकार है।
- ग्राम सभाओं का दावा है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके पास "लघु वन उपज का स्वामित्व, उनके संग्रहण तथा उपयोग एवं निस्तारण का अधिकार है।" इनके अनुसार केंदू के पत्ते लघु वन उपज की श्रेणी में ही आते हैं।
- इसके अलावा ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में केंदू के पत्तों का व्यापार नियंत्रण-मुक्त है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बारे में

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधान निम्नलिखित है:

- वन निवासियों को **आवधिक सुरक्षा (टेन्योरियल सिक्यूरिटी)** और उपयोग का अधिकार।
- किसी निवास स्थान में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक व्यवसाय के अंतर्गत या आजीविका हेतु निजी खेती के लिए वन भूमि पर स्वामित्व तथा निवास का अधिकार।
- पारम्परिक रूप से गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर एकत्र की जाने वाली **लघु वन उपजों** के स्वामित्व, उनके संग्रहण तथा उपयोग और निस्तारण करने का अधिकार।
- अन्य **समुदायिक अधिकार जैसे** मछली, जल निकाय और निस्तर (nistar) आदि पर।
- **निवास** और वन गांवों के राजस्व गांवों में रूपांतरण का अधिकार।
- इस अधिनियम के अनुसार, **ग्राम सभा वनवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, निर्णय लेने, संयुक्त वन प्रबंधन हेतु योजना निर्माण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।**

केंदू के पत्ते

- इसे **ईस्ट इंडियन एबोनी (आबनूस)** के रूप में भी जाना जाता है
- यह भारत और श्रीलंका की देशज प्रजाति है और इसकी छाल कठोर एवं शुष्क होती है।
- इसके सामान्य नाम की उत्पति दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट से हुई है।
- स्थानीय रूप से इसे तेम्बूरिनी या इसके हिंदी नाम तेंदु के नाम से जाना जाता है
- ओडिशा और झारखंड में इसे केंदू के नाम से जाना जाता है।
- इसके पत्ते को तंबाकू के चारों ओर लपेट कर **भारतीय** बीड़ी बनाई जाती है।

लघु वन उपज

- लघु वन उपज वन उत्पादों का एक उपसमुच्चय है तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के लागू होने पर इन्हें 2007 में परिभाषित किया गया था।
- उक्त अधिनियम की **धारा 2 (i)** लघु वन उपज (MFP) को वृक्षों से प्राप्त होने वाले सभी गैर-काष्ठ वन उत्पादों के रूप में परिभाषित करती है जिनमें बाँस, ब्रशवुड, स्टंप, बेंत, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदु / केंदू की पत्तियाँ, औषधीय पौधे व जड़ी-बूटियाँ, जड़ें, कंद और इनके जैसे अन्य उत्पाद शामिल हैं।
- इस प्रकार, "लघु वन उपज" की परिभाषा में बाँस और बेंत शामिल हैं इसलिए भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत बाँस और बेंत के "वृक्ष" के रूप में हुए वर्गीकरण को बदल दिया गया है।
- **इसके अलावा PESA अधिनियम की धारा 4 (m) (ii) लघु वन उत्पादों का स्वामित्व ग्राम सभाओं को प्रदान करती है।**

5.15. प्रिमरोज विलो (लुडविगिया पेरूविया)

[Primrose Willow (LUDWIGIA PERUVIANA)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लुडविगिया पेरूविया नामक पौधे की प्रजाति विश्व के विभिन्न दलदली क्षेत्रों में स्थानीय वनस्पति के अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न कर रही है।

लुडविगिया पेरूविया के बारे में:

- यह **मध्य और दक्षिणी अमेरिका की देशज प्रजाति** है।
- इसका पुष्प हल्के पीले रंग का होता है और पौधे की ऊंचाई लगभग 12 फीट तक होती है।
- यह एक **जलीय पौधा** है तथा यह वर्तमान में विश्व भर के विभिन्न दलदली क्षेत्रों में स्थानीय वनस्पति के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न कर रहा है।
- ये खरपतवार आर्द्र भूमि की रेतीली और खनिज संपन्न मृदा में पनपते हैं।

पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:

- यह खरपतवार दलदली क्षेत्रों की वनस्पति को नुकसान पहुँचा सकता है तथा दलदली-भूमि पारिस्थितिक तंत्र में वनस्पतियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे सकता है।
- यह प्राकृतिक **जलमार्गों को अवरुद्ध** कर सकता है तथा इससे अवसादीकरण की मात्रा में भी वृद्धि हो सकती है। जिसके परिणामस्वरूप जैविक पदार्थों का संचय होगा तथा जल निकायों का विऑक्सीकरण होगा। इससे ताज़े जल के जीवों को क्षति पहुँच सकती है।

भारत में उपस्थिति

- यह खरपतवार पहली बार 1993 में **असम के कार्बी आंगलोंग जिले** में देखा गया था।
- हाल के वर्षों में कार्बी आंगलोंग और इसके निम्न भूमियों में इस खरपतवार की तेजी से वृद्धि हुई है।
- पूर्वोत्तर के अतिरिक्त तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल में भी इस खरपतवार के प्रसार की सूचना प्राप्त हुई है।और
- मानसून-पूर्व (pre-monsoon) तापमान और मानसूनी वर्षा इस खरपतवार के तीव्र प्रसार में सहायक होती हैं।

5.16. कोबरा लिली

(Cobra Lily)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में लिली की एक दुर्लभ प्रजाति 'कोबरा लिली' को 84 वर्ष पश्चात् पश्चिमी नीलगिरी में पुनः देखा गया है।

कोबरा लिली के बारे में

- कोबरा लिली **एक परभक्षी पौधा है**। यह **उत्तरी कैलिफोर्निया और दक्षिणी ओरेगॉन की एक देशज प्रजाति है।**
- इसे **कैलिफोर्निया पिचर प्लांट** के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे ने स्वयं में अनुकूलन संबंधी कई आश्चर्यजनक विशेषताओं को विकसित किया है। इन उपार्जित विशेषताओ के फलस्वरूप यह अपने घट के आकार (pitcher-shaped) के पत्तों का उपयोग कर अपने शिकार को पकड़ने, मारने और पचाने में सक्षम हो गया है।
- यह भारत में **नीलगिरी** के 10 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्रफल के एक छोटे से क्षेत्र में पाई जाती है।
- नीलगिरी के टोडा आदिवासी इस पौधे से भली भांति परिचित हैं। ये लोग कशीदाकारी से इन पौधों का एक विशेष रूपांकन (मोटिफ) बनाते हैं जिसे 'पॉडवर्स्क'(podwarshk) कहा जाता है। ये मोटिफ कोबरा लिली के जैसी दिखती है।
- विदेशी पौधों के वाणिज्यिक व्यापार के कारण कोबरा लिली पर **विलुप्त होने का एक बड़ा खतरा** विद्यमान है।

5.17. दहनशील बर्फ

(Combustible Ice)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में जापान और चीन ने अपने तटीय इलाकों में समुद्र तल से दहनशील बर्फ का सफलतापूर्वक निष्कर्षण किया।

VISION IAS

दहनशील बर्फ के बारे में

- दहनशील बर्फ **जल एवं सान्द्र प्राकृतिक गैस का एक जमा हुआ मिश्रण (frozen mixture) है।**
- यह तकनीकी रूप से **मीथेन हाइड्रेट** के रूप में जाना जाता है। इसे जमी हुई अवस्था में जलाया जा सकता है तथा ऐसा माना जाता है कि यह विश्व में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधनों में से एक है।
- मीथेन हाइड्रेट **समुद्र तल, आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट एवं अंटार्कटिक बर्फ के नीचे** पाया गया है।
- यू.एस. एनर्जी इनफार्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक विश्व भर में इसका अनुमानित भंडार 280 ट्रिलियन घन मीटर से 2800 ट्रिलियन घन मीटर के बीच है।

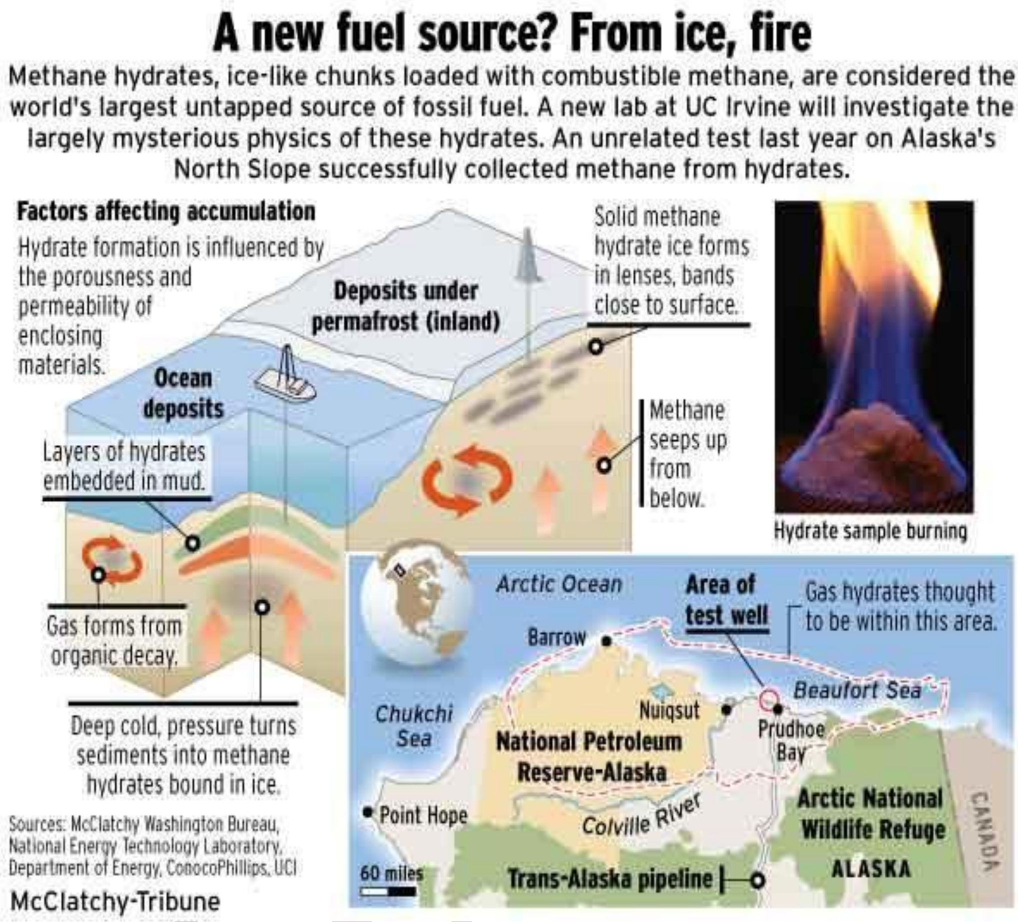

- मीथेन हाइड्रेट भंडार वर्तमान गैस उपभोग दर के अनुसार 80 से 800 वर्षों तक के लिए गैस की वैश्विक मांग को पूरा कर सकता है।
- तथापि निजी और सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनियाँ कई दशकों के बाद भी इस ईंधन का निष्कर्षण इस स्तर पर नहीं कर सकी हैं जिससे लाभ प्राप्त हो सके।

पर्यावरण संबंधी चिंताएँ

- यदि निष्कर्षण प्रक्रिया के दौरान मीथेन हाइड्रेट का रिसाव हो जाता है तो इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है।
- यह ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा को विस्थापित कर सकता है।

5.18. प्लास्टिक का अपघटन

(Degradation of Plastic)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में यह देखा गया कि वैक्स मॉथ का लार्वा तीव्र दर से पॉलीथीन को एथीलीन ग्लाइकॉल में अपघटित कर सकता है।

पृष्ठभूमि

- 'करंट बायोलॉजी' जर्नल में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार वैज्ञानिकों की एक टीम ने पाया कि पॉलीथीन के एक शॉपिंग बैग में रखे वैक्स मॉथ्स ने लगभग 40 मिनट में उसमें छेद कर दिया था।
- वैक्स मॉथ **मधुमक्खी के छत्तों में परजीवी के रूप में रहते हैं।**
- वे छत्ते में ही अपने अंडे देते हैं और उनसे निकले हुए लार्वा मधुमोम (beeswax) का सेवन कर अपनी वृद्धि करते हैं।
- पॉलीथीन और मधुमोम की रासायनिक संरचना में अत्यधिक समानता है।
- ये कीड़े पॉलीथीन के रासायनिक बंध (कैमिकल बांड) को उसी तरह तोड़ते हैं जैसे वे मधुमोम के केमिकल बांड को तोड़ते हैं।

मुद्दे

- शोधकर्ताओं द्वारा अनुमानित खपत की दर के अनुसार एक वैक्स मॉथ एक दिन में लगभग दो मिलीग्राम प्लास्टिक खा जाता है।
- बड़ी मात्रा में प्रयोग किये जाने की दशा में वैक्स मॉथ मधुमक्खी के छत्तों को नष्ट कर सकते हैं।

- प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं अतः उन्हें अपघटित कर तेल उत्पन्न किया जा सकता है, किन्तु वैक्स मॉथ द्वारा इन्हें आसानी से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पचा लिया जाता है।

5.19. ई-अपशिष्ट

(E-Waste)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत विश्व में स्मार्टफोन का सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ता बाजार है अत: भविष्य में यहाँ प्रभावी ई-अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या अत्यधिक बढ़ सकती है।

ई-अपशिष्ट क्या है?

- ई-अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की उपयोगिता समाप्त होने पर उनके लिए प्रयुक्त एक लोकप्रिय एवं अनौपचारिक नाम है।
- इसमें कंप्यूटर और उसके सहायक उपकरण, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट; टाइपराइटर, मोबाइल फोन और चार्जर, रिमोट, कॉम्पैक्ट डिस्क्स, हेडफ़ोन, बैटरी, LCD / प्लाज्मा टीवी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और अन्य घरेलू उपकरण शामिल हैं।

ई-अपशिष्ट के प्रभाव

ई-अपशिष्ट के स्रोत	घटक	स्वास्थ्य प्रभाव
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में सोल्डर, ग्लास पैनल और कंप्यूटर मॉनिटर में गैस्केट	लेड(Pb)	केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र, रक्त प्रणाली और किडनी को क्षति। बच्चों के मस्तिष्क विकास को प्रभावित करता है।
चिप रेसिस्टर्स और अर्धचालक	कैडमियम (Cd)	मानव स्वास्थ्य पर विषाक्त अपरिवर्तनीय प्रभाव। किडनी और यकृत में संचय। तंत्रिका क्षति का कारण बनता है। टेराटोजेनिक (भ्रूण के विकास में बाधक)।
रिले और स्विच, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड	पारा (Hg)	मस्तिष्क को स्थायी नुकसान मछलियों में जैव संचय के कारण श्वसन और त्वचा विकार
अनुपचारित और जस्ता लेपित (गल्वेनाइज्ड) इस्पात प्लेट्स का जंग रोधन, स्टील हाउसिंग के लिए डेकोरेटर या हार्डनर	हैग्जावलेंट क्रोमियम (Cr) VI	अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और DNA को क्षति।
केबलिंग और कंप्यूटर हाउसिंग	PVC सहित प्लास्टिक	दहन से डाइऑक्सिन बनते हैं जिससे प्रजनन और विकास संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है; प्रतिरक्षा प्रणाली को क्षति; रेगुलेटरी हार्मोन्स में हस्तक्षेप।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सर्किट बोर्ड्स की प्लास्टिक हाउसिंग	ब्रोमिनेटेड फ्लैम रिटारडैंट (BFR)	एंडोक्राइन सिस्टम फ़ंक्शन में बाधा।
CRTs के फ्रंट पैनल	बेरियम(Ba)	लघुअवधि के एक्सपोजर के कारण मांसपेशियों में कमज़ोरी; हृदय, यकृत और प्लीहा को क्षति।
मदरबोर्ड	बेरिलियम (Be)	कैसरजनक (फेफड़े का कैंसर) धुएं और धूल के अन्तःश्वसन से क्रोनिक बेरिलियम डिजीज या बेरीलिकोसिस होता है। वार्ट्स जैसे त्वचा रोग

भारत में ई-अपशिष्ट

- भारत विश्व का **पांचवां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट) उत्पादक** है।
- भारत प्रति वर्ष लगभग 18.5 लाख टन ई-अपशिष्ट का उत्पादन करता है और इसमें 12% हिस्सा अकेले दूरसंचार उपकरणों का ही है।
- **भारत में ई-अपशिष्ट का मुख्य स्रोत सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र (औद्योगिक) हैं**, जो कुल अपशिष्ट के उत्पादन के करीब 70 प्रतिशत हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं।
- ई-अपशिष्ट के उत्पादन में परिवारों का योगदान अपेक्षाकृत कम (लगभग 15 प्रतिशत) है तथा शेष अपशिष्ट का उत्पादन विनिर्माताओं द्वारा किया जा रहा है।

ई-अपशिष्ट के निपटान से जुड़े मुद्दे

- औपचारिक क्षेत्र के माध्यम से लगभग 5-15% ई-अपशिष्ट का ही निपटान किया जा रहा है।
- **उपभोक्ता पक्ष में जागरुकता का अभाव:** ई-अपशिष्ट के लगभग 70% भाग का उत्पादन करने वाले अधिकांश संस्थागत अपशिष्ट उत्पादक जैसे शैक्षणिक संस्थान और उद्योग नियमों से अवगत न होने के कारण अपने ई-अपशिष्ट को अनौपचारिक क्षेत्र में बेचते हैं।
- **लक्ष्य के अभाव** में और अपेक्षाकृत शिथिल नियामक वातावरण में उत्पादकों को उनके द्वारा उपयोग किये गये उत्पादों के संग्रहण को सुनिश्चित करने हेतु बहुत कम प्रोत्साहन मिलता है।
- ई-अपशिष्ट के रखरखाव हेतु वैज्ञानिक तरीकों का अभाव।

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016

- ये नियम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पोंसिबिलिटी (EPR) पर आधारित हैं। EPR विश्व भर में ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक प्रचलित फ्रेमवर्क है।
- EPR इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माताओं को अपने उत्पादों के एंड-ऑफ़-लाइफ मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदारी प्रदान करती है।
- निर्माताओं के लिए संग्रहण केन्द्र स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और निपटान पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों से किया जाए।
- सभी संग्रह केंद्र, विघटन इकाइयों और पुनर्चक्रणकर्ताओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ पंजीकृत होना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास

- **बेसल कन्वेंशन** का मूल उद्देश्य खतरनाक एवं अन्य अपशिष्टों के सीमापार स्थानान्तरण को नियंत्रित एवं कम करने के साथ ही उनकी रोकथाम करना एवं उनके उत्पादन को न्यूनतम करना है। इसके साथ ही ऐसे अपशिष्टों का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण एवं उपयोग को प्रोत्साहित करना भी इस कन्वेंशन का उद्देश्य है।
- **बामाको कन्वेंशन** ऑन द बैन ऑफ़ द इम्पोर्ट इन टू अफ्रीका एण्ड द कंट्रोल ऑफ़ ट्रांसबाउन्ड्री मूवमेंट ऑफ़ हैजार्डस वैस्ट्स का उद्देश्य खतरनाक अपशिष्टों के उत्पादन की मात्रा अथवा हानिकारक क्षमता में कमी कर इसके खतरों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा करना है।
- **रॉटरडैम कन्वेंशन** ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट (PIC) प्रोसीजर फॉर सर्टेन केमिकल्स एंड पेस्टीसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड खतरनाक अपशिष्ट के व्यापार को विनियमित करता हैं, किन्तु इसमें उनके उपयोग एवं उत्सर्जन को कम करने को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं है।
- वैस्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट (WEEE) डायरेक्टिव, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सम्बन्ध में यूरोपीय समुदाय के निर्देश है। इनका उद्देश्य सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के पुनःसंग्रहण, पुनर्चक्रण और रिकवरी लक्ष्यों को तय करना है।

आगे की राह

- भारत को अपने विशाल अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योग के साथ एकीकृत करना चाहिए।
- अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल, फ्लेक्सबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का विकास किया है। यह उपकरण विश्व स्तर पर ई-अपशिष्ट की मात्रा को कम करने में योगदान कर सकता है।

VISION IAS

LIVE / ONLINE
Classes Available
Access to recorded classroom videos at your personal student platform
Comprehensive, relevant & updated HARD Copy study material for prelims syllabus. (for online students, it will be dispatched through post)
Fast Track Course for GS PRELIMS
DURATION
65 classes
Classrom MCQ based tests & access to ONLINE PT 365 Course
Access to All India Prelims Test Series
GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store

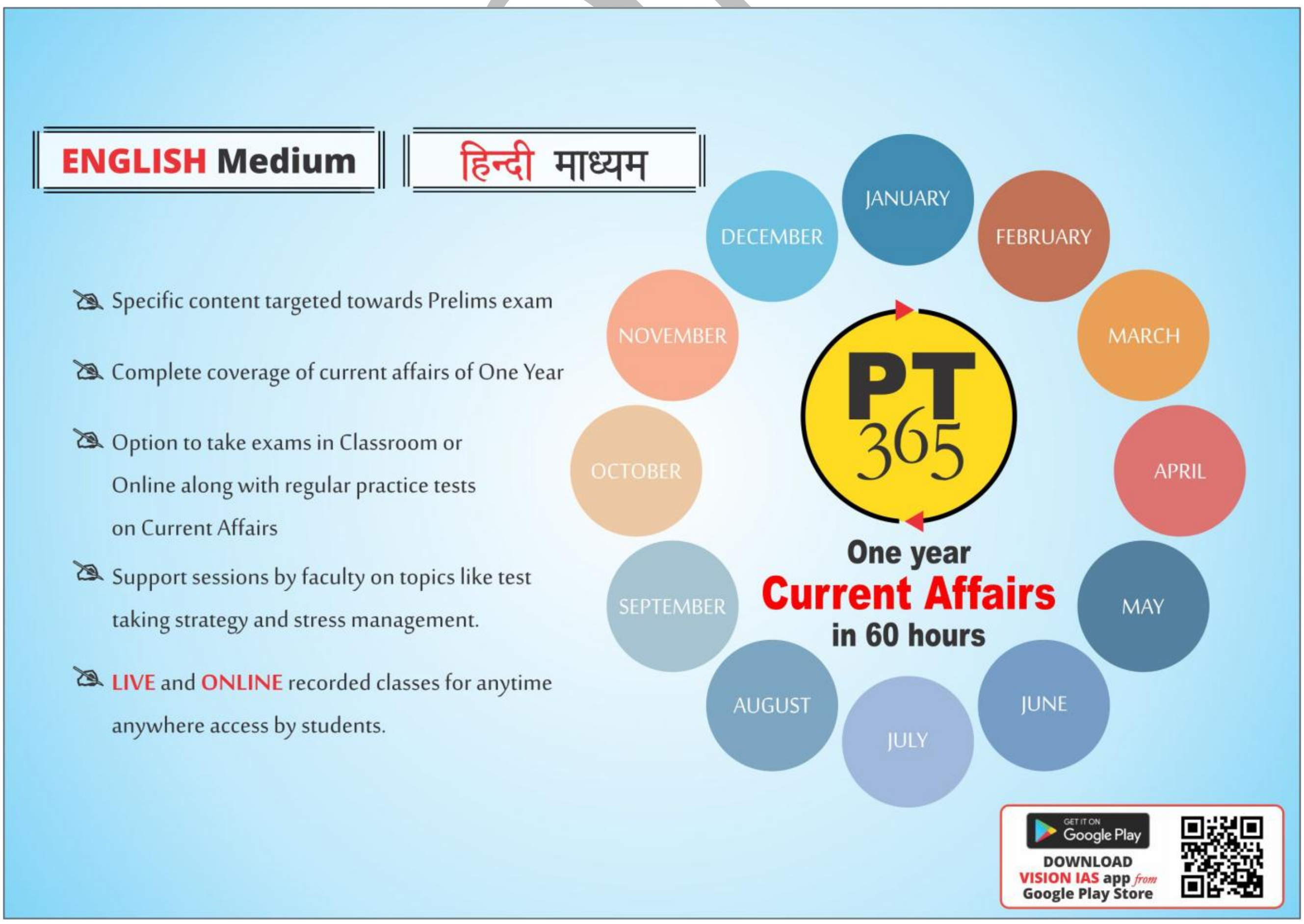

ENGLISH Medium
हिन्दी माध्यम
Specific content targeted towards Prelims exam
Complete coverage of current affairs of One Year
Option to take exams in Classroom or Online along with regular practice tests on Current Affairs
Support sessions by faculty on topics like test taking strategy and stress management.
LIVE and ONLINE recorded classes for anytime anywhere access by students.
JANUARY
FEBRUARY
MARCH
APRIL
MAY
JUNE
JULY
AUGUST
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
PT 365
One year
Current Affairs
in 60 hours
GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. कुपोषण से निपटने हेतु फोर्टीफाइड खाद्य पदार्थ

(Fortified Foods to Tackle Malnutrition)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बच्चों को पोषक पदार्थों की उपलब्धता को लक्षित करते हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी मध्याह्न भोजन योजनाओं के लिए फोर्टीफाइड तेल का प्रयोग प्रारंभ किया है।
- पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टीफाइड गेहूं के आटे का वितरण कर रहे हैं।

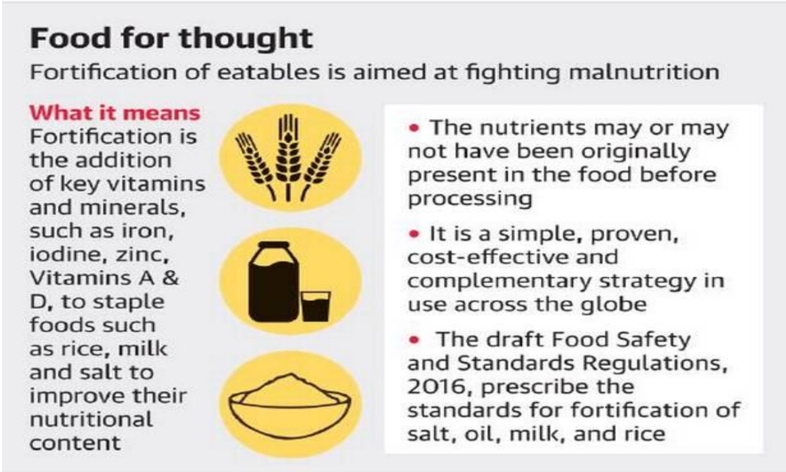

फोर्टीफिकेशन का उद्देश्य:

भोज्य पदार्थों के फोर्टीफिकेशन का लक्ष्य कुपोषण से लड़ना है।

फोर्टीफिकेशन का तात्पर्य:

- फोर्टीफिकेशन के तहत महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज तत्वों जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A और D को भोज्य पदार्थों जैसे चावल, दूध एवं नमक में मिलाया जाता है ताकि इनके पोषक तत्वों में वृद्धि हो सके।
- प्रोसेसिंग से पहले पोषक तत्व नहीं भी हो सकते हैं।
- यह एक सामान्य, प्रमाणिक, किफायती और संपूरक रणनीति है जिसे पूरे विश्व में प्रयोग किया जा रहा है।
- फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन्स, 2016 के ड्राफ्ट में चावल, दूध, नमक और तेल के फोर्टीफिकेशन हेतु मानक निर्धारित किए गए हैं।

FSSAI द्वारा उठाए गए कदम:

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पिछले वर्ष मानकों का एक सेट और एक लोगो (logo) जारी किया है।
- तब से, इसका फोकस जागरूकता और आम सहमति-निर्माण पर है।
- FSSAI छोटे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, जैसे स्थानीय आटा पीसने वाली मिलों, को प्रीमिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स मिलाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उनके साथ मिलकर भी काम कर रहा है।

6.2. चावल की नई सूखा प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक किस्म

(New Transgenic Rice Variety to fight Drought)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत, चीन और कनाडा के वैज्ञानिकों के एक समूह ने गंभीर सूखे का सामना करने में समर्थ चावल की एक ट्रांसजेनिक किस्म विकसित की है।

इस नई ट्रांसजेनिक किस्म के बारे में

- यह नई किस्म चावल की एक भारतीय किस्म **सांबा महसुरी** में **एराबिडोप्सिस थालियाना (Arabidopsis thaliana)** के एक जीन को स्थानांतरित कर विकसित की गई है। एराबिडोप्सिस थालियाना एक पुष्पीय पौधा है जिसका विभिन्न अनुसंधान उद्देश्यों हेतु व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- यह जीन पौधे की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- सांबा महसुरी में इस जीन को स्थानांतरित करने से **इस पौधे की ऊंचाई, पुष्प-गुच्छों के आकार, प्रकाश संश्लेषण की दक्षता, क्लोरोफिल की मात्रा और जल उपयोग की दक्षता में** वृद्धि दर्ज की गई।

VISION IAS

- प्रयोगशाला में एक प्रयोग से यह भी स्पष्ट हुआ है कि चावल की यह ट्रांसजेनिक किस्म जल के अभाव में असंशोधित किस्म की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती है।
- यहाँ तक कि सूखे की परिस्थितियों में भी इस नई किस्म में क्लोरोफिल की मात्रा उच्च बनी रही जिससे उच्च पैदावार प्राप्त हुई।

6.3. तरंग संचार पोर्टल

(Tarang Sanchar Portal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दूरसंचार विभाग ने तरंग संचार पोर्टल नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे लोग स्थानीय इलाकों में मोबाइल टॉवर से उत्सर्जित विकिरण को ट्रैक कर पाएंगे।
- पोर्टल उपभोक्ताओं को किसी विशेष क्षेत्र में कार्यशील टॉवर के सम्बन्ध में जानकरी प्रदान करेगा और यह भी सुनिश्चित हो पाएगा कि टॉवर सरकार द्वारा परिभाषित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड (EMF) उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप कार्य रहे हैं या नहीं।

पृष्ठभूमि:

- संयोग से इस पोर्टल का लॉन्च ठीक उसी समय हुआ है जब हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 42 वर्षीय एक कैंसर रोगी की याचिका पर ग्वालियर में एक मोबाइल टॉवर को निष्क्रिय करने का आदेश दिया है। आदेश ने मोबाइल फोन टॉवर से निकलने वाले विकिरण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर बहस को तेज कर दिया है।
- सरकार ने कहा है कि भारत में मोबाइल टॉवर उत्सर्जन के नियम वैश्विक मानदंडों की तुलना में दस गुना अधिक कठोर हैं।

6.4. कैंसर के इलाज हेतु नया मॉलिक्यूल - डिसऐरिब

(Novel molecule to treat cancer - Disarib)

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन और संश्लेषित एक नवीन छोटे मॉलिक्यूल (अणु) ने कैंसरयुक्त कोशिकाओं को लक्षित रूप से नष्ट करने में आशाजनक परिणाम प्रदर्शित किया है।

मॉलिक्यूल - डिसऐरिब (Disarib)

- यह मॉलिक्यूल (disarib) स्वयं को BCL2 नामक एक प्रोटीन के साथ संयोजित करके कार्य करता है। BCL2 सामान्य कोशिकाओं को प्रभावित किए बिना कैंसरयुक्त कोशिकाओं की मृत्यु को रोकता है।
- BCL2 प्रोटीन का कैंसरयुक्त कोशिकाओं में अत्यधिक उत्पादन होता है, सामान्य कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, डिसऐरिब केवल कैंसर कोशिकाओं को ही नष्ट करता है।
- FDA द्वारा अनुमोदित BCL2 इन्हिबिटर (inhibitor) ABT199 के विपरीत, डिसऐरिब ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में बेहतर दक्षता प्रदर्शित की है। इसके अलावा, ABT199 इन्हिबिटर की तुलना में, इस छोटे मॉलिक्यूल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।

मुद्दा:

- BCL2 का एक्सप्रेशन कुछ कैंसर सेल लाइन्स (cancer cell lines) में कम होता है, जैसे कि स्तन कैंसर, क्रोनिक मायलोजीनस ल्यूकीमिया और सर्विकल कैंसर। अतः इन कैंसर में डिसऐरिब अणु अप्रभावी होगा।

6.5. ड्रग रेजिस्टेंस को रिवर्स करना संभव

(Reversing Drug Resistance Made Possible)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय शोधकर्ताओं ने ई.कोलाई (Escherichia coli) में एंटीबायोटिक प्रतिरोध को रिवर्स करने में सफलता प्राप्त की है।
- शोधकर्ताओं ने उस मेकेनिज्म को स्पष्ट किया है जिसके द्वारा बैक्टीरिया द्वारा उत्सर्जित हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S) गैस उन्हें एंटीबायोटिक से बचाती है तथा उनमें दवा प्रतिरोधक क्षमता (ड्रग रेजिस्टेंस) विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस की क्रियाविधि:

- एंटीबायोटिक्स, जीवाणु कोशिकाओं के भीतर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज (ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस) के स्तर को बढ़ाकर जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। इसीलिए ऐसा कोई भी मेकेनिज्म (यहां H2S गैस) जो एंटीबायोटिक दवाओं द्वारा उत्पन्न रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को डीटोक्सीफ़ाय या काउंटर करता है से एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावकारिता कम होगी।
- ड्रग-रेजिस्टेंस स्ट्रेंस स्वाभाविक रूप से दवा के प्रति संवेदनशील ई.कोलाई की तुलना में अधिक हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन कर रहा था। बैक्टीरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड की बायोसिंथेसिस को ट्रिगर करने वाले एंजाइम को अवरुद्ध करके शोधकर्ताओं ने ई.कोलाई बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में सफलता प्राप्त की है।

6.6. टीबी उपचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज

(Breakthrough in TB Treatment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय शोधकर्ताओं की एक टीम चूहों पर किए गए एक प्रयोगशाला परीक्षण में टीबी बैक्टीरियल लोड को 100 गुना तक कम करने में सफल रही। शोधकर्ताओं द्वारा इस परीक्षण के लिए **बर्गिनिन (berginin)** यौगिक का उपयोग किया गया।

बर्गिनिन क्या है?

- बर्गिनिन एक **फाइटोकेमिकल (phytochemical)** है। यह **सखुआ या साल के वृक्ष (शोरो रोबस्टा)** की कोमल पत्तियों से प्राप्त किया जाता है।
- बर्गिनिन, प्रतिरक्षा प्रणाली को मैक्रोफेज (एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका) के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए तैयार करता है।
- यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह यौगिक सीधे टीबी बैक्टीरिया को मारने में असमर्थ है परन्तु प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक एजेंट के रूप में इसका प्रयोग करने पर यह प्रभावी साबित हुआ।

महत्व

- चूंकि यह यौगिक सीधे टीबी बैक्टीरिया को निशाना नहीं बनाता है, इसलिए इसका उपयोग टीबी के ड्रग रेसिस्टेंट रोगियों के लिए भी किया जा सकता है।
- परंपरागत दवाओं की तुलना में यह यौगिक घावों को शीघ्रता से ठीक करता है।
- यदि इसका उपयोग टीबी की अन्य दवाओं के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है, तो यह टीबी के उपचार की अवधि को कम कर सकता है और औषध-प्रतिरोध (ड्रग रेसिस्टेंट) उत्पन्न होने से रोक सकता है।

6.7. कुष्टरोग हेतु स्वदेशी वैक्सीन: माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानी

(Home Grown Vaccine for Leprosy: Mycobacterium Indicus Pranii)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने कुष्ठरोग हेतु एक स्वदेशी टीका माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानी (MIP) विकसित किया है।

कुष्ठ रोग क्या है?

- यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के कारण होता है।
- त्वचा और परिधीय तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है।
- आम तौर पर 5-7 वर्ष का लम्बा इन्क्यूबेशन पीरियड।
- तंत्रिका के क्षतिग्रस्त होने से पूर्व समय पर निदान और बीमारी का उपचार, विकलांगता को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।

मुख्यबिंदु

- प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम कुष्ट रोगी होने के कारण भारत को 2005 में कुष्ठ मुक्त देश घोषित किया गया है।
- हालांकि, विश्व के कुल कुष्ठ रोगियों के लगभग 60% रोगी भारत में रहते हैं। प्रति 1,00,000 आबादी पर एनुअल (वार्षिक) न्यू केस डिटेक्शन रेट (ANCDR) 9.71 है।
- इस बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों के निकट संपर्क में रहने वाले लोगों की सुरक्षा हेतु MIP की व्यवस्था की जाएगी।
- MIP का प्रयोग अब **नेशनल लेप्रसी एलिमिनेशन प्रोग्राम (NLEP)** के अंतर्गत भी किया जाएगा। इससे बैक्टीरिया संबंधी रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।

6.8. डीप ओशन मिशन

(Deep Ocean Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जनवरी 2018 में 'डीप ओशन मिशन' का शुभारंभ करने के लिए तैयार है। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र तल के नीचे स्थित खनिज संसाधनों का अध्ययन और दोहन करना है। इस मिशन की लागत 10,000 करोड़ रु. है।

पॉलिमेटालिक नोड्यूल्स

- ये मैंगनीज नोडयूल्स के रूप में भी जाने जाते हैं। ये नोड्यूल्स अधिकांशतः छिद्रयुक्त होते हैं तथा विश्व के महासागरों के नितल में अत्यधिक गहराई में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
- मैंगनीज और लोहे के अतिरिक्त, इनमें निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, सीसा, मोलिब्डेनम, कैडमियम, वैनेडियम और टाइटेनियम पाए जाते हैं जिनमें निकेल, कोबाल्ट और कॉपर का अत्यधिक आर्थिक और सामरिक महत्व है।

पृष्ठभूमि

- भारत की समुद्र तट रेखा 7,500 किलोमीटर लम्बी है तथा भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।
- 26 जनवरी 1981 को प्रथम रिसर्च वेसल गवेषणी द्वारा अरब सागर से पहले नोडयूल सैंपल का संग्रह करने के बाद CSIR-NIO (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ ऑशनोग्राफी) द्वारा **पोलीमेटालिक नोडयूल्स** पर कार्यक्रम की पहल की गई थी।
- वर्ष 1987 में भारत को केन्द्रीय हिन्द महासागर बेसिन में गहरे समुद्री खनिज जैसे पॉलिमेटालिक नोड्यूल्स के अन्वेषण का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारत UN के समुद्री कानून (लॉ ऑफ़ सी) के तहत केन्द्रीय हिन्द महासागर बेसिन में गहरे समुद्र में खनन अन्वेषण के लिए नया क्षेत्र प्राप्त करने वाला विश्व का प्रथम देश था।

डीप ओशन मिशन के बारे में

- इस मिशन के अंतर्गत **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग** भी शामिल होंगे।
- इस प्रोजेक्ट के प्रमुख घटक **गहन सागरीय ऊर्जा, चेन्नई तट पर विलवणीकरण संयंत्र (डीसैलिनेशन प्लांट), गहन सागरीय विज्ञान और मत्स्य पालन, खनिज और पॉलिमेटालिक नोडयूल्स** हैं।
- इस मिशन के तहत भारत को आवंटित किए गए अनन्य आर्थिक क्षेत्र को कवर किया जाएगा।

6.9. तीसरी गुरुत्वीय तरंग की खोज

[Third Gravitational Wave Detected]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अमेरिका में **लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेवीटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (LIGO)** के डिटेक्टर्स ने दो ब्लैक होल्स के परस्पर विलय की एक और घटना का पता लगाया है।

महत्त्व

- यह दो ब्लैक होल्स के विलय से आने वाली गुरुत्वीय तरंगों की तीसरी घटना की पुष्टि करता है। यह घटना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक पैटर्न की पुष्टि करती है।
- इस अनुसंधान से केवल ब्लैक होल्स के विलय की ही जानकारी प्राप्त नहीं हुई है बल्कि ब्लैक होल के स्पिन (spin) के संरेखण (alignment) की भी जानकारी प्राप्त हुई है। यह ब्लैक होल की निर्माण प्रक्रिया को जानने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।
- यह प्रेक्षण आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का भी समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश तरंगों के विपरीत गुरुत्वाकर्षण तरंगे अंतरिक्ष में गति करते समय विक्षेपित नहीं होंगी।

गुरुत्वीय तरंगों का तात्पर्य ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रबल और ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण स्पेस-टाइम फैब्रिक में उत्पन्न विरूपण या 'तरंग' से है। ये तरंगे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से चलती हैं। इनमें इनकी उत्पति से संबंधित जानकारी के साथ ही **गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य** भी निहित होते हैं।

6.10. नासा के न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम को 12 मिशन प्रस्ताव प्राप्त हुए

(NASA’s New Frontiers Programme Receives 12 Mission Proposals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नासा के न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम को विभिन्न गंतव्यों के मिशन के लिए 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नासा अपने न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के तहत सौर प्रणाली के अन्वेषण हेतु 1 बिलियन डॉलर तक की लागत के रोबोटिक मिशन का आयोजन करता है।

न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम:

- न्यू फ्रंटियर्स स्ट्रेटेजी का लक्ष्य फ्रीक्वेंट, मध्यम-श्रेणी के स्पेसक्राफ्ट मिशनों द्वारा सौर प्रणाली का अन्वेषण करना है। ये मिशन सौर प्रणाली के विषय में हमारी समझ को विस्तारित करने के लिए उच्च-गुणवत्तायुक्त, वैज्ञानिक छानबीन पर केन्द्रित हैं।

- यह न्यू फ्रंटियर्स पोर्टफोलियो का चौथा मिशन होगा। इसके पूर्ववर्ती मिशन में प्लूटो के लिए न्यू होराइज़न मिशन, बृहस्पति के लिए जूनो मिशन, और OSIRIS-Rex हैं।

6.11. XFEL (विश्व का सबसे बड़ा एक्स-रे लेजर) ने प्रथम एक्स-रे लेजर लाइट उत्पन्न की

(XFEL (World's Biggest X-Ray Laser) Generates First X-Ray Laser Light)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व के सबसे बड़े एक्स-रे लेजर, यूरोपियन XFEL ने प्रकाश की पहली बीम उत्पन्न की है।
- एक्स-रे लेजर लाइट एक इलेक्ट्रिक बीम से एक सुपरकंडक्टिंग लीनियर ऐक्सेलरेटर द्वारा उत्पन्न की गई थी। 2.1 किमी. लंबी एक्सेलरेटर टनल में इलेक्ट्रॉन पल्स को अत्यधिक त्वरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक्स-रे लेजर लाइट उत्पन्न हुई।

XFEL के सम्बन्ध में

- यूरोपीय XFEL विश्व के पांच एक्स-रे लेजरों में सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली है, जिसमें हार्ड एक्स-रे लाईट की छोटी पल्सेस को उत्पन्न करने की क्षमता है।
- यह 3.4 किलोमीटर लंबी है और इसमें से अधिकांश अंडरग्राउंड टनल के रूप में जर्मनी में स्थित है।
- एक्स-रे लाईट की तरंगदैर्ध्य 0.8 नैनोमीटर है- जोकि दृश्य प्रकाश की तुलना में लगभग 500 गुना कम है।

संभावित लाभ:

- प्राप्त लेजर लाइट की तरंगदैर्ध्य एक परमाणु के आकार के समान है, इसका अर्थ है कि एक्स-रे का उपयोग एटॉमिक रिज़ॉल्यूशन (जैसे कि बायोमॉलिक्यूल) पर नैनोकोस्मोस (nanocosmos) की तस्वीरें और फिल्म बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे बीमारियों के कारण की बेहतर समझ विकसित हो सकती है या उपचारों के नए तरीकों को विकसित किया जा सकता है।
- यह सुविधा रासायनिक प्रक्रियाओं और उत्प्रेरक तकनीकों में अनुसंधान को सक्षम करेगी। इसका लक्ष्य रासायनिक प्रक्रियाओं और उत्प्रेरक तकनीकों क्षमता में सुधार करना या उन्हें और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इससे मैटेरियल रिसर्च तथा ग्रहों के आंतरिक क्षेत्रों के समरूप स्थितियों के अनुसंधान में सहायता प्राप्त होगी।

6.12. ऊर्जा के उभरते स्रोत

(Emerging Sources of Energy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल के दशक में पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के साथ अन्य स्रोत जैसे हाइड्रोजन, ओसिएन कोल्ड फ्यूजन (ocean cold fusion) आदि भविष्य के लिए आशाजनक परिणाम प्रदर्शित कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि:

- देश के विद्युत उत्पादन में पवन और सौर ऊर्जा योगदान 7% है, जो कि काफी कम है, साथ ही यह निरंतर भी नहीं है।
- दूसरी तरफ कोयला, जो अभी भी विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार है, साथ ही इसमें जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है।

फ्यूल सेल के रूप में हाइड्रोजन

- एक फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत्, जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें बैटरी की प्रक्रिया का अनुकरण (mimic) किया जाता है।
- शुद्ध गैस के रूप में हाइड्रोजन के आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह ऊर्जा का अपेक्षाकृत महंगा स्रोत है।

महासागरीय ऊर्जा

- इस 24x7 ऊर्जा स्रोत के तीन उपवर्ग हैं - तरंगें, ज्वार और जल के नीचे की धाराएं।
- ज्वारीय ऊर्जा के दोहन के लिए, उच्च और निम्न ज्वार की ऊंचाई के मध्य कम-से-कम 16 फीट का अंतर आवश्यक है। यह एक बड़ी बाधा है।
- पवन और धाराओं से उत्पन्न लहरें कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा प्रणाली में काफी योगदान दे सकती हैं, लेकिन अभी यह अपने विकास के प्रारंभिक चरण में ही है।

कोल्ड फ्यूजन:

- हाइड्रोजन की निकेल और पैलेडियम जैसी विभिन्न धातुओं के साथ अंतःक्रिया के परिणामस्वरुप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के रुप को कोल्ड फ्यूज़न कहते हैं। इस क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसका टरबाइन को घुमाने के इस्तेमाल किया जाता है।
- कोल्ड फ्यूजन में किसी रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है और न ही इससे कोई रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है।

- कोल्ड फ्यूज़न की प्रमुख चुनौती इस अभिक्रिया को नियंत्रित करना है।
- लेकिन ये बहुत छोटी, अपेक्षाकृत सरल, सस्ती और आत्मनिर्भर (self-contained) ऊर्जा का रूप है।

6.13. विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च (VAJRA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार विदेशों में कार्यरत 1000 से अधिक भारतीय वैज्ञानिक पिछले 2-3 वर्षों में भारत वापस लौट आए हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार द्वारा हाल ही में VAJRA (विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च) फैकल्टी स्कीम का शुभारंभ किया गया। इस स्कीम का उद्देश्य देश में अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में भाग लेने एवं कार्य करने हेतु NRI और ओवरसीज वैज्ञानिक समुदाय को सम्मिलित करना है।
- साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड (SERB) इस स्कीम का क्रियान्वयन करेगा। SERB विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक सांविधिक निकाय है।
- इस स्कीम के तहत अनिवासी भारतीय (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) / भारत के विदेशी नागरिक (OCI) सहित अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी/ वैज्ञानिक /प्रौद्योगिकीविदों को **1-3 महीने की अवधि के लिए भारतीय संस्थानों / विश्वविद्यालयों में सहायक / विज़िटिंग फैकल्टी पदों का** प्रस्ताव दिया जा रहा है।
- R&D के अतिरिक्त यह फैकल्टी शिक्षण / मार्गदर्शन का कार्य भी कर सकती है।
- सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को VAJRA फैकल्टी को आमंत्रित करने की अनुमति है।

6.14. टेक्टोनिक प्लेट की अतिरिक्त परत की खोज

(Extra Layer of Tectonic Plate Discovered)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- शोधकर्ताओं की एक टीम ने टेक्टोनिक प्लेट की नई परत की खोज की है। यह परत मैंटल (mantle) के नीचे क्षेपित (subducted) थी।

इस खोज से संबंधित अन्य जानकारी

- यह खोज **भूकंप के दौरान दर्ज किये गए कंपनों की 3D मैपिंग** के माध्यम से संभव हो पाई है।
- शोधकर्ताओं का मानना है कि हाल ही में खोजी गई यह परत लाखों वर्ष पहले मैंटल में समा गई थी तथा यह सतह के नीचे **440-660 किमी के बीच में** अवस्थित **संक्रमण क्षेत्र** में विद्यमान है।
- इन प्लेटों के संचलन से **फिजी और ऑस्ट्रेलिया के बीच आने वाले** भूकंपों की एक श्रृंखला की व्याख्या की जा सकती है। भूकंपों की इस श्रृंखला को **वित्याज़ अर्थक्वेक (Vityaz earthquake)** के रूप में जाना जाता है।

महत्व

- इस तरह की खोज से मैंटल में क्षेपित टेक्टोनिक प्लेटों की अवस्थिति का पता लगाया जा सकता है तथा तत्पश्चात पृथ्वी की सतह की लाखों वर्ष पूर्व की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।
- यह खोज भविष्य की भूकंपीय परिघटनाओं के अपेक्षाकृत अधिक सटीक पूर्वानुमान में सहायक हो सकती है।

6.15. विश्व का सबसे पतला होलोग्राम

(World's Thinnest Hologram)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे पतले होलोग्राम का निर्माण किया है। इस होलोग्राम को 3D चश्मे के बिना भी देखा जा सकता है।

होलोग्राम के बारे में अधिक जानकारी

- यह नैनो-होलोग्राम मानव के बाल की तुलना में 1000 गुना पतला है तथा इसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टीवी जैसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है।
- इसे एक साधारण लेजर-राइटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके निर्मित किया गया है।

VISION IAS

होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग

- **चिकित्सा में** - होलोग्राफिक इमेजिंग का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। इसका प्रयोग रोगी के शरीर (जैसे हृदय) के एक निश्चित आंतरिक भाग की एक 3D इमेज बनाने के लिए तथा इस इमेज को रियल टाइम में प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है।
- **ट्रेड शो (trade show) में** - यह तकनीक ट्रेड शो में अत्यंत उपयोगी है क्योंकि होलोग्राफिक डिस्प्ले बिना परिवहन लागत के किसी उत्पाद को लॉन्च करने और दर्शकों के समक्ष उसका प्रदर्शन करने में सहायक हो सकता है।
- **होलोग्राफिक टेलीप्रेज़ेन्स** - प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा एक साथ अलग-अलग स्थानों के दर्शकों के साथ टेलीप्रेजेंस के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखते हुए उनको संबोधित करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है।
- **इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर** - भवनों और इंजीनियरिंग डिजाइनों के 3D होलोग्राफिक मॉडल उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखने के समान अनुभव प्रदान करते हैं।

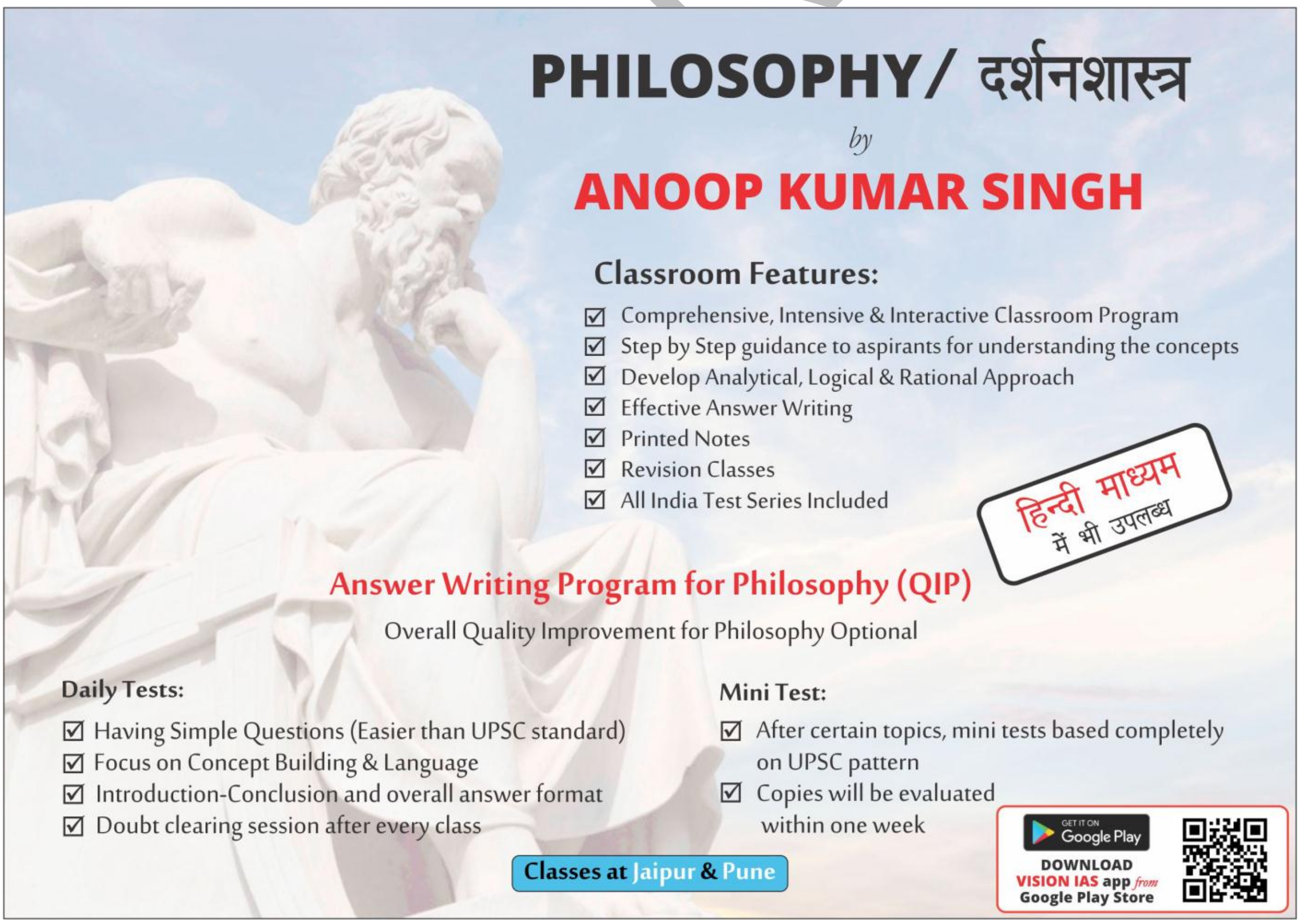

7. सामाजिक

(SOCIAL)

7.1 मिशन इंद्रधनुष

(Mission Inderdhanush)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) के द्वारा मिशन इंद्रधनुष की समय सीमा 2018 से बढ़ाकर 2020 तक कर दी गयी है।
- PMO मल्टी-मॉडल प्लेटफार्म, **प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन:PRAGATI) प्लेटफार्म** के माध्यम से इस मिशन की समीक्षा करेगा।

प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) क्या है?

- यह एकीकृत संवादमूलक (interactive) प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य आम जन की शिकायतों का समाधान करना तथा साथ-साथ भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है।
- इसमें डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।
- यह एक तीन स्तरीय प्रणाली है (PMO, भारत सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव)।

मिशन इंद्रधनुष

- यह **यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985** के तहत किया जाने वाला एक रणनीतिक प्रयास है।
- इसका लक्ष्य दो वर्ष से कम उम्र के उन सभी बच्चों को कवर करना है जो टीकाकरण से वंचित रहए हैं या जिनका टीकाकरण आंशिक रूप से किया गया है। साथ ही कार्यक्रम का लक्ष्य सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है।
- वैक्सीन निरोध्य (preventable) सात रोगों से सुरक्षा करने हेतु टीकाकरण; ये रोग डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनस, चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा (मीजल्स) हैं।
- इसके अतिरिक्त, चयनित राज्यों में जापानी इन्सेफेलाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, इनैक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन और मीजल्स रूबेला वैक्सीन के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- WHO, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल और अन्य दाता भागीदारों द्वारा इस मिशन को तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) 1985

- UIP के तहत 1 वर्ष तक के सभी बच्चों का नि:शुल्क टीकाकरण किया जाता है
- जीवन को जोखिम में डालने वाले 12 रोगों के विरुद्ध इन बच्चों को सुरक्षित करना; ये 12 रोग निम्नलिखित हैं: ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, परट्यूसिस (काली खाँसी), टिटनस, पोलियोमेलाइटिस, खसरा, हैपेटाइटिस बी, डायरिया, जापानी इन्सेफेलाइटिस, रूबेला, रोटावायरस और **निमोनिया** (मई 2017 में जोड़ा गया)।

निमोनिया वैक्सीन

- भारत में निमोनिया के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है, यह संख्या समग्र विश्व में निमोनिया से होने वाली मृत्यु का लगभग 20% है।
- न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (PCV) 13 प्रकार के न्युमोकोकल बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करेगा।

7.2. eVIN प्रोजेक्ट

(eVIN project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के **इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) प्रोजेक्ट** को विभिन्न विकासशील देशों द्वारा सराहा गया है।

eVIN के बारे में

- eVIN भारत में एक स्वदेशी तकनीक के आधार पर विकसित प्रणाली है। eVIN, वैक्सीन स्टॉक्स का डिजिटलीकरण करता है और स्मार्टफोन एप्लिकेशन के माध्यम से कोल्ड चैन के तापमान की निगरानी करता है।
- यह तकनीकी नवाचार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा क्रियान्वित किया गया है।
- स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने हे eVIN एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह वैक्सीन फ्लो नेटवर्क को सरल बनाता है। साथ ही यह सभी बच्चों के लिए आसान और समय पर वैक्सीन की उपलब्धता प्रदान कर समानता सुनिश्चित करता है।

कुछ उपलब्धियां

- 12 राज्यों के 371 जिलों में कार्यान्वित, डिजिटाइज्ड वैक्सीन इन्वेंट्रीज और लगभग 10,500 वैक्सीन स्टोर्स और कोल्ड चेन पॉइंट्स पर रिकार्ड को सुरक्षित रखना।
- इन वैक्सीन स्टोरेज पॉइंट्स से 98 प्रतिशत से अधिक की नियमित रिपोर्टिंग दर प्राप्त की गई।
- नेशनल मॉनिटर्स के रूप में सभी जिले जहां मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है के एक चौथाई से अधिक का निरीक्षण किया गया तथा बेसलाइन (baseline) आधारित जानकारी एकत्र की गई। इस परियोजना के माध्यम से मिशन इन्द्रधनुष की कवरेज दर की निरंतर निगरानी संभव हो पाई।

7.3. श्रम मंत्रालय: सामाजिक सुरक्षा योजना

(Labour Ministry: Social Security Schemes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने दो योजनाएं- **वन IP-टू डिस्पेंसरीज' स्कीम और आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन** आरम्भ की है।

योजनाओं के मुख्य बिंदु

- **ESIC (Employee's State Insurance Corporation)** की **टू डिस्पेंसरीज स्कीम** में बीमाधारक व्यक्ति (IP-Insured Person) को दो डिस्पेंसरी चुनने का विकल्प दिया गया है। इस योजना के तहत नियोक्ता के माध्यम से एक डिस्पेंसरी स्वयं के लिए तथा दूसरी डिस्पेंसरी परिवार के लिए प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।
- इससे सभी IPs, विशेष रूप से प्रवासी कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा जो अपने मूल राज्य के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कार्यरत हैं।
- इसके अतिरिक्त, आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन स्कीम, EPFO के तहत एक आसान PF (प्रोविडेंट फंड) फाइनल सेटलमेंट प्रदान करेगी।

EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) क्या है?	**ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) क्या है?**
• यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह सेवानिवृत्ति लाभ योजना क्रियान्वित करता है। यह योजना सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। • EPF योजना, 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली कंपनियों पर लागू होती है। • 50 से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाली सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है। साथ ही साथ उस संगठन पर लागू नहीं होता है जिसके पास स्वयं की EPF योजना है लेकिन इस योजना हेतु सुपरवाइज़र EPFO के द्वारा ही नियुक्त किया जायेगा।	• यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक, स्वायत्त निगम है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। • यह कार्य के दौरान लगी चोट के कारण हुई मृत्यु, बीमारी, मातृत्व और विकलांगता संबंधी स्थितियों में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को चिकित्सा और नकद लाभ प्रदान करता है। • यह मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू। • कुछ राज्यों में 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-मौसमी कारखानों तथा 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले संस्थानों के लिए अनिवार्य। • प्रीव्यू थिएटर, सड़क-मोटर परिवहन उपक्रम और अख़बार और प्राइवेट मेडिकल इंस्टिट्यूशन और निजी शैक्षिक संस्थानों सहित दुकानें, होटल, रेस्तरां, सिनेमाघरों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करती है।

VISION IAS

7.4. थैलेसीमिया पर राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता

(Need for National Policy on Thalassemia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वर्ल्ड थैलेसीमिया डे (8 मई) पर विभिन्न शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने थैलेसीमिया पर राष्ट्रीय नीति की मांग की।

थैलेसीमिया क्या है?

- यह एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट (BMT) के अतिरिक्त इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
- शरीर में हीमोग्लोबिन का असामान्य उत्पादन इसका लक्षण है। इस असामान्यता के परिणामस्वरूप ऑक्सीजन का अनुपयुक्त रूप से परिवहन होता है तथा लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं।
- यह लौह अधिभार, हड्डियों की विकृति और गंभीर मामलों में हृदय रोग का कारण हो सकता है।
- दीर्घ जीवन के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में नियमित रूप से रक्त-आधान (blood transfusions) की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय नीति क्यों आवश्यक है?

- भारत विश्व की थैलेसीमिया राजधानी है क्योंकि यहाँ 40 मिलियन लोग इस रोग से प्रभावित हैं तथा प्रत्येक माह 1,00,000 से अधिक लोग रक्ताधान की प्रक्रिया का सहारा लेते हैं।
- थैलेसीमिया को अब एक स्वास्थ्य समस्या के स्थान पर राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट, 2016 के तहत विकलांगता के रूप में माना जाता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत इस विशिष्ट और आनुवांशिक बीमारी को नजरअंदाज किया गया है। दृष्टव्य है कि इस रोग पर होने वाला सार्वजनिक व्यय सरकारी कोष पर एक बड़ा बोझ है।

7.5 "मातृत्व लाभ कार्यक्रम" का अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन

(Pan India Implementation Of Maternity Benefit Program)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मातृत्व लाभ कार्यक्रम को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसे अब देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है।

योजना के संबध में:

- **उद्देश्य**
  - ✓ नकद प्रोत्साहन के रूप में वेतन हानि के लिए आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना जिससे कि महिलाएं प्रथम जीवित बच्चे के प्रसव के पूर्व और पश्चात पर्याप्त विश्राम कर सकें।
  - ✓ प्रदान किए गए नकद प्रोत्साहनों के माध्यम से **गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (प्रेगनेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स: PW&LM)** में कुपोषण के प्रभावों नामत: स्टंटिंग (आयु के सापेक्ष कद छोटा रह जाना), वेस्टिंग (कद के सापेक्ष वज़न का कम रह जाना) और अन्य समस्याओं के प्रभाव को कम किया जा सके।
- **DBT के माध्यम से 6000 रूपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।**
- **लक्षित समूह** - केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रोजगार करने वाली या अन्य कानूनों के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त करने वाली PW&LM को छोड़कर अन्य सभी PW&LM इसकी पात्र हैं।

7.6 जननांग विकृत करना

(Genital Mutilation)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने महिला जननांग विकृति (Female Genital Mutilation: FGM) पर रोक लगाने के लिए दायर एक जनहित याचिका के संबंध में केंद्र सरकार और चार राज्य सरकारों से प्रतिक्रिया मांगी है।

पृष्ठभूमि

- महिला जननांग विकृति (FGM) को "खतना" भी कहा जाता है और भारत में दाऊदी बोहरा नामक एक मुस्लिम संप्रदाय में आमतौर पर इसका प्रचलन है।
- इस प्रथा के तहत, छह या सात वर्ष की आयु में बालिकाओं के जननांगो को विकृत कर दिया जाता है।

VISION IAS

- यह कार्य, जिसमें क्लिटोरिस हुड (clitoris hood) को काट दिया जाता है, अधिकांशत: 'अप्रशिक्षित दाइयों' द्वारा किया जाता है और इसके पीछे धारणा है कि यह महिलाओं की यौन इच्छा को नियंत्रित करता है।
- **FGM, 24 अफ्रीकी देशों में प्रतिबंधित** है साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने भी इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया है।
- **दिसम्बर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एकमत से इस प्रथा को समाप्त करने का संकल्प स्वीकार किया था।**

भारत में प्रावधान

- IPC की धारा **320** (गंभीर चोट पहुँचाना), **323** (जान-बूझकर चोट पहुँचाने के लिए दंड), **324** (खतरनाक हथियारों या साधनों से जान-बूझकर चोट पहुँचाना), **325** (जान-बूझकर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड) जैसे प्रावधान इस तरह की प्रथाओं पर रोक लगाती हैं।
- पॉस्को (POSCO) अधिनियम की धारा 3 और 5 (एक बच्चे के साथ पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट), धारा 9 (गंभीर यौन उत्पीड़न) तथा धारा 19 (अपराध की रिपोर्टिंग) FGM जैसी क्रूर प्रथाओं को समाप्त कर सकती हैं।

आगे की राह

महिलाओं के प्रति इस प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए, गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से और चिकित्सकीय विवरणों के माध्यम से ऐसी शारीरिक प्रथाओं के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

7.7. स्वच्छ सर्वेक्षण 2017: इंदौर सर्वाधिक स्वच्छ शहर

(Swachh Survekshan 2017: Indore Cleanest City)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 4 मई 2017 को, शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 से प्राप्त परिणामों को जारी किया।

स्वच्छ सर्वेक्षण -2017 का उद्देश्य निम्नलिखित दिशाओं में किये गए प्रयासों के परिणाम प्राप्त करना:

- खुले में शौच की समस्या से मुक्त (ओपन डेफिकेशन फ्री);
- प्रत्येक घर से कचरा एकत्रित करना;
- नगरीय ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रसंस्करण।

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया

- यह भारत सरकार और एसोचैम (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और FICCI द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था।
- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन: DIPP), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, QCI के लिए नोडल मंत्रालय है।
- गुणवत्ता से संबंधित मानकों पर उचित और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करना।

मुख्य बिंदु

- क्वालिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा भारत के 434 शहरों और कस्बों में **स्वच्छ सर्वेक्षण, 2017** का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति का निरीक्षण करना था।
- भारत में इंदौर को सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया और भोपाल दूसरे स्थान पर है।
- 50 स्वच्छ शहरों में से सर्वाधिक 12 शहरों के साथ गुजरात शीर्ष स्थान पर है, तत्पश्चात 11 शहरों के साथ मध्य प्रदेश का स्थान है।

7.8 ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज स्टडी

(Global Burden of Disease Study)

सुर्खियों में क्यों ?

मेडिकल जर्नल, द लैनसेट (The Lancet) में प्रकाशित नवीनतम अध्ययन **ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज (GBD)** के अनुसार, अफगानिस्तान और सोमालिया में पैदा हुए बच्चों की तुलना में भारत में जन्मे नवजात शिशुओं के जीवित रहने की संभावना कम होती है।

अध्ययन के मुख्य बिंदु-

VISION IAS

- स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और गुणवत्ता (हेल्थकेयर एक्सेस एंड क्वालिटी: HAQ) के लिए GBD रैंकिंग में, भारत की रैंकग में 11 स्थानों की गिरावट आई है वर्तमान रैंकिंग में यह **195 देशों में से 154वें स्थान पर** है।
- इसके अलावा भारत का हेल्थकेयर इंडेक्स उपमहाद्वीपीय देशों में सबसे कम 44.8 है। श्रीलंका (72.8), बांग्लादेश (51.7), भूटान (52.7) और नेपाल (50.8) सभी ने हेल्थकेयर इंडेक्स में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है।
- "नवजात मृत्यु दर" के मामले में, भारत ने HAQ इंडेक्स में 14 अंक (1 से 100 के पैमाने पर) प्राप्त किए, जबकि अफगानिस्तान ने 19/100 और सोमालिया 21/100 अंक प्राप्त किए हैं।
- भारत तपेदिक (TB) उपचार तक पहुँच के मामले में पाकिस्तान, कांगो और जिबूती से पीछे है।
- रैंकिंग में भारत का नीचे खिसकना यह इंगित करता है कि भारत स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है, खासकर नवजात शिशुओं से संबंधित डिसऑर्डर, मातृ स्वास्थ्य, तपेदिक, और हृदय रोग आदि के संबंध में।

अध्ययन के बारे में

- **ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज, इंजरी, एंड रिस्क फैक्टर** स्टडी का नेतृत्व **इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME)** द्वारा किया जाता है।

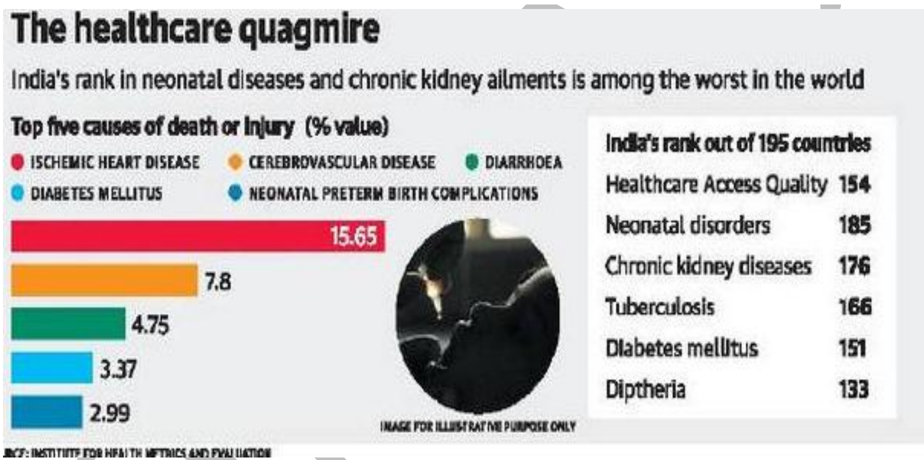

- IHME एक स्वतंत्र "पापुलेशन हेल्थ रिसर्च सेंटर" है जो वाशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ-साथ 130 से अधिक देशों में 2,300 शोधकर्ताओं के कंसोर्टियम से संबद्ध है।
- HAQ इंडेक्स उन 32 बीमारियों से हुई मृत्यु दरों पर आधारित है जिन्हे समय पर चिकित्सा के द्वारा टाला जा सकता था।

7.9. उत्कृष्टता के संस्थान

(Institutions of Eminence) :

सुर्खियों में क्यों?

भारत ने 20 विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्थानों के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। इन संस्थानों को उत्कृष्टता के संस्थान के रूप में जाना जाएगा।

ऐसी संस्थाओं की विशेषताएं:

- इसे **बहु-विषयक** होना चाहिए तथा इसके अंतर्गत शिक्षण और अनुसंधान दोनों ही क्षेत्रों में असाधारण उच्च गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।
- इन संस्थानों को नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा, उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के साथ-साथ भारत जैसे देशों की विकास संबंधी आवश्यकताओं से जुड़े विभिन्न **अंतर्विषयक** पाठ्यक्रमों की शुरुआत करनी चाहिए।
- **घरेलू और विदेशी छात्रों का उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व** होना चाहिए।
- प्रवेश **पारदर्शी तथा योग्यता पर आधारित** होना चाहिए तथा मेधावी छात्रों के चयन पर विशेष ध्यान केंद्रित होना चाहिए।
- घोषणा के तीन वर्ष बाद **शिक्षक छात्र अनुपात 1:10** से कम नहीं होना चाहिए।
- यहाँ छात्रों को विश्वस्तरीय प्रतिष्ठित संस्थानों के समान सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए।
- संस्थान के पास बड़ा परिसर होने के साथ भविष्य में विस्तार के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

उत्कृष्टता के संस्थान

- ऐसे सभी संस्थानों की शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करते हुए UGC (इंस्टिट्यूशंस ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) रेगुलेशन्स, 2017 के द्वारा इनका संचालन किया जाएगा।
- ये विनियमन UGC के द्वारा जारी किये गए अन्य सभी विनियमनों का स्थान लेंगे तथा इसके माध्यम से UGC की प्रतिबंधात्मक निरीक्षण व्यवस्था से संस्थानों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त इस विनियमन के माध्यम से ऐसे संस्थानों के शुल्क और पाठ्यक्रम पर नियामकीय नियंत्रण भी कम किया जा सकेगा।

उत्कृष्टता के संस्थानों से संबद्ध मुद्दे:

- इस तरह के संस्थानों को UGC के नियंत्रण से बाहर होने पर भी राजनीतिक हस्तक्षेप और लालफीताशाही का सामना करना पड़ सकता है।
- लंबे समय तक संस्थान के उच्च गुणवत्ता मानक को बनाए रखना एक मुद्दा होगा।
- ऐसे संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाए रखने के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी, लेकिन वर्तमान में शिक्षित युवाओं को शिक्षण क्षेत्र आकर्षित नहीं कर रहा है।
- ऐसी संस्थाओं से शिक्षा के पूर्ण होने के बाद "ब्रेन ड्रेन" के मुद्दे से भी निपटने की आवश्यकता होगी।

आगे की राह:

- सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी (Higher Education Finance Agency: HEFA) की स्थापना की पहल की है। उच्च शिक्षा संस्थानों में संसाधनों की कमी दूर करने के लिए HEFA एक सही कदम है।
- उच्च शिक्षा में पहुंच, गुणवत्ता और निष्पक्षता पर आगे और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1. बसव जयंती

(Basava Jayanti)

सुर्खियों में क्यों?

- कर्नाटक में बसवेश्वर (बसव) का 884वां जन्मदिवस बसवन्ना जयंती या बसव जयंती के रूप में मनाया गया। बसवेश्वर 12वीं सदी के सामाजिक सुधारक थे।

बसवेश्वर के बारे में

- बसवेश्वर को **लिंगायतवाद या लिंगायत संप्रदाय या वीरशैववाद** का संस्थापक माना जाता है।
- 12वीं शताब्दी के दौरान इन्होंने कर्नाटक में व्यापक सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा दिया।
- ये दलितों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध थे। इन्होंने ब्राह्मणवादी वैदिक परंपरा में व्याप्त हो चुकी बुराईयों का प्रबल विरोध किया।
- इन्होंने अपने व्यावहारिक अनुभवों को साहित्य की एक विशिष्ट विधा में प्रस्तुत किया जिसे **'वचन (कविता)'** कहा जाता है। वचन (कविता) आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सभी के कल्याण को सुनिश्चित करना था ।
- इन्होंने **'*कल्याण राज्य*' (वेलफेयर स्टेट)** की स्थापना की घोषणा की।
- इन्होंने **"स्थावर"** और **"जंगम"** नामक दो महत्वपूर्ण और अभिनव अवधारणाएं प्रतिपादित कीं। इनका अर्थ क्रमश: "स्थिर" और "गतिशील" है। ये अवधारणाएं बसवन्ना की क्रांतिकारी विचारधारा की मुख्य आधार हैं।

8.2. संत त्यागराज

(Saint Tyagraja)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में संत त्यागराज की 250वीं जयंती मनाई गई।

संत त्यागराज के बारे में

- संत त्यागराज **'कर्नाटक त्रिमूर्ति'** के प्रमुख संगीतकारों में से एक हैं। इस त्रिमूर्ति में **संत त्यागराज** के साथ ही **मुत्तुस्वामी दीक्षितार** और **श्यामा शास्त्री** भी शामिल हैं।
- इन्हें त्यागब्रह्मम के रूप में भी जाना जाता है।
- संत त्यागराज का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर जिले में तिरुवारूर गांव में 14 मई 1767 को हुआ था।
- रामायण के प्रभाव से वह भगवान राम के प्रख्यात भक्त बन गए। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 24000 गीतों को भगवान राम को समर्पित किया।
- तिरुवारूर में प्रत्येक वर्ष जनवरी और फरवरी माह के बीच त्यागराज के सम्मान में एक संगीत उत्सव 'त्यागराज आराधना' आयोजित किया जाता है।

8.3. राजा राम मोहन राय

(Raja Ram Mohan Roy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में राजा राम मोहन राय की 245वीं जयंती मनाई गई।

राजा राम मोहन राय के बारे में

- 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक जागरण की पृष्ठभूमि में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- इनका जन्म 22 मई, 1774 को हुआ तथा निधन 27 सितंबर, 1833 को हुआ था।
- इन्हें **"आधुनिक भारत के निर्माता", "आधुनिक भारत के जनक"** और **"बंगाल पुनर्जागरण के जनक"** के रूप में भी जाना जाता है।
- मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय ने उन्हें **"राजा"** की उपाधि प्रदान की थी।
- इन्होंने **विधवा पुनर्विवाह** के समर्थन में तथा **सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों** के खिलाफ अभियान चलाया।
- इन्होंने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म सभा को बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाने लगा। ब्रह्म समाज 1814 में स्थापित आत्मीय सभा का ही विकसित रूप था।

- ब्रह्मसमाज ने **एक ईश्वर की उपासना, भाईचारे और एक दूसरे पर निर्भरता** पर बल दिया।
- वे भारतीय संस्कृति में पश्चिमी समाज के आदर्शों की अच्छाईयों का समावेश करना चाहते थे।
- इन्होंने 1822 में कलकत्ता में **हिंदू कॉलेज** की स्थापना की।
- इन्होंने **संवाद कौमुदी और मिरात-उल-अखबार** जैसे स्तरीय पत्रों का विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन किया।

8.4. ठकुरानी जात्रा महोत्सव

(Thakurani Jatra Festival)

यह क्या है?

- हाल ही में बहरामपुर शहर में महीने भर चलने वाला ठकुरानी जात्रा महोत्सव संपन्न हुआ।

इस महोत्सव के बारे में

- ठकुरानी जात्रा महोत्सव एक द्विवर्षीय महोत्सव है। यह महोत्सव **बहरामपुर (सिल्क सिटी), ओडिशा** में मनाया जाता है।
- इसे घट यात्रा (Ghata Yatra) के रूप में भी जाना जाता है। यह दक्षिणी ओडिशा का मुख्य त्योहार है।
- इस महोत्सव में **माँ बुद्धि ठकुरानी** की पूजा की जाती है। इन्हें बहरामपुर शहर की इष्ट देवी और *सुरक्षा कवच* (संरक्षक) माना जाता है।
- इस देवी की पूजा मूलतः *डेरा* नामक बुनकर समुदाय द्वारा की जाती थी।

8.5. बंगनापल्ली आम

(Banganapalle Mango)

सुर्खियों में क्यों?

- **रजिस्ट्रार ऑफ़ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन्स रजिस्ट्री (RGIR)** द्वारा आंध्र प्रदेश के *बंगनापल्ली आम* तथा *बन्दर लड्डू* दोनों को ही भौगोलिक संकेतक (GI) का टैग प्रदान किया गया।

GI टैग क्या है?

- GI टैग एक संकेत है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है। इसका उपयोग विशेष गुणवत्ता और प्रतिष्ठा प्राप्त कृषि संबंधी, प्राकृतिक और विनिर्मित वस्तुओं को पहचान और संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- GI टैग प्राप्त करने के लिए किसी उत्पाद का उस क्षेत्र में ही उत्पादित, प्रसंस्कृत या अंतिम रूप से तैयार होना आवश्यक है।
- GI टैग को **ज्योग्राफिकल इंडिकेशन्स ऑफ़ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन) एक्ट, 1999** द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन **कंट्रोलर जनरल ऑफ़ पेटेंट्स, डिजाइन्स और ट्रेड मार्क्स (Controller General of Patents, Designs and Trade Marks)** द्वारा किया जाता है। दृष्टव्य है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ़ पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क्स, GI के रजिस्ट्रार भी हैं।
- GI का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे नवीकृत करने की आवश्यकता होती है।

8.6. यक्षगान नृत्य शैली

(Yakshagana Dance Form)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यक्षगान कलाकार **सुरकुमरी के. गोविंदा भट्ट** का केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2016 के लिए चयन किया गया है। इस पुरस्कार के तहत ताम्रपात्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख का ईनाम दिया जाता है।

यक्षगान के बारे में

- यह कर्नाटक का लोक नृत्य है।
- यह नृत्य और नाटक का एक संयोजन है।
- इस शैली में रामायण, महाभारत और पुराण जैसे महाकाव्यों की कहानियों का मंचन किया जाता है।
- इसमें एक कथाकार अन्य कलाकारों द्वारा बजाए जाने वाले पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ कहानी कहता है तथा अभिनेता कहानी के अनुरूप अभिनय करते हैं।

VISION IAS

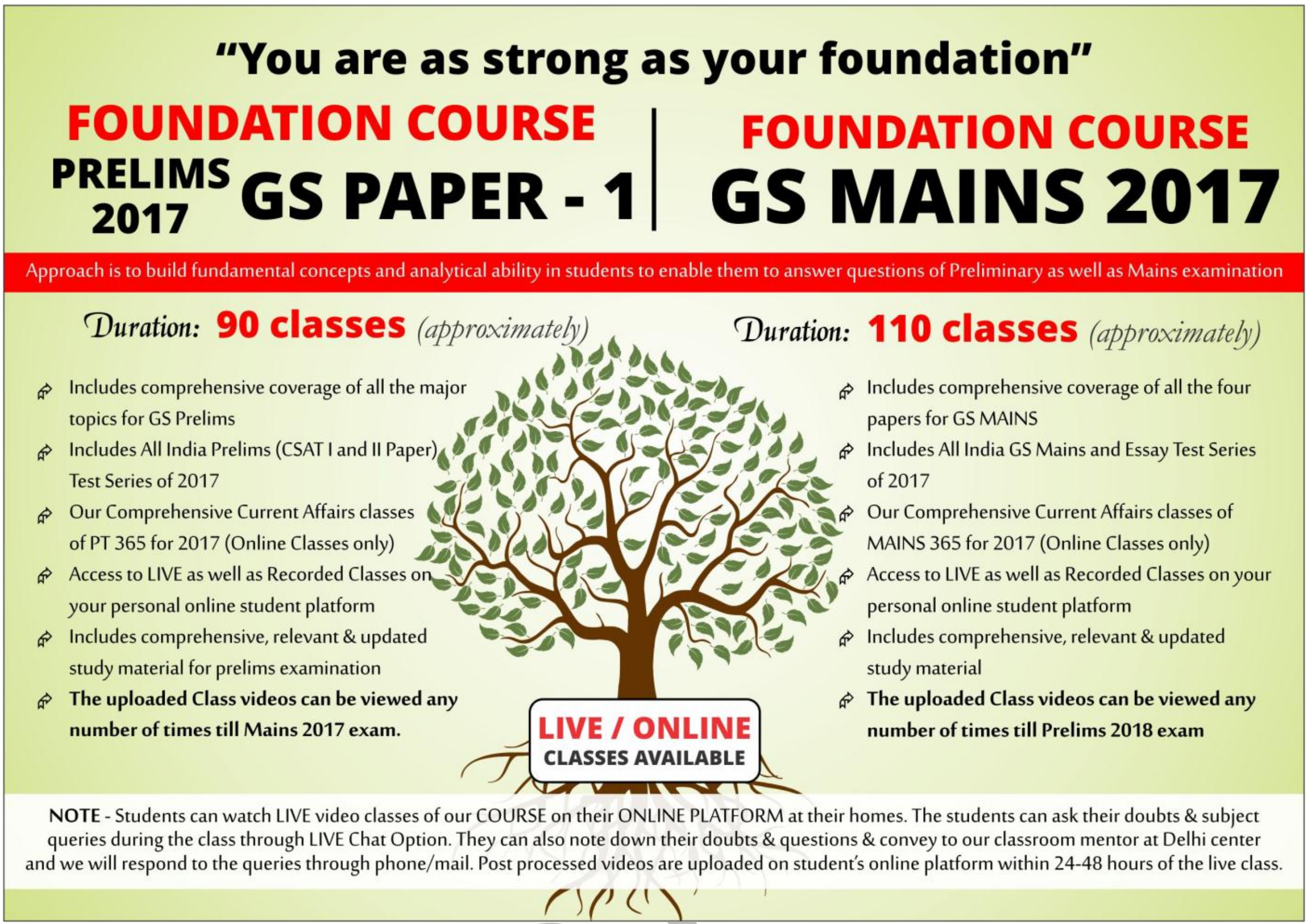
"You are as strong as your foundation"
FOUNDATION COURSE
PRELIMS 2017 GS PAPER - 1
FOUNDATION COURSE
GS MAINS 2017
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
Duration: 90 classes (approximately)
Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
Includes All India Prelims (CSAT I and II Paper) Test Series of 2017
Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 for 2017 (Online Classes only)
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination
The uploaded Class videos can be viewed any number of times till Mains 2017 exam.
Duration: 110 classes (approximately)
Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
Includes All India GS Mains and Essay Test Series of 2017
Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 for 2017 (Online Classes only)
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
Includes comprehensive, relevant & updated study material
The uploaded Class videos can be viewed any number of times till Prelims 2018 exam
LIVE / ONLINE
CLASSES AVAILABLE
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

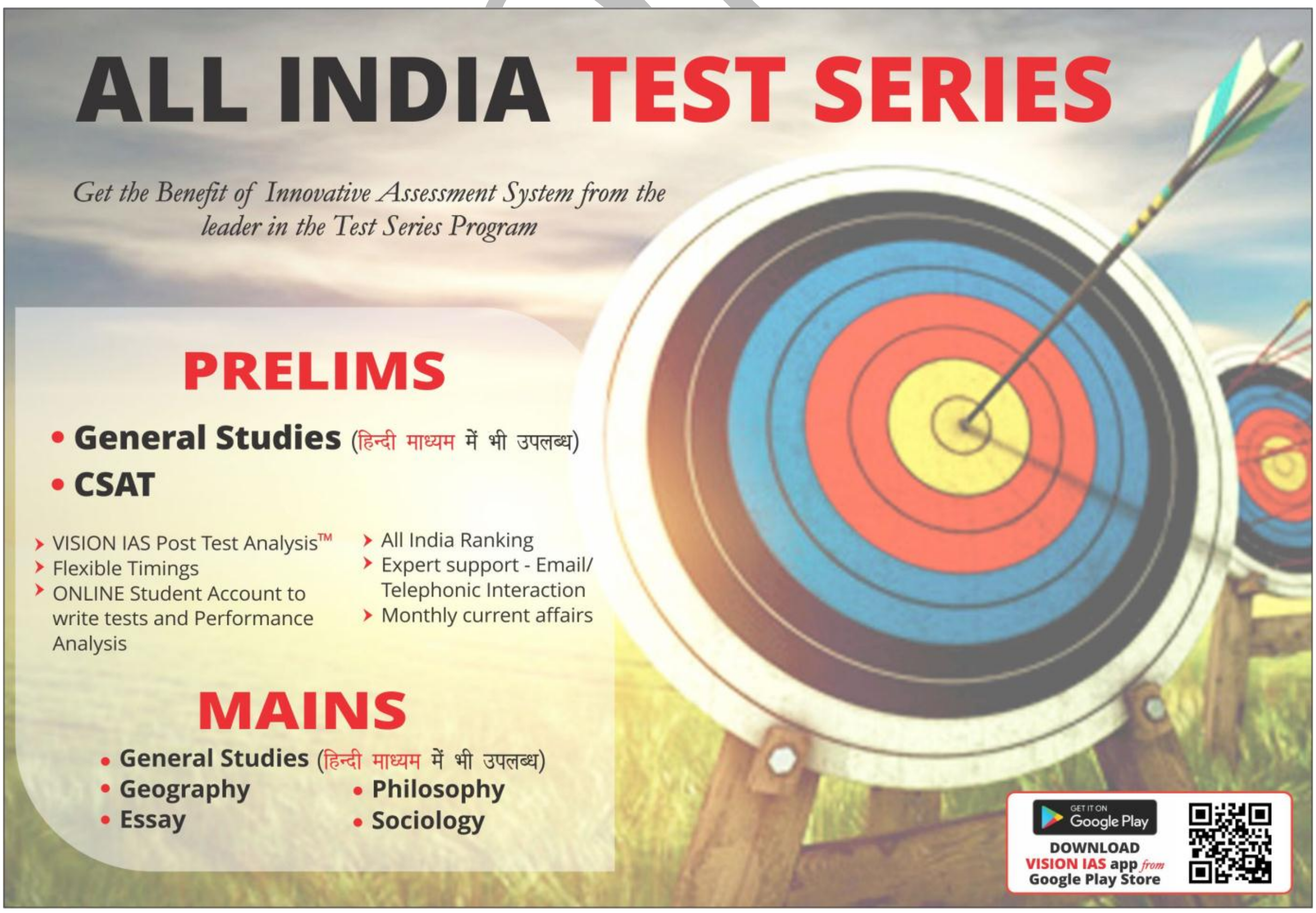
ALL INDIA TEST SERIES
Get the Benefit of Innovative Assessment System from the leader in the Test Series Program
PRELIMS
• General Studies (हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध)
• CSAT
VISION IAS Post Test Analysis™
Flexible Timings
ONLINE Student Account to write tests and Performance Analysis
All India Ranking
Expert support - Email/ Telephonic Interaction
Monthly current affairs
MAINS
• General Studies (हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध)
• Geography
• Philosophy
• Essay
• Sociology
GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store

9. नीतिशास्त्र

(ETHICS)

9.1. विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

(World Press Freedom Day)

प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। UNGA (UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY) द्वारा 1993 में घोषित किए गए प्रेस स्वतंत्रता संबंधी सिद्धान्तों का इस दिन पुनःस्मरण किया जाता है तथा इनके प्रति प्रतिबद्धता जताई जाती है।

मीडिया की नैतिकता या प्रेस संबंधी स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है?

- ये लोकतंत्र के रक्षक हैं।
- सभी प्रकार के मानवाधिकारों के विकास और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- आम आदमी की आवाज को अभिव्यक्ति प्रदान करने और समुदाय की सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
- जागरूकता बढ़ाना तथा सहिष्णुता की संस्कृति का विकास करना। घृणा के प्रत्येक रूप को समाप्त करना।
- उन देशों और क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना जो संघर्ष, संघर्ष के बाद की प्रक्रिया अथवा संक्रमण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।
- विभिन्न देशों में विभिन्न स्तरों पर सरकारों को पलायनवादी दृष्टिकोण तथा मानसिकता अपनाने से रोकना।

रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स (RWB)

- फ्रांस के पेरिस में स्थित यह एक **अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन** है। यह प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है तथा प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
- इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है।
- यह प्रत्येक वर्ष **विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स)** तैयार करता है। इस सूचकांक के माध्यम से पत्रकारों को प्रदत्त स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार 180 देशों की रैंकिंग की जाती है।

प्रेस से संबंधित विभिन्न नैतिक मुद्दे

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर मीडिया की स्वतंत्रता अत्यधिक सीमित हुई है। यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। यद्यपि मीडिया से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं, किन्तु इन सभी मुद्दों को संक्षेप में एक शब्द प्रेस की 'स्वतंत्रता' में प्रस्तुत किया जा सकता है। सत्यता को पूर्ण ढंग से लोगों तक पहुँचाने हेतु समाचारों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य स्वतंत्रता है अर्थात सत्यता के साथ समाचारों को एकत्र करने और प्रसारित करने के लिए प्रेस की "स्वतंत्रता" सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य है। हालांकि इस मुद्दे का दूसरा पहलू, मीडिया का उत्तरदायित्व भी है। इस प्रकार, दोनों ही पक्षों द्वारा आवश्यक विभिन्न मूल्यों और मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

मीडिया का नियंत्रण / विश्लेषण करने हेतु राजनेताओं / संगठनों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंड

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** - यह एक अपरिहार्य मानव अधिकार है। पत्रकारिता के पेशे में यह अधिकार व्यक्ति के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। पत्रकार के रूप में व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि विश्व भर में होने वाली घटनाओं की सच्ची तस्वीर से जनता को अवगत कराए।
- **मीडिया से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा एवं बचाव**- संपादकों, प्रकाशकों आदि के उत्पीड़न को रोकने के लिए एक उचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। पत्रकारों पर होने वाले हमलों तथा उनकी हत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त प्रावधान निर्मित किया जाना चाहिए। संबंधित व्यक्ति को कठोर दंड देने के लिए तंत्र को सशक्त किया जाना चाहिए ताकि ऐसी हिंसा द्वारा की गई सेंसरशिप के कारण समाज किसी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रह जाए।
- **सहिष्णुता और खुलेपन की संस्कृति** - सेंसरशिप, जुर्माना, निलंबन और प्रकाशन पर रोक जैसे कदम केवल विशेष परिस्थितियों में ही उठाए जाने चाहिए। दरअसल, अधिकारियों को पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए उनके कार्यों के बारे में पत्रकारों द्वारा की जाने वाली पूछताछ को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **मीडिया के कॉरपोरेटाइजेशन को रोकने के लिए नियम** क्योंकि कॉरपोरेटाइजेशन की परिस्थितियों में लाभ और हानि प्रमुख मुद्दा बन जाता है। इस प्रकार, अनुबंध आधारित नियुक्ति जो आज एक मानक बन गई है; स्थानांतरण और वेतन के माध्यम से पत्रकारों को नियंत्रित करना, दृश्य मीडिया में नौकरी की कोई सुरक्षा न होना आदि जैसे मुद्दे उभर रहे हैं।

VISION IAS

मीडिया से संबद्ध व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले नैतिक मानक तथा कसौटियाँ

- **अपने उत्तरदायित्वों को समझना** - भारत जैसे देशों में जहां जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी तथा 'ऑनर किलिंग' जैसी सामाजिक बुराईयां विद्यमान हैं, मीडिया से संबंधित व्यक्तियों को विशेष रूप से अपने उत्तरदायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए।
- **सटीकता, ईमानदारी और निष्पक्षता** - समाचारों के संग्रह और प्रकाशन में इन मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि ये मूल्य सीधे सार्वजनिक हित से सम्बद्ध होते हैं। किसी भी गलत अथवा अपुष्ट जानकारी की स्थिति में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अनावश्यक क्षति पहुँच सकती है।
- **सत्यता-** समाचारों में शामिल तथ्यों को बिना किसी छेड़छाड़ के प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाना चाहिए, विशेष रूप से इस पोस्ट ट्रुथ के युग में जहां सनसनी पैदा करने के लिए सत्य के साथ असत्य के कुछ तत्वों को मिश्रित कर दिया जाता है।
- **प्रतिनिधित्व और विविधता** - संपादकों द्वारा पेड न्यूज को नियंत्रित किया जाना चाहिए। साथ ही संबंधित संगठन को समाज के सभी वर्गों (जातीय और भाषाई अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्तियों, हाशिए पर स्थित समूहों, महिलाओं आदि) के विचारों को बिना किसी भेदभाव के प्रोत्साहन देना चाहिए। इस हेतु संगठन के भीतर आंतरिक विविधता होना अत्यंत आवश्यक है।
- **वास्तविक समस्याओं पर फोकस** करना चाहिए। फिल्मों, मॉडल्स, क्रिकेटरों से संबद्ध अनावश्यक मुद्दों को महत्त्व नहीं देना चाहिए। मीडिया को मूल रूप से सामाजिक-आर्थिक प्रकृति के अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- **व्यवसायीकरण और स्व-विनियमन** – विषय वस्तु और लेखापरीक्षा (दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक) के उपयोग, आचार संबंधी नियमावली, सूचना के स्रोत से सम्बद्ध पेशेवर गोपनीयता, साहित्यिक चोरी, विशिष्ट लक्ष्यों से संबंधित क्षेत्र विशेष आधारित प्रदर्शन का मूल्यांकन जैसे विषयों में व्यवसायीकरण और स्व-विनियमन।
- लोगों की **वैयक्तिकता** तथा **निजता का सम्मान** किया जाना चाहिए। साथ ही जब तक अत्यंत आवश्यक न हो अपमानजनक आलोचना से बचना चाहिए। कोई भी आलोचना सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से उचित होने पर ही की जानी चाहिए।
- **मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए** क्योंकि ये युवा मस्तिष्क पर अपनी गहरी छाप छोड़ते हैं। इस प्रकार शक्ति, क्रूरता और अनैतिक विचारों का महिमामंडन नहीं करना चाहिए।

भारत में स्थिति

हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में 3 स्थानों का सुधार हुआ है तथापि **वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स** 2016 में भारत को 180 देशों की सूची में निराशाजनक 133 वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सन्दर्भ में भारतीय मीडिया विभिन्न मुद्दों का सामना कर रहा है। ये मुद्दें निम्नलिखित हैं:

- विभिन्न धार्मिक समूहों द्वारा पत्रकारों और ब्लॉगर्स पर हमले करने जैसी घटनाएं बढ़ी हैं।
- कश्मीर जैसे कुछ क्षेत्रों तक प्रतिबंधित पहुंच, इन क्षेत्रों को सरकार द्वारा संवेदनशील माना जाता है।
- शासन के उच्च स्तरों पर इन खतरों और समस्याओं के प्रति उदासीनता।
- पत्रकारों की रक्षा के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं है।

आगे की राह

मीडिया आजादी के साथ ही उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- **कम्युनिटी मीडिया को बढ़ावा देना** - यह मीडिया बहुलवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। साथ ही यह पब्लिक, कमर्शियल और सोशल मीडिया का एक बेहतर विकल्प भी है। सामुदायिक मीडिया के माध्यम से स्थानीय महत्त्व के मुद्दों पर; दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने पर तथा समुदाय के प्रति जवाबदेहिता बढ़ाने पर फोकस किया जा सकेगा। इस प्रकार सरकारों को कम्युनिटी मीडिया से संबंधित विधिक मान्यता, स्पेक्ट्रम, लाइसेंसिंग, वित्तपोषण जैसे मुद्दों का उचित समाधन सुनिश्चित करना चाहिए ।
- **एक्टिव मीडिया वॉच ग्रुप्स को बढ़ावा देना** - जैसा कि भारत कुछ लोकतंत्रों में से एक है तथा यहाँ मीडिया के वस्तुनिष्ट विश्लेषण करने, पूर्वाग्रहों और अन्तर्निहित पक्षपात पर विचार करने और व्यवस्थित आलोचना एवं सूक्ष्म परीक्षण पर फोकस करने वाले समूह विद्यमान नहीं हैं, अतः एक्टिव मीडिया वॉच ग्रुप्स को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- **मीडिया द्वारा स्वयं मीडिया के बारे में लेखन को बढ़ावा देना** – यह एक अघोषित नियम बन चुका है कि मीडिया में मीडिया के बारे में कुछ नहीं लिखा जाएगा। विविध मीडिया संगठनों में यह आपसी सहमति बन चुकी है कि मीडिया संगठन चाहे प्रशंसा हो या आलोचना एक-दूसरे के बारे में नहीं लिखेंगे। अधिकांश भारतीय समाचार पत्रों में गलतियों को स्वीकार करने या गलत रिपोर्टिंग के संबंध में एक स्वतंत्र नीति का अभाव है।

9.2. गैम्बलिंग को वैधता प्रदान करना

(Legalising Gambling)

2016 में *BCCI बनाम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन* मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधि आयोग को भारत में गैम्बलिंग और सट्टेबाजी (बेटिंग) को वैध बनाने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया गया था। हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष ने इसके सामाजिक, आर्थिक और नैतिक प्रभावों की जांच करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया है।
कुछ वर्गों द्वारा गैम्बलिंग और सट्टेबाजी को वैध बनाने का पक्ष लिया जा रहा है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:

- **आर्थिक प्रभाव-** यह सरकार को पर्याप्त राजस्व अर्जित करने, रोजगार का सृजन करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करेगा (उदाहरणस्वरुप- सिक्किम)।
- **पारदर्शिता में वृद्धि-** गैंबलिंग को वैधता प्रदान करने से अवैध रूप से होने वाली गैंबलिंग को एक सीमा तक नियंत्रित किया जा सकेगा। परिणामस्वरूप इन गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाले काले धन में भी कमी आएगी।
- **सामाजिक व्यय-** चूंकि यह एक संपन्न आर्थिक क्षेत्र है, इसलिए सरकार द्वारा इससे प्राप्त राजस्व का अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निवेश किया जा सकता है।
- **अवैध सट्टेबाजी को रोकने में सहायक-** सट्टेबाजी के वैध हो जाने के पश्चात लाइसेंस प्राप्त सट्टेबाज, अवैध सट्टेबाजी को रोकने में पुलिस की सहायता करेंगे।

उपर्युक्त लाभों के बावजूद इसकी मुख्य चुनौती "नैतिक रूप से सही" होने की परीक्षा पर खरा उतरने की है, जोकि एक प्रमुख मुद्दा है। हालांकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अनुरूप है, परन्तु इस मुद्दे से विभिन्न नैतिक दुविधाएँ भी जुड़ी हैं। ये निम्नलिखित हैं:

- **गरीबों का संरक्षण-** समाज के गरीब वर्गों को संरक्षण प्रदान करना एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि कम समय में अमीर होने के लिए गैंबलिंग और सट्टेबाजी में उनके संलिप्त होने की सम्भावना अधिक होती है।
- **बच्चों का संरक्षण-** ऑनलाइन गैंबलिंग के इस युग में गैंबलर की उम्र को नियंत्रित करना मुश्किल है। वेबसाइट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की उम्र का अनुमान लगाना प्रायः असंभव होता है, जिसके कारण कम उम्र के बच्चे भी इसकी लत के शिकार हो सकते हैं।
- **खेल नैतिकता-** यदि क्रिकेट पर सट्टेबाजी वैध कर दी जाती है, तो यह इस खेल को अनुचित और अनैतिक स्वरुप में परिवर्तित कर सकती है।
- **सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता-** इस गतिविधि को वैध बनाने से भारत के सामाजिक ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि लोग गैंबलिंग के माध्यम से कम समय में धन अर्जित करने हेतु गैरकानूनी साधनों का सहारा ले सकते हैं।
- **सामाजिक कलंक-** भारतीय समाज में गैम्बलिंग को एक अनुचित कार्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें संलिप्त होने की स्थिति में दिवालिएपन से सुरक्षा के लिए अपनाये जा सकने वाले उपाय बहुत ही कम हैं।
- **व्यसन-** गैंबलिंग से गरीब और निम्न मध्य वर्ग का जीवन स्तर असंतुलित होने के कारण उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
- लोन शार्किंग (गैंबलिंग के लिए अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करना) आदि के कारण **अपराधों में वृद्धि होती है** क्योंकि इनकी वसूली के लिए कभी-कभी उधारदाताओं/सूदखोरों द्वारा हिंसा का सहारा लिया जाता है।

हालांकि, इनमें से अधिकांश प्रतिकूल प्रभाव गैंबलिंग से नहीं बल्कि अनियंत्रित गैंबलिंग के व्यसन के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार, इसे वैधता प्रदान किये जाने की स्थिति में इस गतिविधि को प्रभावी और कुशल ढंग से नियंत्रित किया जाना चाहिए। प्रतिबंध के बावजूद, भारत में खेलों पर सट्टेबाजी के व्यवसाय की उपस्थिति, कानूनों के कमजोर प्रवर्तन को दर्शाती है। इस प्रकार, इस दिशा में कुछ सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए-

- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन गैम्बलिंग को ही अनुमति दी जानी चाहिए तथा दुकानों या अन्य केंद्रों पर गैम्बलिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- सट्टेबाजों के लिए पूंजी पर्याप्तता के उच्च मानक होने चाहिए।
- प्रॉब्लम गैम्बलर्स की सहायता के लिए राजस्व का एक हिस्सा विशेष रूप से अलग रखा जाना चाहिए।
- राजस्व का एक हिस्सा, उचित प्रतिस्पर्धा और खेल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवंटित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

10. विविध

(MISCELLANEOUS)

10.1. इंडियन एक्सक्लूशन रिपोर्ट (IXR) 2016

[Indian Exclusion Report (IXR)2016]

- सेंटर ऑफ इक्विटी स्टडीज द्वारा जारी की गई 2016 की रिपोर्ट में चार सार्वजनिक वस्तुओं यथा वृद्धों के लिए पेंशन, डिजिटल एक्सेस, कृषि भूमि तथा अंडरट्रायल्स के लिए कानूनी न्याय के संबंध में अपवर्जन (exclusion) की समीक्षा की गई है।
- नियोजन से सर्वाधिक एवं निरन्तर बहिष्कृत ही ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह हैं जैसे:- दलित, आदिवासी, मुस्लिम, विकलांग तथा आयु से संबंधित कमजोरियों से ग्रस्त व्यक्ति।

10.2.पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स

(Public Affairs Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2017 जारी किया गया। इस इंडेक्स में प्रशासन, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना इत्यादि पैमानों के आधार पर भारतीय राज्यों की रैंकिंग की गयी है।

पृष्ठभूमि

- इस इंडेक्स का आरंभ **2016 में पब्लिक अफेयर्स सेंटर (PAC), इण्डिया द्वारा** किया गया था। PAC का मुख्यालय बंगलुरु में है। यह एक गैर-लाभकारी थिंक टैंक है। इसका उद्देश्य भारत में प्रशासन में सुधार करना है।
- यह सर्वे **10 थीम्स, 26 फोकस सब्जेक्ट्स और 82 इंडीकेटर्स** पर आधारित है। इसमें आवश्यक बुनियादी ढांचे, मानव विकास के लिए सहायता, सामाजिक संरक्षण, महिलाएँ और बच्चे, अपराध, कानून एवं व्यवस्था, न्याय का समुचित वितरण, पर्यावरण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, वित्तीय प्रबंधन तथा आर्थिक स्वतंत्रता जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को सम्मिलित किया गया है।

इस रिपोर्ट के निष्कर्ष

- **केरल और तमिलनाडु** ने 2016 के समान 2017 में भी क्रमशः पहला व दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तत्पश्चात गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र का स्थान है।
- अंतिम चार स्थानों पर **असम, ओडिशा, झारखण्ड और बिहार** हैं।

10.3. CAPF के लिए शिकायत निवारण ऐप

(Grievance Redressal App for CAPF)

- हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के लिए शिकायत निवारण हेतु मोबाइल ऐप लांच किया है।
- यह सैनिकों को गृह मंत्रालय से सीधे संपर्क करने की सुविधा प्रदान करेगी तथा विलम्ब या देरी की स्थिति में मामले को गृह मंत्री तक भी पहुँचाया जा सकेगा ।
- इस ऐप के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि होगी। साथ ही यह शिकायतों को सोशल मीडिया में प्रसारित होने से रोकने में सहायता करेगी।

CAPF में शामिल जवान हैं:

- सीमा सुरक्षा बल (BSF)
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और
- सशस्त्र सीमा बल (SSB)

VISION IAS

10.4. भारतीय रेलवे द्वारा EOTT की शुरुआत

(Indian Railways to Introduce EoTT)

- भारतीय रेलवे, लोकोमोटिव ड्राइवर और ट्रेन के अंतिम डिब्बे के बीच संचार स्थापित करने के लिए शीघ्र ही **एंड ऑफ़ ट्रेन टेलीमेट्री (End of Train Telemetry: EoTT)** उपकरण के उपयोग की शुरुआत करेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ट्रेन के सभी कोच/ डिब्बे पूरी तरह एक साथ एक पूर्ण इकाई के रूप में गतिमान हैं।
- इस सिस्टम को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि किसी ट्रेन के विभक्त होने की स्थिति में यह ट्रेन के विभाजन की स्थिति के बारे में ड्राइवर को सूचित करेगा और ट्रेन के पिछले भाग में ब्रेक लगा देगा।

10.5. इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, 2014

(Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development, 2014)

- हाल ही में **भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (ISRO)** को वर्ष 2014 का 'इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार' प्रदान किया गया।
- ISRO को यह पुरस्कार **मार्स ऑर्बिटर मिशन** की सफलता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु दिया गया।
- अमूल और ISRO ने उपग्रह तकनीकी द्वारा फॉडर असेसमेंट (प्रति एकड़ चारा मूल्यांकन) करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- इस आकलन का मुख्य उद्देश्य खाद्य फसलों और चारे की फसलों की पहचान और उनके मध्य विभेद करना तथा साथ ही हरे चारे की खेती के लिए ग्रामीण स्तर पर वर्तमान परती भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि के उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना है।

10.6. सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर

(SAARC Disaster Management Centre)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट (GIDM), गांधीनगर में **सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर** का उद्घाटन किया।

इस सेंटर के बारे में :

- केंद्र की अंतरिम इकाई **GIDM में विश्व स्तर के बुनियादी ढाँचे** की और निकटवर्ती क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करेगी ताकि दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपदा प्रबंधन सहयोग के विभिन्न आयामों को मजबूत किया जा सके।
- इस अवसर पर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ **"एप्लीकेशन ऑफ़ स्पेस टेक्नोलॉजी इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग रिस्क्स"** पर भी एक कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।
- इस सेंटर की स्थापना **संकट के समय सबसे पहले अनुक्रिया करने वाले देश के रूप में भारत की भूमिका** को सशक्त करेगी और इस सेंटर से 'सबका साथ, सबका विकास' नीति का विस्तार पड़ोसी देशों में भी होगा।

10.7. इंटरनेशनल सोलर अलायन्स फ्रेमवर्क

[International Solar Alliance (ISA) Framework]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नौरू नामक द्वीपीय राष्ट्र इंटरनेशनल सोलर अलायन्स फ्रेमवर्क संधि की पुष्टि करने वाला छठवाँ देश बन गया है। नौरू विश्व का सबसे छोटा गणराज्य है।

VISION IAS

इंटरनेशनल सोलर अलायन्स

- ISA कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्थित सौर ऊर्जा की सम्भावना वाले उन देशों के बीच सहयोग के लिए एक साझा प्लेटफ़ॉर्म है जो सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर दोहन करना चाहते हैं। इससे वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन में कमी आएगी एवं स्वच्छ तथा सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी।
- इस पहल की घोषणा **फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 2015 के अंत में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में** की गई थी।

10.8. ए पी जे अब्दुल कलाम के नाम पर बैक्टीरिया का नामकरण

(Bacteria Named After A P J Abdul Kalam)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- नासा के वैज्ञानिकों ने **डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम** के सम्मान में एक नए बैक्टीरिया को **सोलीबेसीलस कलामाई** नाम दिया है।
- अभी तक पृथ्वी पर इस प्रकार के बैक्टीरिया की खोज नहीं की गई है। यह केवल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही पाया गया है।

10.9. बधिरों व नेत्रहीनो के लिए नई तकनीक

(New Technology for Hearing and Visually Impaired)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व सॉफ्टवेयर का विकास किया है जो बधिर और नेत्रहीन व्यक्तियों को **बिना किसी सहायता के रियल टाइम** में टेलीविजन देखने में सक्षम बनाता है।

यह सॉफ्टवेयर किस प्रकार कार्य करता है?

- इस सॉफ्टवेयर को **पर्वेसिव सब (Pervasive SUB)** के नाम से जाना जाता है जो टेलीविजन चैनलों के सभी सबटाइटल्स को संकलित करता है और उन्हें एक सेंट्रल सर्वर पर भेजता है जहाँ से उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट तक प्रेषित कर दिया जाता है।
- इसके पश्चात इसे विभिन्न ब्रेल लाइन्स से सुसंगत 'गो ऑल ऐप' का उपयोग कर उपयोगकर्ता की ब्रेल लाइन को भेजा जाता है।
- यह ऐप ब्रेल लाइन्स की गति को नियंत्रित करता है ताकि टीवी प्रसारण के साथ इसे सिंक्रोनाइज़ किया जा सके।

10.10. मांकडिया जनजाति

(Mankidia Tribe)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ओडिशा, वन एवं पर्यावरण विभाग ने अपने कर्मियों को मांकडिया जनजाति से बन्दरों को पकड़ने के कुछ तरीके सीखने को कहा है ताकि वह इनसे होने वाले खतरों को समाप्त कर सके।

मांकडिया जनजाति

- ओडिशा में इन्हें पर्टिकुलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स (PVTGs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ये अर्ध-खानाबदोश होते हैं तथा मांस के लिए बंदर का शिकार किया करते थे।

बंदरों को पकड़ने की चतुर विधि

मांकडिया जनजाति के लोग जब किसी पेड़ पर बैठे बंदर को देखते है, तो वे आस-पास के पेड़ों पर चढ़ कर उस पेड़ को घेर लेते हैं। तत्पश्चात ये बन्दर के गिरने तक पेड़ को हिलाते रहते हैं। नीचे धरातल पर एक समूह जाल के साथ मौजूद रहता है, जो बंदर को जल्दी से जाल में डाल के पकड़ लेता है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS